सेवाएं की खरीद

के लिए

संविदा की सामान्य शर्तें

[संशोधन.0]

गेल (इंडिया) लिमिटेड

विषय-सूची

क्र.सं.	विवरण
खंड - I	**परिभाषाएं और व्याख्या**
1.1	शब्दों की परिभाषा
1.2	संविदा दस्तावेजों की व्याख्या और प्राथमिकता
1.3	संविदा की विशेष शर्तें
खंड - II	**सामान्य निर्देश और दायित्व**
2.1	संविदा बनाना
2.2	समझौते पर हस्ताक्षर
2.3	अनुशेष / शुद्धिपत्र
2.4	भारत सरकार की जवाबदेही
2.5	साइट दौरा
2.6	भ्रष्टाचार / धोखाधड़ी / कपटपूर्ण / प्रतिरोधी आचरण और घटिया निष्पादन के मामले में कार्रवाई:
2.7	सेवानिवृत्त सरकारी या नियोक्ता अधिकारी
2.8	हितों का टकराव
2.9	असामान्य दरें
2.10	सेवा प्रदाता के सामान्य दायित्व
2.11	सेवा प्रदाता के प्रतिनिधि और कार्मिक
2.12	सेवा प्रदाता के कर्मचारी / कार्मिक
2.13	संविदा निष्पादन सुरक्षा
2.14	सेवा प्रदाता द्वारा संविदा के प्रावधानों का अनुपालन करने में असफल रहना
2.15	खंड 2.14 में कार्रवाई न करने पर सेवा प्रदाता को मुआवजा देना
2.16	संविधान में परिवर्तन
2.17	संविदा समाप्ति
2.18	समाप्ति के मामले में देय राशि
2.19	नियोक्ता के सदस्यों की व्यक्तिगत ज़िम्मेदार नहीं
2.20	नियोक्ता की व्यक्तिगत प्रतिनिधियों से बाध्यता नहीं
2.21	अप्रत्याशित स्थितियां
2.22	मूल्य निर्धारण अनुसूची
2.23	कार्य / उप-पट्टा

2.24	ग्रहणाधिकार
2.25	नियोक्ता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा विलंब
2.26	अधिकारों में कोई छूट नहीं
2.27	प्रमाण-पत्र का नियोक्ता के अधिकारों और सेवा प्रदाता की देयता पर कोई प्रभाव न पड़ना
2.28	भाषा और उपाय
2.29	सूचना जारी करना
2.30	समापन अवधि, संविदा अवधि और संविदा समाप्ति
2.31	स्वतंत्र क्षमता
2.32	नोटिस
2.33	गोपनीयता
2.34	बौद्धिक संपदा अधिकार
खंड - III	**सेवा निष्पादन**
3.1	सेवा निष्पादन
3.2	सेवाओं में परिवर्तन
3.3	घटिया सेवा के मामले में कार्रवाई और मुआवजा
3.4	सेवाओं का निलंबन
3.5	दोष देयता अवधि
3.6	समापन प्रमाण-पत्र
3.7	अंतिम निर्णय और अंतिम प्रमाणपत्र
3.8	दायित्व की सीमा
3.9	हानि से सुरक्षा
खंड - IV	**भुगतान, बीमा और कर**
4.1	संविदा मूल्य से कटौती
4.2	दरों और भुगतान की अनुसूची
4.3	सेवाओं क बिल देने की प्रक्रिया
4.4	अतिरिक्त भुगतान के लिए दावों का नोटिस
4.5	बीमा
4.6	कर और शुल्क
4.7	आय कर
4.8	सांविधिक विविधताएं
4.9	किसी भी व्यक्ति और तीसरे पक्ष की संपत्ति का नुकसान
खंड - V	**कानून, स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण**
5.1	श्रम कानून

5.2	संरक्षा विनियम
5.3	प्राथमिक चिकित्सा और औद्योगिक चोटें
5.4	सामान्य नियम
5.5	ज्वलनशील गैस से निपटने में देखभाल
5.6	स्थान की सुरक्षा
5.7	पर्यावरण
खंड - VI	**विवाद समाधान और मध्यस्थता**
6.1	विवाद समाधान
6.2	मध्यस्थता
6.3	अधिकार क्षेत्र
6.4	संविदा जारी रखना
परिशिष्ट 1	भ्रष्टाचार / धोखाधड़ी / कपटपूर्ण / प्रतिरोधी आचरण के मामले में कार्रवाई के लिए प्रक्रिया
परिशिष्ट 2	विक्रेता / आपूर्तिकर्ताओं / ठेकेदारों / परामर्शदाताओं के निष्पादन की प्रक्रिया

खंड-I परिभाषाएं और व्याख्या

1.1 शब्दों की परिभाषा:

इस संविदा में (जैसा कि बाद में परिभाषित किया गया है), जहां संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित है, वहां निम्नलिखित शब्दों और अभिव्यक्तियों का अर्थ क्रमशः उन्हें सौंपा गया अर्थ होगा:

"स्वीकृत" का अर्थ लिखित में अनुमोदन है जिसमें पिछली मौखिक स्वीकृति के बाद लिखित पुष्टि शामिल है ।

"बोली / निविदा / प्रस्ताव" का अर्थ बोलीदाता / सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत अपेक्षित सहायक दस्तावेजों सहित प्रस्ताव से है जिन पर नियोक्ता द्वारा विचार किया जाना है।

'बोलीदाता / निविदाकार' का अर्थ व्यक्ति(यों) / फर्म / कंपनी / कॉर्पोरेशन / संगठन / कंपनी से है, जिन्होंने निविदा में भाग लिया था।

"समापन प्रमाणपत्र" का अर्थ अभियंता प्रभारी (ईआईसी) द्वारा जारी किया जाने वाला प्रमाण-पत्र है जब सेवाओं को पूरी तरह से संविदा के अनुसार पूरा किया गया हो।

"समापन तिथि" का अर्थ नियोक्ता द्वारा प्रमाणित सेवा प्रदाता द्वारा सेवाओं के वास्तविक समापन की तारीख है ।

"संविदा" का अर्थ संविदा दस्तावेजों और उसके बाद के संशोधन लिखित रूप में, यदि कोई हो, के अनुसार सेवा(ओं) के निष्पादन के लिए नियोक्ता और सेवा प्रदाता / आपूर्तिकर्ता के बीच समझौता है।

"संविदा दस्तावेज" का अर्थ है सामूहिक रूप से निविदा दस्तावेज, डिज़ाइन, ड्राइंगें, सेवाओं का कार्यक्षेत्र, विनिर्देश, दरों की अनुसूची (एसओआर), स्वीकृति-पत्र और सहमत भिन्नताएं, यदि कोई हों, और ऐसे अन्य दस्तावेज, जिनमें उनकी निविदाएं और स्वीकृति शामिल हो।

"दिवस" का अर्थ है मध्यरात्रि से मध्यरात्रि तक 24 घंटे का कैलेंडर दिन, जिसमें उस दिन सेवा किए गए घंटों की संख्या कितनी भी हो सकती है।

"डेमोबिलाइजेशन" का अर्थ ईआईसी की विधिवत अनुमति लेकर सेवाओं के पूरा होने के बाद साइट से सभी उपकरण, मशीनरी, जनशक्ति को हटाना है ।

"ड्राइंग" का अर्थ है कि संविदा से संबंधित सभी इंजीनियरिंग रेखाचित्र, सामान्य व्यवस्था / विन्यास ड्रॉइंग, सेक्शनल प्लान, सभी ऊंचा निर्माण आदि शामिल हैं जिसमें संशोधन और आशोधन भी शामिल हैं।

"नियोक्ता / सेवा प्राप्तकर्ता / कंपनी / मालिक" का अर्थ है गेल (इंडिया) लिमिटेड (गेल), एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी, जो कंपनी अधिनियम 1956 के तहत निगमित है और जिसका पंजीकृत कार्यालय 16, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066 में स्थित है, और उसे उत्तराधिकारी, कार्य और स्थल / कार्य केंद्र शामिल हैं।

"अभियंता -प्रभारी" (ईआईसी) का अर्थ नियोक्ता द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट व्यक्ति है और इसमें उन लोगों को शामिल किया जाएगा जो सेवाओं के लिए इस संविदा के संचालन / निष्पादन के लिए उनके द्वारा और उसके लिए कार्य करने के लिए स्पष्ट रूप से अधिकृत हैं।

"उपकरण / सामग्री / सामान" का अर्थ है सेवा प्रदाता द्वारा सेवाओं के संतोषजनक प्रदर्शन के लिए संविदा के तहत अपेक्षित सभी उपकरण, मशीनरी, भंडार, सामान।

"फ़ैक्स द्वारा स्वीकृति" का अर्थ नियोक्ता द्वारा सफल बोलीदाता / सेवा प्रदाता को फैक्स / पत्र के माध्यम से दी गई अधिसूचना के बारे में सूचना देना है कि निविदा / बोली / प्रस्ताव को उसमें निहित प्रावधानों के अनुसार स्वीकार कर लिया गया है।

"गारंटी / वारंटी/ दोष देयता अवधि (डीएलपी)" का अर्थ संविदा में प्रदान की गई सेवाओं की वारंटी / गारंटी / दोष जवाबदेही अवधि को नियंत्रित करने वाली अवधि और अन्य स्थितियों से है।

"मीट्रिक प्रणाली": सभी तकनीकी दस्तावेज मीट्रिक प्रणाली में दिए जाते हैं और सभी सेवा मीट्रिक प्रणाली के अनुसार की जानी चाहिए। सेवा से संबंधित सभी दस्तावेज भी मीट्रिक प्रणाली में बनाए रखे जाने चाहिए।

"मोबिलिज़ेशन" का अर्थ पर्याप्त आधारभूत संरचना को स्थिर करना है जिसमें संविदा दस्तावेज के प्रावधान के अनुसार सेवाएं प्रदान करने के लिए पर्यवेक्षण कार्मिकों सहित उपकरण, सहायक उपकरण, औजार, साजो-सामान, उपकरण, वस्तुएं और सामग्री, अनुभवी जनशक्ति शामिल है।

"लापरवाही" का अर्थ है किसी व्यक्ति या किसी कंपनी द्वारा किसी कार्य या कार्य करने में विफलता (चाहे वह व्यक्तिगत, संयुक्त या एक ही समय में), या जो घोर उपेक्षा या घोर उदासीनता के कारण हुई हो, और जिसके परिहार्य और हानिकारक परिणाम के बारे में व्यक्ति या कंपनी को जानकारी थी, या उन्हें ज्ञात होना चाहिए था, जो ऐसे कार्य या कार्य न करने के कारण उत्पन्न होंगे। उपर्युक्त के बावजूद, लापरवाही में जीवन या संपत्ति की सुरक्षा के लिए नेकनीयती से किया गया कोई भी कार्य शामिल नहीं होगा।

"सेवा(ओं)" के अर्थ में सेवा प्रदाता द्वारा संविदा के अनुसार या उसके भाग के रूप में, जैसा भी स्थिति हो, या उसके साथ संविदा में की जाने वाली सभी सेवाएं और गतिविधियां / कार्य शामिल हैं, और इसमें सभी अतिरिक्त, बदली गई या प्रतिस्थापित सेवाएं, संविदा के उद्देश्य के लिए अपेक्षित अनुसार वैधानिक प्राधिकारियों (यदि कोई हो) से किसी एजेंसी / तृतीय पक्ष और लाइसेंस (सों) / अनुमतियों से प्रतिस्थापित सेवाएं और अनुमोदन शामिल होंगे।

"सेवा प्रदाता" का अर्थ बोलीदाता / निविदाकार से है, जिसकी निविदा को नियोक्ता द्वारा स्वीकार किया गया है और इसमें सेवा प्रदाता के कानूनी प्रतिनिधि(यों), उनके उत्तराधिकारी(यों) और अनुमेय कार्य शामिल हैं।

"सेवा प्रदाता / बोलीदाता का प्रतिनिधि" का अर्थ है ऐसा व्यक्ति, जिसे बोलीदाता / सेवा प्रदाता द्वारा सेवाओं को प्रभावित करने वाले मामलों में बोलीदाता / सेवा प्रदाता की ओर से अधिकार के रूप में प्राधिकृत करने और नियोक्ता को अपेक्षित सेवाएं प्रदान करने के लिए नियोक्ता को लिखित में बोली लगाने के लिए अधिकृत किया गया है।

"साइट" का अर्थ नियोक्ता द्वारा प्रदान किए गए स्थल से है जहां सेवाओं को निष्पादित किया जाना है और किसी भी अन्य स्थान को विशेष रूप से साइट के भाग के रूप में संविदा में विनिर्दिष्ट किया जा सकता है।

"विनिर्देशों" का अर्थ है और विस्तृत विवरण, तकनीकी डेटा का विवरण, निष्पादन विशेषताएं, और मानक (भारतीय और अंतरराष्ट्रीय) जैसा कि संविदा में लागू और निर्दिष्ट है।

"उप-सेवा प्रदाता" का अर्थ है कोई भी ऐसा व्यक्ति / फर्म / संगठन / कंपनी / इकाई (सेवा प्रदाता के अलावा) और उसके कानूनी प्रतिनिधि, उत्तराधिकारी, जिन्हें नियोक्ता की पूर्व सहमति से संविदा में नामित अनुमेय कार्यों के लिए उप-सेवा प्रदाता के रूप में सेवाओं या सेवाओं का कोई भाग उप-संविदागत किया गया है ।

"संविदा का मूल्य" या "कुल संविदा मूल्य" का अर्थ संविदा में स्वीकार किए गए मूल्यों के अनुसार गणना की गई राशि या पूरे कार्य निष्पादन और सेवा को पूरा करने पर सेवा प्रदाता को देय राशि के अनुसार गणना की गई राशि से है जिसमें संविदा में संशोधन, यदि कोई हो, शामिल है।

"सप्ताह" का अर्थ लगातार सात दिनों की अवधि है।

"जानबूझकर किया गया कदाचार" का अर्थ है संविदा के अंतर्गत निष्पादन या उचित आचरण के अच्छे और मितव्ययी मानकों की यह जानते हुए जानबूझकर उपेक्षा करना कि इससे किसी भी व्यक्ति को चोट लग सकती है या किसी परिसंपत्ति की हानि या नुकसान हो सकता है।

"कार्य दिवस" का अर्थ है किसी भी दिन जिसे नियोक्ता द्वारा अवकाश या ऑफ-डे होने के लिए घोषित नहीं किया जाता है।

1.2 संविदा दस्तावेजों की व्याख्या और प्राथमिकता

1.2.1 संविदा का हिस्सा बनाने वाले दस्तावेजों को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए और इन्हें एक दूसरे की परस्पर व्याख्या के रूप में व्याख्या की जानी चाहिए। यदि विशिष्ट दायित्वों में प्रत्यक्ष असंगतता है, तो व्याख्या के प्रयोजनों के लिए, और जब तक कि संविदा में अन्यथा उल्लेख नहीं किया जाता है, संविदा दस्तावेजों की प्राथमिकता निम्नलिखित अनुक्रम के अनुसार होगी:

i)	संविदा समझौता
ii)	अनुलग्नक सहित स्वीकृति का विस्तृत पत्र
iii)	फैक्स द्वारा स्वीकृति
iv)	काम क्षेत्र / कार्य विनिर्देश (केवल विशिष्ट कार्य के लिए, जहां-कहीं प्रदान किया गया है)
v)	ड्राइंगें
vi)	संविदा की विशेष शर्तें (एससीसी)
vii)	तकनीकी विनिर्देश (जहां भी लागू हो)
viii)	बोलीदाताओं को निर्देश (आईटीबी)
ix)	संविदा की सामान्य शर्तें (जीसीसी)
x)	अन्य दस्तावेज

ड्राइंग में दिखाए गए कार्यों, लेकिन जिनका विनिर्देशों में उल्लेख नहीं किया गया है या ड्राइंगों में दिखाए बिना विनिर्देशों में वर्णित किया गया है, को इन सबके बावजूद उसी ढंग से शामिल समझा जाएगा जैसे कि उन्हें विशेष रूप से ड्रॉइंगों में दिखाया और विनिर्देशों में वर्णित किया गया था।

औपचारिक संविदा पर हस्ताक्षर करने पर नियोक्ता द्वारा जारी किए गए किसी भी संशोधन / परिवर्तन आदेश को औपचारिक संविदा और उसके अनुलग्नकों के संबंधित खंडों के अनुसार प्राथमिकता दी जाएगी।

उच्च प्राथमिकता व्याख्या केवल असंगतता से निपटने के लिए आवश्यक सीमा तक ही अपनाई जाएगी । विशिष्ट सहमत शब्द (शब्दों) को सामान्य कथन की तुलना में दस्तावेजों में शर्तों के आधार पर बाद की तारीख में बनाए गए संविदा दस्तावेज में सामान्य विवरण(णों) और शर्तों के अनुसार प्राथमिकता दी जाएगी। उपर्युक्त के अधीन, उपर्युक्त निर्धारित दस्तावेजों के समूहों की शर्तों को उनके समूह के भीतर समान महत्व दिया जाता है।

1.2.2 शीर्षक और हाशिए पर की गई टिप्पणी: संविदा की सामान्य शर्तों या विनिर्देशों या किसी अन्य निविदा दस्तावेज की शर्तों के लिए सभी शीर्षक और हाशिए पर की गई टिप्पणी केवल संक्षिप्त संकेत देने के उद्देश्य के लिए है और इसकी सामग्री का सार नहीं है, और इन्हें इसे कभी भी उसका हिस्सा नहीं माना जाएगा या संविदा की व्याख्या में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।

1.2.3 एकवचन और बहुवचन: जहां-कहीं संदर्भ अपेक्षित होगा, संविदा दस्तावेजों में जब तक कि अन्यथा विशेष रूप से उल्लेख न किया गया हो, एकवचन में बहुवचन और बहुवचन में एकवचन शामिल होगा।

12.4 लिंग: जहां संदर्भ में अपेक्षित होगा, पुल्लिंग में अभिव्यक्त शब्दों में स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग और इसके विपरीत भी शामिल होगा।

12.5 औसतता: यदि इस संविदा का कोई भी प्रावधान अमान्य, अवैध या अन्यथा किसी भी न्यायालय द्वारा लागू करने योग्य नहीं पाया जाता है, तो इससे शेष प्रावधान / खंड प्रभावित नहीं होंगे और वे पार्टियों पर बाध्यकारी रहेंगे।

1.3 संविदा की विशेष शर्तें:

1.3.1 संविदा की विशेष शर्तें जिनमें, सेवाओं का कार्यक्षेत्र, सेवाओं के विनिर्देश और वस्तुओं आदि संविदा की सामान्य शर्तों के साथ पढ़ा जाएगा, और जहां भी संदर्भ अपेक्षित होगा, कोई भी अन्य दस्तावेज इस संविदा का भाग होगा।

1.3.2 इन अलग-अलग खंडों में दस्तावेजों के उप-विभाजन के बावजूद प्रत्येक खंड / मात्रा के प्रत्येक भाग को पूरक और एक-दूसरे के पूरक समझा जाएगा और जहां तक यह व्यावहारिक होगा, संविदा में और उसके साथ पढ़ा जाएगा।

1.3.3 जहां संविदा की सामान्य स्थिति का कोई भी भाग संविदा की विशेष स्थितियों के किसी भी प्रावधान के प्रतिकूल या भिन्न हो, जब तक कि इससे कोई अलग आशय प्रतीत न होता हो, संविदा की विशेष शर्तों के प्रावधान, सामान्य प्रावधानों का अतिक्रमण करते माने जाएं तो उस सीमा तक प्रतिकूलता, या अंतर विद्यमान रहेगा।

1.3.4 जहां भी विनिर्देश में यह उल्लेख किया गया है कि सेवा प्रदाता कुछ सेवा करेगा या कुछ सुविधाएं प्रदान करेगा, तो यह समझा जाता है कि सेवा प्रदाता अपनी लागत पर ऐसा करेगा और संविदा के मूल्य को इस तरह के निष्पादन और प्रावधानों की लागत में उल्लिखित अनुसार शामिल माना जाएगा।

1.3.5 सामग्री, डिजाइन और सेवाएं प्रासंगिक मानक, इसमें निहित कार्य विनिर्देशों और संदर्भित कोडों को पूरा करेंगे। जहां कार्य विनिर्देश में मानक कोड और विनिर्देशों में निहित कार्यों के अलावा आवश्यकताओं का निर्धारण हो, वहां इन अतिरिक्त आवश्यकताओं को भी पूरा किया जाएगा।

2.0 सामान्य निर्देश और दायित्व

2.1 संविदा बनाना:

2.1.1 संविदा देने के मामले में नियोक्ता एकमात्र निर्णायक होगा और नियोक्ता का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

2.1.2 नियोक्ता द्वारा सफल निविदादाता को निविदा की स्वीकृति की सूचना फैक्स / ई-मेल / पत्र या फैक्स की स्वीकृति (एफओए) के रूप में उल्लिखित साधनों द्वारा दी जाएगी ।

2.1.3 संविदा एफओए की तारीख से लागू होगी और यह नियोक्ता और सेवा प्रदाता पर बाध्यकारी होगी।

2.2 समझौते पर हस्ताक्षर

2.2.1 सफल निविदाकार / सेवा प्रदाता को निविदा दस्तावेज के साथ संबद्ध / संलग्न प्रारूप में एफओए के 15 दिनों के भीतर समझौते को निष्पादित करना होगा। सेवा प्रदाता द्वारा उपरोक्त निर्धारित अवधि के भीतर समझौते पर हस्ताक्षर करने में विफल रहने पर, जमा बयाना धनराशि या प्रारंभिक सुरक्षा जमा / निष्पादन सुरक्षा जमा राशि (जैसा भी उपलब्ध हो, मुख्यत: बाद वाली राशि) जब्त कर ली जाएगी और नियोक्ता द्वारा संविदा को समाप्त माना जाएगा।

2.3 अनुशेष / शुद्धिपत्र:

2.3.1 बोली प्रस्तुत करने की देय तारीख से पहले जारी किए गए निविदा दस्तावेज में किए गए संशोधन और स्पष्टीकरण निविदा दस्तावेजों में अनुशेष / शुद्धिपत्र संविदा का अभिन्न हिस्सा बन जाएंगे।

2.4 भारत सरकार की जवाबदेही:

2.4.1 यह स्पष्ट रूप से बोलीदाता / सेवा प्रदाता और नियोक्ता द्वारा और उनके बीच सहमत है कि नियोक्ता यह समझौता पूरी तरह से अपनी ओर से कर रहा है, न कि किसी अन्य व्यक्ति या इकाई की ओर से। विशेष रूप से, यह स्पष्ट रूप से समझा और सहमति व्यक्त की जाती है कि भारत सरकार इस समझौते की पक्षकार नहीं है और इसमें उसकी कोई देनदारी, दायित्व या इसके अंतर्गत उसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। यह स्पष्ट रूप से समझा और सहमति व्यक्त की जाती है कि नियोक्ता एक स्वतंत्र कानूनी इकाई है जिसे भारत में लागू कानूनों और संविदा कानून के सामान्य सिद्धांतों के तहत पूरी तरह से और अपनी ओर से संविदा करने का अधिकार और प्राधिकार है। बोलीदाता / सेवा प्रदाता स्पष्ट रूप से सहमत है, स्वीकार करता है और समझता है कि नियोक्ता भारत सरकार का एजेंट, प्रतिनिधि या प्रतिनिधिमंडल नहीं है। आगे यह भी समझा जाता है और सहमति व्यक्त की जाती है कि भारत सरकार किसी भी कार्य, चूक, कमीशन, उल्लंघनों या संविदा से उत्पन्न होने वाली अन्य गलतियों के लिए उत्तरदायी नहीं होगी। तदनुसार, बोलीदाता / सेवा प्रदाता इस संविदा और परस्पर संविदा से भारत सरकार के खिलाफ उत्पन्न होने वाले प्रति दावों, लागू वाद दावों या समकक्ष दावों सहित किसी भी और सभी कार्यों या दावों से मुक्त रखेगा और भारत सरकार पर समझौते / संविदा के तहत या उससे उत्पन्न होने वाली किसी भी दावे, कार्रवाई या कार्य , जो कोई भी हो, के कारण मुकदमा नहीं करेगा।

2.5 साइट दौरा:

2.5.1 यह समझा जाएगा कि बोलीदाता / सेवा प्रदाता ने निविदा प्रस्तुत करते समय साइट(टों) / कार्य केंद्रों का स्वयं दौरा कर लिया है और उसे भली-भांति समझ लिया है। बोलीदाता / सेवा प्रदाता द्वारा साइट की स्थितियों की जानकारी न होने को अतिरिक्त दावा करने या निष्पादन में किसी भी प्रकार का विलंब होने या इस संबंध में किसी भी अन्य दावे का कारण नहीं माना जाएगा।

2.6 भ्रष्टाचार / धोखाधड़ी / कपटपूर्ण / प्रतिरोधी आचरण और घटिया निष्पादन के मामले में कार्रवाई:

बोलीदाता / सेवा प्रदाता को निम्नलिखित दस्तावेजों का पालन करना होगा:

(i) भ्रष्टाचार / धोखाधड़ी / कपटपूर्ण / प्रतिरोधी आचरण के मामले में कार्रवाई की प्रक्रिया, जिसमें बोलीदाता / सेवा प्रदाता को निलंबित करने और / या प्रतिबंध सूची (जैसे मामला हो) में डालने का प्रावधान शामिल हैं, यदि ऐसी एजेंसी भ्रष्टाचार / धोखाधड़ी / कपटपूर्ण / प्रतिरोधी आचरण देने में शामिल पाई जाती है।

प्रक्रिया इस जीसीसी के परिशिष्ट 1 के रूप में संलग्न है।

इसके अलावा, बोलीदाता / सेवा प्रदाता स्वीकार करता है और प्रमाणित करता है कि वे गेल की धोखाधड़ी रोकथाम नीति का पालन करेंगे और खुद को इसमें संलिप्त नहीं करेंगे या दूसरों को (गेल में काम करने वालों) को धोखाधड़ी गतिविधियों में शामिल नहीं होने देंगे और जैसे ही किसी धोखाधड़ी / संदिग्ध धोखाधड़ी का मामला उनके संज्ञान में आता है, उसे मालिक / गेल / संगठन को अवगत कराएंगे। धोखाधड़ी रोकथाम नीति दस्तावेज गेल की वेबसाइट (www.gailonline.com) पर उपलब्ध है।

(ii) सेवा प्रदाता को निलंबन और / या अवकाश सूची (जैसा मामला हो) में डालने के प्रावधान सहित सेवा प्रदाता के निष्पादन के मूल्यांकन की प्रक्रिया।

यह प्रक्रिया इस जीसीसी के परिशिष्ट 2 के रूप में संलग्न है ।

2.7 सेवा-निवृत्त सरकारी या नियोक्ता अधिकारी:

2.7.1 राज्य / केंद्र सरकार या नियोक्ता के इंजीनियरिंग विभाग में इंजीनियरिंग या प्रशासनिक कर्तव्यों में इंजीनियरिंग या प्रशासनिक कर्तव्यों में नियोजित किसी कर्मचारी / अधिकारी को सरकारी सेवा से या अपनी सेवानिवृत्ति / त्याग-पत्र / पृथक्करण के बाद एक वर्ष की अवधि के लिए नियोक्ता से पूर्व अनुमति लिए बिना सेवा प्रदाता के रूप में सेवा करने या नियोक्ता का रोजगार करने की अनुमति नहीं है। यदि किसी भी समय सेवा प्रदाता या उसके किसी भी कर्मचारी को ऐसा व्यक्ति पाया जाता है, जिसने उपर्युक्त निविदा प्रस्तुत करने, या सेवा प्रदाता की सेवा में नियुक्ति, जैसा मामला हो, से पहले राज्य / केंद्र सरकार या नियोक्ता की अनुमति प्राप्त नहीं की है तो ऐसी कोई संविदा को रद्द कर दिया जाएगा।

2.8. हितों का टकराव

2.8.1 संविदा के चालू रहने और इसकी समाप्ति के बाद, सेवा प्रदाता और उसके सहयोगियों को सेवाओं के परिणामस्वरूप या उससे संबंधित किसी भी परियोजना के लिए कोई सामान, कार्य या सेवाएं प्रदान करने से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

2.9 असामान्य दरें:

2.9.1 निविदाकार से सभी विनिर्देशों और संविदा की शर्तों पर विचार की गई सभी मदों के निष्पादन में शामिल लागत का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने के बाद प्रत्येक मद की दर उद्धृत करने की अपेक्षा की जाती है। यदि, यह पाया जाता है कि किसी भी मद के लिए निविदाकार द्वारा उद्धृत असामान्य रूप से उच्च या असामान्य रूप से कम है, तो निविदा / बोली को अस्वीकार करने का पर्याप्त कारण होगा जब तक कि निविदाकार (मांग पर) द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली ऐसी दर के लिए नियोक्ता विश्लेषण की जांच के बाद तर्कसंगतता के बारे में आश्वस्त न हो।

2.9.2 असामान्य रूप से उच्च दर (एएचआर) मद के मामले में, एससीसी में लागू एएचआर खंड के अनुसार इसे पर कार्रवाई की जाएगी।

2.10 **सेवा प्रदाता के सामान्य दायित्व:**

सेवा प्रदाता इस संविदा की निबंधन एवं शर्तों के अनुसार और उसके अधीन होंगे:

2.10.1 सेवाएं / विनिर्देशों और निविदा दस्तावेज की गतिविधि अनुसूची के कार्यक्षेत्र के अनुसार सेवाओं को निष्पादित करें, आम तौर पर स्वीकार्य पेशेवर तकनीकों और प्रथाओं के अनुसार सभी उचित परिश्रम और दक्षता के साथ अपने दायित्वों को पूरा करें और ध्वनि प्रबंधन प्रथाओं का पालन करें तथा उपयुक्त उन्नत प्रौद्योगिकी और सुरक्षित पद्धति को लागू करें। पूरा होने पर यह कार्य / सेवाएं उस उद्देश्य के लिए उपयुक्त होंगी जिसके लिए सेवाओं को विशेष रूप से संविदा में परिभाषित किया गया है।

2.10.2 सेवा प्रदान करने के लिए आवश्यक सभी श्रमिक प्रदान करें जब तक कि इसे अन्यथा सेवाओं के कार्यक्षेत्र या संविदा की विशेष शर्तों में प्रदान नहीं किया जाता है।

2.10.3 इस संविदा की शर्तों के अनुसार आवश्यक सभी अन्य दायित्वों, कार्यों / सेवाओं को निष्पादित करें या जिन्हें संविदा के अनुसार आवश्यक सेवा प्रदान करने के लिए ऐसी शर्तों को उचित रूप से शामिल किया जा सकता है।

2.10.4 आवश्यक सेवाओं के लिए अपनी बोली की सटीकता और पर्याप्तता की दृष्टि से अपनी निविदा प्रस्तुत करने से पहले खुद को संतुष्ट करें और उद्धृत दरों और कीमतों के अनुसार, जो दरें और कीमतें अन्यथा प्रदान की गई हैं, संविदा के तहत अपने सभी दायित्वों को शामिल करें।

2.10.5 सेवाओं के निष्पादन के दौरान सभी आवश्यक पर्यवेक्षण प्रदान करें या उसके बाद वारंटी अवधि / डीएलपी के भीतर नियोक्ता संविदा के अंतर्गत सेवा प्रदाता के दायित्वों को उचित रूप से पूरा करने पर आवश्यक विचार कर सकते हैं।

2.10.6 सेवा प्रदाता द्वारा किए जा रहे नियोक्ता की सेवाओं को बाधित न करें और कार्यों / सेवाओं को करने के लिए निम्नलिखित को सुविधा प्रदान करें:

- नियोक्ता के कर्मियों, और / या
- नियोक्ता द्वारा नियोजित कोई अन्य ठेकेदार / सेवा प्रदाता, और / या
- सार्वजनिक प्राधिकरण के कर्मचारी / तृतीय पक्ष

इसके अलावा, सेवा प्रदाता तीसरे पक्ष की मौजूदा सुविधाओं को नुकसान पहुंचाए बिना कार्यों को सावधानीपूर्वक निष्पादित करेगा और ऐसे होने के मामले में तुरंत ईआईसी के ध्यान में लाएगा।

इसके अलावा, संविदा के तहत दिन-प्रतिदिन के कार्यों का समन्वय और निरीक्षण अभियंता-प्रभारी (ईआईसी) की ज़िम्मेदारी होगी। किसी भी सांविधिक प्राधिकारी सहित ईआईसी या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को हर समय, साइट पर या सेवा प्रदाता के परिसर / कार्यशालाओं पर या जहां सेवा प्रदाता का कार्य चल रहा हो, वहां सेवाओं तक पहुंच बनाने और उनका निरीक्षण करने की पूरी शक्ति और अधिकार है और सेवा प्रदाता ऐसे निरीक्षण के लिए प्रत्येक सुविधा प्रदान करने का खर्च वहन करेगा। ऐसे निरीक्षण से सेवा प्रदाता संविदा के अंतर्गत किसी भी दायित्व से मुक्त नहीं हो जाएगा।

2.11 सेवा प्रदाता के प्रतिनिधि और कार्मिक:

2.11.1 सेवा प्रदाता एक व्यक्ति (*"सेवा प्रदाता का प्रतिनिधि"*) नियुक्त करेगा जो सेवा की प्रगति के दौरान हर समय प्रतिनिधित्व करने और सेवा के निष्पादन में नियोक्ता द्वारा किए गए किसी भी अनुरोध को पूरा करने और कार्य करने के लिए इस संविदा की शर्तों के अनुसार जिम्मेदार होगा।

2.11.2 सेवा प्रदाता के प्रतिनिधि के पास संविदा के तहत सेवाओं के निष्पादन से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में सेवा प्रदाता का प्रतिनिधित्व करने और उसे बाध्य करने का पूरा अधिकार होगा, और नियोक्ता सेवा प्रदाता के प्रतिनिधि के सभी निर्णयों पर भरोसा करने का पात्र होगा जैसे कि वे सेवा प्रदाता के ही निर्णय थे।

2.11.3 सेवा प्रदाता का प्रतिनिधि इस संविदा के तहत अपने दायित्वों के सभी पहलुओं की गुणवत्ता की निगरानी और समन्वय सुनिश्चित करेगा। सेवा प्रदाता नियोक्ता की पूर्व स्वीकृति के बिना अपने प्रतिनिधि को नहीं बदलेगा।

2.11.4 सेवा प्रदाता का प्रतिनिधि नियोक्ता के साथ उचित समन्वय और सेवाओं को समय पर पूरा करने और उससे संबंधित किसी भी मामले के लिए संपर्क करेगा।

2.11.5 सेवा प्रदाता का प्रतिनिधि उपकरण, सामग्री, प्रक्रियाओं, निष्पादन, रिपोर्टों और रिकॉर्डों का पर्यवेक्षण / निरीक्षण/ अवलोकन करने के लिए उनके द्वारा अपेक्षित ढंग से नियोक्ता के प्रतिनिधियों / निरीक्षक को पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा।

2.11.6 सेवा प्रदाता के प्रतिनिधि को सेवा के निष्पादन में लगे अपने कर्मियों पर पूरा नियंत्रण होगा और वह नियमों और विनियमों तथा सुरक्षा प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

2.11.7 यदि सेवा प्रदाता का प्रतिनिधि ईआईसी को स्वीकार्य न हो, तो सेवा प्रदाता, जैसे ही व्यावहारिक होगा, उसे वापस लेने के संबंध में कार्रवाई करेगा, उसे वापस लेने का नोटिस प्राप्त होने के बाद, प्रतिनिधि को हटाएगा और उसके बाद उसे पुन: किसी पद पर नियोजित नहीं करेगा और उसे ईआईसी को स्वीकार्य किसी अन्य प्रतिनिधि द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2.12 **सेवा प्रदाता के कर्मचारी / कार्मिक:**

सेवाओं को निष्पादित करने और किसी भी दोष में सुधार करने के संबंध में सेवा प्रदाता निम्नलिखित प्रदान करेगा:

(क) अपने संबंधित क्षेत्रों में केवल ऐसे कुशल और अनुभवी काम्रिक; तथा

(ख) ऐसे कुशल, अर्द्ध कुशल और गैर-कुशल श्रमिक, जैसा कि संविदा के तहत सेवा प्रदाता के दायित्वों के उचित और समय पर पूरा करने के लिए जरूरी है।

सेवा प्रदाता कुशल / योग्य / अनुभवी कार्मिक प्रदान करेगा, यदि एससीसी / कार्यक्षेत्र में निर्दिष्ट है।

संविदात्मक जनशक्ति को लगाते समय, सेवा प्रदाता को अनुसूचित जातियों और समाज के कमजोर वर्गों के लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रयास करना आवश्यक है ताकि इन वर्गों का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके।

2.13 संविदा निष्पादन सुरक्षा (सीपीएस):

2.13.1 सेवा प्रदाता नियोक्ता को संविदा निष्पादन सुरक्षा (सीपीएस) प्रदान करेगा, अधिसूचना जारी होने (अर्थात् एफओए / स्वीकृति पत्र) के 30 दिनों के भीतर या अधिसूचना में निर्दिष्ट तारीख, जो भी पहले हो, उसमें निर्दिष्ट राशि को जमा करेगा। संविदा पूर्ण होने की अवधि और दोष देयता अवधि (डीएलपी), यदि कोई हो, को तीन महीने के बाद सीपीएस लौटाया / वापस किया जाएगा। सीपीएस से जुड़े सभी खर्च सेवा प्रदाता द्वारा वहन किए जाएंगे। यदि सीपीएस डिमांड ड्राफ्ट के रूप में है तो नियोक्ता द्वारा इस पर कोई शुल्क या ब्याज नहीं दिया जाएगा।

2.13.2 सेवा प्रदाता सीपीएस को डिमांड ड्राफ्ट या बैंक गारंटी या किसी भी भारतीय अनुसूचित बैंक या भारत में स्थित किसी अंतरराष्ट्रीय बैंक की शाखा, जो भारतीय रिजर्व बैंक के साथ निर्धारित विदेशी बैंक के रूप में पंजीकृत हो, से क्रेडिट के अपरिवर्तनीय पत्र के रूप में प्रस्तुत करेगा। तथापि, राष्ट्रीयकृत भारतीय बैंकों के अलावा, जिन बैंकों के बीजी प्रस्तुत किए जाते हैं, उन्हें सह-वाणिज्यिक बैंक होना चाहिए जिनका निवल मूल्य 100 करोड़ रुपए है और ऐसे वाणिज्यिक बैंक द्वारा या तो बैंक गारंटी में या अलग से शीर्ष-पत्र पर की जानी चाहिए। बैंक गारंटी या साख-पत्र को निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाएगा।

2.13.3 यदि सेवा प्रदाता या उनके कर्मचारी / एजेंट / प्रतिनिधि या उप-सेवा प्रदाता (यदि नियोक्ता द्वारा अधिकृत किया गया है) इस संविदा के निष्पादन के दौरान नियोक्ता की किसी भी संपत्ति/ उपकरण को नुकसान पहुंचाएंगे, तोड़ेंगे, विकृत या नष्ट करेंगे, तो उसे सेवा प्रदाता द्वारा अपने खर्च पर ठीक कराया जाएगा और ईआईसी इसे ठीक करने के लिए किसी अन्य एजेंसियों

को यह कार्य सौंप सकता है और सेवा प्रदाता से इसके लिए 15% ऊपरी खर्च सहित व्यय की वसूली करेगा। इस मामले में ईआईसी का निर्णय सेवा प्रदाता पर अंतिम और बाध्यकारी होगा।

2.13.4 इस संविदा के तहत नियोक्ता को सेवा प्रदाता द्वारा देय सभी मुआवजे, दावे या अन्य राशि का भुगतान उनके संविदा निष्पादन सुरक्षा राशि में से कटौती द्वारा या भुनाकर या किसी भी राशि से किया जा सकता है जो कि नियोक्ता द्वारा सेवा प्रदाता को किसी भी खाते से, जो कोई भी हो, देय हो सकती है और उनके सीपीएस में ऐसी किसी कटौती के कारण या उपर्युक्त की बिक्री द्वारा कमी होने की स्थिति में, सेवा प्रदाता दस दिनों के भीतर बैंक ड्राफ्ट / बीजी / एलसी (जैसा भी मामला हो) के रूप में उपर्युक्त किसी भी राशि या रकम, जो उसके सीपीएस, या उसके किसी भी भाग से कटौती करने या भुनाने के कारण कम हुई हो, की प्रतिपूर्ति करेगा। सेवा प्रदाता नियोक्ता को किसी भी देय राशि का बिना किसी विरोध के भुगतान करेगा। इस संबंध में नियोक्ता द्वारा सेवा प्रदाता को सीपीएस के रूप में जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

2.13.5 सीपीएस जमा राशि में अतिरिक्त कार्यों / सेवाओं सहित पूरे संविदा मूल्य को शामिल किया जाएगा। जब तक दिए गए समय में प्रस्तुत सीपीएस द्वारा अतिरिक्त कार्यों / सेवाओं को निष्पादित किया जाता है और कुल निष्पादित मूल्य दिए गए संविदा मूल्य के भीतर हैं, तो अतिरिक्त सीपीएस की कोई आवश्यकता नहीं होगी। जैसे ही कुल निष्पादित मूल्य दिए गए संविदा मूल्य की सीमा से अधिक होने की संभावना हो, सेवा प्रदाता को डीडी के माध्यम से अतिरिक्त सीपीएस देनी होगी या मौजूदा बीजी/ एलसी में संशोधन को सीपीएस बढ़ाने के लिए प्रस्तुत करना होगा।

2.13.6 खंड 2.13 की आवश्यकताओं का अनुपालन करने में सफल बोलीदाता द्वारा असफल रहने पर नियोक्ता के पास संविदा को रद्द करने, सीपीएस को जब्त करने तथा नियोक्ता द्वारा अन्य कोई कार्रवाई या उपाय करने का पर्याप्त अधिकार माना जाएगा।

2.14 सेवा प्रदाता द्वारा संविदा के प्रावधानों का अनुपालन करने में असफल रहना:

2.14.1 यदि सेवा प्रदाता सेवा या उसके किसी भी भाग को प्रदान करने से इनकार करता है या विफल रहता है, जिससे संविदा या उसके विस्तार में निर्दिष्ट समय के भीतर उसका निष्पादन सुनिश्चित होता हो या संविदा के तहत किसी भी तरह से अपने दायित्व को पूरा करने में विफल रहता है या किसी भी तरीके से संविदा के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है तो नियोक्ता के लिए सेवा प्रदाता को लिखित नोटिस देने का विकल्प होगा:

क) संविदा को निर्धारित करने के लिए, जहां संविदा को रद्द किया जाएगा और लागू नहीं रहेगी और इस संबंध में नियोक्ता द्वारा नियुक्त तारीख को लागू या प्रभावी नहीं रह जाएगी, जिसके द्वारा सेवा प्रदाता चल रही किसी भी सेवा को तत्काल रोक देगा, सिवाय इसके कि नियोक्ता के रूप में ऐसी सेवा, लिखित रूप में, किसी भी संपत्ति या कार्य या क्षति से स्थापनाओं की रक्षा के लिए की जानी चाहिए, और नियोक्ता, इसके भाग के रूप में सेवा प्रदाता के अधूरे शेष सेवा कार्य को ले सकता है और किसी अन्य सेवा प्रदाता से या अन्य किसी साधन द्वारा, ओर सेवा प्रदाता के जोखिम और लागत पर पूरा करा सकता है, और उसकी कोई भी प्रतिभूति, यदि कोई हो, नियोक्ता द्वारा ऐसी सेवा का

नियोजन करने पर लगने वाली किसी भी अतिरिक्त लागत नियोक्ता का उत्तरदायित्व होगी, जिसे नियोक्ता द्वारा मात्रा और दर / मूल्यों की अनुसूची में निर्दिष्ट दरों पर लागत के अतिरिक्त लिया जाएगा।

ख) संविदा को पूरा न करने पर सेवा प्रदाता की सेवा और उसके किसी भी भाग की सेवा का अधिग्रहण करने और सेवा प्रदाता के जोखिम और लागत पर उसे अन्य साधनों द्वारा अन्य सेवा प्रदाता से इसे पूरा कराया जाएगा। सेवा प्रदाता द्वारा किए न गए अधूरे कार्य को ऐसी सेवा के रूप में मात्रा अनुसूची / दरों की अनुसूची में निर्दिष्ट दरों से अधिक लागत को नियोक्ता के पास जमा सेवा प्रदाता की किसी भी प्रतिभूति राशि से पूरा किया जाएगा।

2.14.2 खंड 2.14.1 (क) या (ख) की ऐसी स्थिति में, निम्नलिखित लागू होंगे:-

क) सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत संविदा निष्पादन सुरक्षा राशि के पूर्ण या आंशिक भाग को नियोक्ता द्वारा सेवा प्रदाता से उपरोक्त उप-खंड में उल्लिखित अतिरिक्त लागत की वसूली करने के लिए नियोक्ता के अधिकार के प्रति पूर्वाग्रह के बिना जब्त किया जा सकता है। नियोक्ता को सेवाओं को पूरा करने के लिए सेवा प्रदाता की सेवा साइट पर उपलब्ध सामग्रियों, उपकरणों और संयंत्र के किसी भाग को आवश्यकता अनुसार लेने का अधिकार होगा और सेवा प्रदाता को ऐसी सामग्री, उपकरण और संयंत्र के उपयोग या क्षति के लिए कोई भी मुआवजे लेने का अधिकार नहीं होगा।

ख) सेवा प्रदाता द्वारा पहले से निष्पादित सेवा के कारण देय राशि उसे तब तक देय नहीं होगी, जब तक संविदा की समाप्ति की तारीख से छह (6) कैलेंडर माह के पूरा होने या नियोक्ता द्वारा सेवा या उसके किसी भाग को वापस लेने, जैसा भी मामला हो, तक भुगतान नहीं किया जाएगा, और इस अवधि के दौरान, संविदा के तहत ऐसी सेवा के संबंध में दोषपूर्ण सामग्री या कार्य-कौशल की जिम्मेदारी, पूरी तरह से सेवा प्रदाता की होगी। इस राशि की कटौती नियोक्ता के पास आरक्षित या जमा राशि या अधिकृत संविदा की शर्तों के अंतर्गत संविदा के कारण नियोक्ता को देय राशि में से की जाएगी।

2.14.3 खंड 2.14.1 (क) या (ख) के अनुसार कोई कार्रवाई करने से पहले यदि नियोक्ता के निर्णय में, सेवा प्रदाता द्वारा की गई चूक को सेवा प्रदाता को कोई अवसर देने पर ठीक किया जा सकता है, तो नियोक्ता नोटिस में निर्दिष्ट समय के भीतर चूक को ठीक करने के लिए सेवा प्रदाता को लिखित में नोटिस जारी कर सकता है।

2.14.4 नियोक्ता को 2.14.1 (क) या (ख) के अनुसार आगे कार्रवाई करने का अधिकार होगा, यदि सेवा प्रदाता दिवालिया, धन चुकाने, अपने लेनदारों का ऋण चुकाने में असमर्थ हो जाता है, संविदा को अपने लेनदारों या अन्य किसी व्यक्ति के पक्ष में कर देता है या कंपनी या कॉर्पोरेशन होने के नाते स्वैच्छिक परिसमापन को चुन लेता है, बशर्ते कि उक्त स्थितियों में नियोक्ता के लिए सेवा प्रदाता को कोई पूर्व सूचना देना आवश्यक नहीं होगा।

2.14.5 उप-धारा 2.14.1 (क) में दिए गए संविदा की समाप्ति नियोक्ता के अपने अधिकारों को पूर्वाग्रह या प्रभावित नहीं करेगी, जो इस तरह की समाप्ति की तारीख तक अर्जित हो सकती हैं।

2.15 खंड 2.14 में कार्रवाई न करने पर सेवा प्रदाता को मुआवजा देना

2.15.1 यदि किसी भी मामले में नियोक्ता को धारा 2.14 के द्वारा प्रदत्त किसी भी शक्ति का उपयोग करना जरूरी हो जाता है और इसका उपयोग नहीं किया गया था, तो इसका प्रयोग न करने पर किसी भी शर्त में छूट नहीं दी जाएगी और किसी भी अन्य मामले के लागू होने के बावजूद ऐसी शक्तियों का सेवा प्रदाता द्वारा चूक के रूप में प्रयोग किया जाएगा, जिसके लिए किसी भी खंड या खंड द्वारा उसे अपनी संविदा निष्पादन सुरक्षा की प्रतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी घोषित किया गया है, और इसका सेवा प्रदाता की पिछली और भावी देयता की प्रतिपूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि नियोक्ता पूर्व खंड द्वारा उसमें निहित उपरोक्त उप-धारा 2.14 (क) या 2.14 (ख) के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करना चाहता है, तो वह सभी या सेवा प्रदाता से संबंधित स्थल पर या उसके द्वारा खरीदी गई सभी या किसी औजार और संयंत्रों, सामग्री और भंडार का अधिग्रहण कर सकता है और उसका उपयोग सेवा या उसके किसी भाग का निष्पादन करने, जिसका भुगतान संविदा दरों के अनुसार किया जाएगा या यदि ये लागू नहीं हो रहे हैं, तो वर्तमान बाजार दरों पर किया जाएगा, जिसे ईआईसी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा, जिसका प्रमाण पत्र अंतिम होगा, अन्यथा ईआईसी सेवा प्रदाता या सेवा प्रदाता के प्रतिनिधियों को लिखित में नोटिस देकर उसे ऐसे उपकरण, संयंत्र, सामग्री या भंडारों को परिसर से हटाने का नोटिस दे सकता है (ऐसे नोटिस में निर्दिष्ट समयावधि के भीतर)।

सेवा प्रदाता द्वारा ईआईसी के नोटिस में उल्लिखित अवधि के भीतर सामग्री / उपकरण / संयंत्र / भंडार आदि को हटाने के लिए कोई कार्रवाई न करने पर, नियोक्ता सेवा प्रदाता को किसी अन्य संबंधित देयता से छूट दिए बिना प्रत्येक माह या उसके भाग के लिए सामग्री औजार / संयंत्र/ भंडार के अनुमानित मूल्य की 5% की दर से रखरखाव और भंडारण प्रभार की वसूली करने का भी अधिकार होगा। यदि सेवा प्रदाता ईआईसी सेवा प्रदाता की आरे से और सभी पहलुओं पर उसके जोखिम पर नीलामी या निजी बिक्री के माध्यम से इसे हटाने के लिए कार्रवाई कर सकता है। सेवा प्रदाता नियोक्ता को ईआईसी द्वारा दिए गए नोटिस की तारीख से नियोक्ता द्वारा सामग्री को हटाए जाने की तारीख से प्रति माह रखरखाव अौर भंडारण प्रभार का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगा तथा ऐसी सामग्रियों के 15% बिक्री मूल्य की दर से ऊपरी शीर्ष प्रभार लिया जाएगा। नकारात्मक या शून्य बिकी मूल्य में, ऊपरी शीर्ष प्रभार रखरखाव और भंडारण प्रभार पर लागू होंगे। ऐसी सामग्री हटाने और प्राप्त आय की रशि के संदर्भ में आईईसी का निर्णय सेवा प्रदाता पर अंतिम और बाध्यकारी होगा।

2.16 संविधान में परिवर्तन:

2.16.1 जहां सेवा प्रदाता कोई साझेदारी फर्म है, वहां फर्म के संविधान में कोई परिवर्तन करने से पहले नियोक्ता से लिखित में पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। जहां सेवा प्रदाता कोई व्यक्ति या हिंदू अविभाजित पारिवारिक व्यवसाय कंपनी है, वहां उपर्युक्त के रूप में ऐसी स्वीकृति, ऐसे सेवा प्रदाता से पहले अन्य पार्टियों के साथ कोई भी समझौते करने से पहले प्राप्त की जाएगी, जहां पुनर्निर्मित फर्म को सेवा प्रदाता द्वारा ली गई ऐसी सेवा करने का अधिकार होगा। किसी भी मामले में यदि उपर्युक्त अनुसार पूर्व अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया है, तो संविदा को धारा 2.23 के उल्लंघन में आवंटित माना जाएगा।

2.17 संविदा समाप्ति :

2.17.1 मृत्यु होने पर संविदा की समाप्ति

यदि सेवा प्रदाता कोई व्यक्ति या मालिकाना कंपनी है और व्यक्ति या मालिक की मृत्यु हो जाती है या यदि सेवा प्रदाता कोई भागीदारी कंपनी है और एक भागीदार की मृत्यु हो जाती है, और जब तक कि नियोक्ता संतुष्ट न हो कि व्यक्ति या मालिकाना का कानूनी प्रतिनिधि कंपनी या जीवित सहयोगी संविदा को पूरा करने और पूरा करने में सक्षम हैं, नियोक्ता मृत सेवा प्रदाता की संपत्ति को किसी भी मुआवजे के भुगतान के लिए उत्तरदायी न होने के बावजूद और/ या सेवा प्रदाता की फर्म में जीवित भागीदारों की संविदा रद्द करने के कारण अधूरे भाग की संविदा को रद्द कर सकता है। ऐसे मूल्यांकन में नियोक्ता/ ईआईसी का निर्णय पार्टियों पर अंतिम और बाध्यकारी होगी। संविदा को इस प्रकार रद्द करने की स्थिति में, नियोक्ता संविदा के पूरा न होने पर किसी भी नुकसान के लिए मृत सेवा प्रदाता और / या सेवा प्रदाता की फर्म के जीवित भागीदारों की संपत्ति को नहीं रखेगा।

2.17.2 परिसमापन / दिवालिया आदि के मामले में संविदा समाप्ति

यदि सेवा प्रदाता भंग हो जाता है या दिवालिया हो जाता है या धन चुकाने में असमर्थ हो जाता है या अपने लेनदारों के साथ किसी भी परिसंपत्ति के लिए या कॉर्पोरेशन को बंद करने के लिए किसी भी रिसीवर को अपने व्यवसाय के लिए नियुक्त करता है, जो समायोजन या पुनर्निर्माण के उद्देश्य से सदस्य की स्वेच्छा से न हो, या अपने व्यवसाय को अपने किसी लेनदार के लाभ के लिए रिसिवर के अधीन अपना व्यवसाय जारी रखता है, तो नियोक्ता को उपरोक्त किसी भी स्थिति के घटित होने की सूचना प्राप्त होने के तुरंत बाद संविदा को समाप्त करने या सेवा प्रदाता को रिसीवर या परिसमापक या अन्य किसी व्यक्ति को लिखित में नोटिस देने या संविदा को चलाने का विकल्प देने की स्वतंत्रता होगी बशर्ते कि वे संविदा का उचित और निष्ठापूर्वक निष्पादन करने के लिए नियोक्ता द्वारा सहमत राशि की गारंटी प्रदान करें।

2.17.3 भ्रष्ट / धोखाधड़ी / कपटपूर्ण / संलिप्तता/ धमकाने के कारण संविदा की समाप्ति और अनुपालन न करना

यदि बोलीदाता / सेवा प्रदाता भ्रष्ट / धोखाधड़ी / संलिप्तता / धमकाने में शामिल पाया जाता है, तो संविदा समाप्त कर दी जाएगी और बोलीदाता / सेवा प्रदाता को भविष्य में गेल के साथ व्यवसाय करने के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। इस संबंध में निलंबन सहित प्रतिबंध लगाने की विस्तृत प्रक्रिया परिशिष्ट 1 के रूप में देखी जा सकती है।

संविदा प्रदाता द्वारा निष्पादन न करने के कारण, जिसके कारण संविदा समाप्त हुई है, सेवा प्रदाता को प्रारंभिक तौर पर निलंबन सूची में रखा जाएगा और इसके बाद नियोक्ता की अवकाश सूची में विस्तृत प्रक्रिया में उल्लिखित अवधि को मालिक / नियोक्ता द्वारा सूचना की तारीख से गिना जाएगा। इस संबंध में निष्पादन के मूल्यांकन के लिए विस्तृत प्रक्रिया संलग्न परिशिष्ट 2 के रूप में देखी जा सकती है।

2.17.4 सुविधा समाप्ति

संविदा में निहित कुछ भी होने के बावजूद, नियोक्ता 30 (तीस) दिनों का लिखित नोटिस देकर पूरे या कुछ भाग की संविदा समाप्त कर सकता है। खंड 2.18 में उल्लिखित भुगतान के अतिरिक्त, सेवा प्रदाता को परस्पर तय शर्तों पर की गई कार्य-मुक्ति और अन्य लागत के लिए मुआवजा दिया जाएगा।

ऐसी संविदा समाप्ति के मामले में, नियोक्ता का भुगतान करने का दायित्व, संविदा के प्रावधान के अनुसार, संविदा समाप्ति की तारीख को सेवा प्रदाता द्वारा पूरा किए गए कार्य की सीमा तक ही सीमित होगा, बशर्ते कि सेवा प्रदाता द्वारा संविदा की अन्य शर्तों का अनुपालन किया जाए।

संविदा की समाप्ति के बावजूद, पक्षकार इस संविदा के प्रावधानों से बंधे रहेंगे, जिसके लिए ऐसे समापन के बाद उचित रूप से कुछ कार्रवाई या लामबंदी की आवश्यकता होती है।

2.18 समाप्ति के मामले में देय राशि:

2.18.1 यहां समाप्त होने के सभी मामलों में, नियोक्ता का भुगतान करने का दायित्व, सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की गई सेवा की सीमा तक सीमित होगा, जो कि समाप्ति की तारीख को संविदा के प्रावधान के अनुसार सीमित होगा, बशर्ते कि सेवा प्रदाता द्वारा संविदा की अन्य शर्तों का अनुपालन किया जाए। संविदा की समाप्ति के बावजूद, पार्टियां इस संविदा के प्रावधानों से बंधी रहेंगी, जिसके लिए ऐसे समाप्ति के बाद उचित रूप से कुछ कार्रवाई या लामबंदी की आवश्यकता होती है।

2.19 नियोक्ता के सदस्यों की व्यक्तिगत ज़िम्मेदार नहीं:

2.19.1 नियोक्ता के निदेशक, या पदाधिकारी या कर्मचारी किसी भी तरह से संविदा के तहत नियोक्ता के कार्यों या दायित्वों के लिए व्यक्तिगत रूप से बाध्य या उत्तरदायी नहीं होंगे या किसी भी कार्य के पालन या निष्पादन में किसी भी चूक या कमी, इससे संबद्ध मामलों या चीजों के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।

2.20 नियोक्ता की व्यक्तिगत प्रतिनिधियों से बाध्यता नहीं

2.20.1 सेवा प्रदाता किसी भी व्यक्ति द्वारा दिए गए किसी भी प्रतिनिधित्व, स्पष्टीकरण कथन या कथित प्रतिनिधित्व, वादे या गारंटी के कारण किसी भी अधिकार या किसी अन्य अधिकार या किसी भी दावे पर दावा करने का हकदार नहीं होगा।

2.21 अप्रत्याशित स्थितियां:

2.21.1 किसी भी पार्टी को अप्रत्याशित स्थितियों द्वारा संविदा के तहत उनके द्वारा किए जाने वाले किसी भी दायित्व को निष्पादित करने में असमर्थ होने की स्थिति में ऐसी अप्रत्याशित स्थितियों से प्रभावित पार्टी के सापेक्ष दायित्व को अन्य पक्ष को अधिसूचना के लिए निलंबित कर दिया जाएगा, जिसके दौरान अप्रत्याशित स्थितियां बनी रहती हैं। किसी भी पार्टी को हुई लागत और हानि को संबंधित पार्टियों द्वारा वहन किया जाएगा।

"अप्रत्याशित स्थितियां" शब्द यहां नियोजित के रूप में शामिल होगा:

(क) आतंकवाद का कार्य;

(ख) दंगा, युद्ध, आक्रमण, विदेशी दुश्मनों का कार्य, शत्रुता (चाहे युद्ध घोषित किया जाए या नहीं), गृह युद्ध, विद्रोह, क्रांति, सैन्य या उग्र शक्ति का विद्रोह;

(ग) आयनकारी विकिरण या प्रदूषण, परमाणु ईंधन, रेडियोधर्मी विषाक्त विस्फोटक या किसी भी विस्फोटक असेंबली या परमाणु घटक के अन्य खतरनाक गुणों के दहन से किसी परमाणु ईंधन से या किसी परमाणु अपशिष्ट से रेडियो गतिविधि;

(घ) महामारी, भूकंप, बाढ़, आग, झंझावत, आंधी-तूफान, या अन्य भौतिक प्राकृतिक आपदा, लेकिन गंभीरता के बावजूद मौसम की स्थिति को छोड़कर; तथा

(ड.) माल भाड़ा घाटबंधी, किसी भी देश में राष्ट्रीय या राज्यव्यापी स्तर पर राष्ट्रीय या राज्यव्यापी स्तर या औद्योगिक हड़ताल, जहां कार्य/ सेवाएं की जाती हैं, और जो कार्य / सेवाओं के एक आवश्यक हिस्से को प्रभावित करती है लेकिन इसमें वह औद्योगिक विवाद शामिल नहीं है, जो कार्य/ सेवाओं या संविदा के निष्पादन से संबंद्ध हो।

संदेह से बचने के लिए, खराब मौसम, तृतीय पक्ष उल्लंघन, सामग्रियों की आपूर्ति में देरी (देशव्यापी ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल के अलावा) या कोई वाणिज्यिक कठिनाई की घटना अप्रत्याशित स्थितियों में शामिल नहीं होगी।

2.21.2 अप्रत्याशित स्थितियों की अधिसूचना

प्रभावित पार्टी अप्रत्याशित स्थितियों के बारे में जानकारी होने या जिस तारीख से उसे अप्रत्याशित स्थितियों के बारे में ज्ञात होता है, 10 (दस) दिनों के भीतर घटना का पूर्ण विवरण देगी और अप्रत्याशित स्थितियों की घटना के कारण संविदा के तहत अपने दायित्वों को निष्पादित करने में होने वाली रूकावट, या विलंब होने की बाध्यता को सूचना देगी।

2.21.3 किसी भी पार्टी को संविदा समाप्त करने का अधिकार

यदि अप्रत्याशित स्थितियां उत्पन्न होती हैं और इसका प्रभाव इस खंड के तहत 365 (तीन सौ पैंसठ) दिनों की अवधि में 180 (एक सौ अस्सी) दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए निरंतर जारी रहता है, तो कोई भी पक्ष दूसरी पार्टी को 30 (तीस) दिनों की लिखित सूचना जारी करके संविदा को समाप्त कर सकता है।

इसके अलावा, सेवा प्रदाता साइट से सेवा प्रदाता के सभी उपकरणों को तत्परता से हटाएगा और ऐसा करने के लिए अपने उप सेवा प्रदाता को समान सुविधाएं प्रदान करेगा।

2.21.4 अप्रत्याशित स्थितियों के कारण संविदा समाप्ति के मामले में भुगतान

प्रभावी वसूली / प्रतिधारण के साथ अप्रत्याशित स्थितियों की प्रासंगिक घटना के शुरू होने की तारीख तक किए गए कार्यों / सेवाओं के लिए संविदा मूल्य सेवा प्रदाता को देय होगा।

सेवा प्रदाता के पास निम्नलिखित का कोई अधिकार नहीं होगा और नियोक्ता की कोई देयता नहीं होगी:

क) अप्रत्याशित स्थितियों की घटना के दौरान कुल संविदा मूल्य की हानि, व्यय, क्षति या किसी भी भाग का भुगतान करना; तथा

ख) अप्रत्याशित स्थितियां की घटना के कारण सेवा प्रदाता द्वारा किए गए किसी भी तरह से विलंब होने की लागत देना।

2.21.5 अप्रत्याशित स्थितियों द्वारा सापेक्ष दायित्व के निष्पादन के रूके रहने की समयावधि को उतनी ही अवधि के लिए बढ़ाया जाता है जब तक ऐसा कारण रहा हो।

2.21.6 युद्ध छिड़ना:

यदि संविदा की वर्तमान अवधि के दौरान युद्ध हो जाता है, चाहे घोषित हो या अघोषित, तो दुनिया के उस हिस्से में, जो आर्थिक रूप से या अन्यथा भौतिक रूप से कार्य के निष्पादन को प्रभावित करता है, सेवा प्रदाता जब तक संविदा समाप्त नहीं हो जाती इस खंड में प्रावधानों के तहत कार्य / सेवाओं के निष्पादन को पूरा करने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयासों का उपयोग करना जारी रखेगा, बशर्ते कि नियोक्ता का किसी भी समय युद्ध प्रारंभ होने पर किसी भी समय सेवा प्रदाता को लिखित में नोटिस देकर संविदा को समाप्त कर सकता है या पुन: बातचीत कर सकता है और ऐसा नोटिस देने पर संविदा इस खंड के तहत पार्टियों के अधिकारों की रक्षा करेगी तथा विवादों और मध्यस्थता के निपटान के पात्र अधिकारों का संचालन समाप्त कर दिया जाएगा, लेकिन किसी भी पूर्ववर्ती उल्लंघन के संबंध में किसी भी पार्टी का अधिकार पूर्ववृत्त बना रहेगा।

2.22 मूल्य निर्धारण अनुसूची:

2.22.1 समय संविदा के लिए महत्वपूर्ण है। यदि सेवा प्रदाता आवश्यक जनशक्ति और पूर्ण उपकरणों को जुटाने/ तैनात करने में विफल रहता है ताकि संग्रहण अवधि के भीतर सेवाओं को शुरू किया जा सके और निर्धारित अवधि के भीतर सेवाओं को पूरा किया जा सके, तो जब तक ऐसी विफलता उपर्युक्त खंड 2.21 में परिभाषित अप्रत्याशित स्थितियों के कारण नहीं होती, या नियोक्ता की चूक के कारण, विलंब के कारण मूल्य में कमी द्वारा न कि दंड स्वरूप द्वारा संविदा के कुल मूल्य के अधिकतम 5 (पांच)% के अधीन विलंब या उसके भाग के संविदा के कुल मूल्य का (आधा) % घटाया जाएगा।

नियोक्ता, सेवा प्रदाता को देय राशि / मांग पर देय संविदा की निष्पादन सुरक्षा राशि से उक्त राशि को समायोजित या कटौती करने के लिए स्वतंत्रता होगा।

मूल्य घटाने की अनुसूची की प्रयोज्यता के संबंध में ईआईसी का निर्णय सेवा प्रदाता पर अंतिम और बाध्यकारी होगा।

2.22.2 पार्टियां इस बात से सहमत हैं कि यह सेवा प्रदाता की ओर से हुए विलंब के कारण नियोक्ता द्वारा नुकसान/ क्षति का लगाया गया वास्तविक अनुमान है और उक्त राशि को सेवा प्रदाता को देय राशि से समायोजित किया जाएगा, भले ही किसी विलंब / उल्लंघन के कारण वास्तविक हानि या क्षति का कोई प्रमाण न हो।

2.22.3 मूल्य घटाने की गणना कर और कर्तव्यों को छोड़कर संविदा के कुल मूल्य / संविदा का निष्पादित मूल्य (जैसा मामला हो) के आधार पर की जाएगी, जहां ऐसे करों और कर्तव्यों को अलग से दिखाया गया है।

2.22.4 जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, संविदा के निष्पादन में विलंब के मामले में, सेवा प्रदाता मूल्य घटाने के खंड के अनुसार कम मूल्य का चालान प्रस्तुत करेगा। यदि सेवा प्रदाता ने पूर्ण मूल्य का चालान प्रस्तुत किया है, तो सेवा प्रदाता लागू मूल्य न्यूनीकरण अनुसूची राशि के लिए क्रेडिट नोट जारी करेगा।

यदि सेवा प्रदाता कम मूल्य का चालान प्रस्तुत करने में विफल रहता है या उपरोक्त वर्णित क्रेडिट नोट जारी नहीं करता है, तो गेल न्यूनीकरण अनुसूची खंड को प्रभावित करने के बाद सेवा प्रदाता को भुगतान जारी करेगा।

यदि कीमत में कमी किए बिना या क्रेडिट नोट जारी किए बिना चालान जारी करने के कारण गेल पर कोई वित्तीय निहितार्थ उत्पन्न होता है, तो यह सेवा प्रदाता के खाते में डाला जाएगा।

2.23 कार्य / उप-पट्टा:

2.23.1 सेवा प्रदाता, अभियंता प्रभारी की पिछली लिखित सहमति से संविदा के किसी भाग को शिकमी नहीं देगा, हस्तांतरण नहीं करेगा या संविदा या उसके ब्याज या लाभ या उसके किसी भी प्रकार से लाभ के किसी भी हिस्से को निर्दिष्ट नहीं करेगा। बशर्ते कि, ऐसी किसी सहमति से संविदा प्रदाता संविदा के अंतर्गत अपने किसी भी दायित्व, कर्तव्य या जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो जाएगा।

2.23.2 सेवाओं के मूल कार्यक्षेत्र को उप-पट्टे पर नहीं दिया जा सकता है। तथापि, सेवा प्रदाता के विशिष्ट अनुरोध पर और नियोक्ता की लिखित सहमति के अधीन, सेवा प्रदाता सेवाओं से संबंधित संबद्ध / आकस्मिक कार्यों को उप-पट्टे पर दे सकता है। ऐसी सहमति से संविदा प्रदाता संविदा के अंतर्गत अपने किसी भी दायित्व, कर्तव्य या जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो जाएगा, और सेवा प्रदाता इसके अंतर्गत उललिखित सेवाओं के प्रति संविदा के निष्पादन और प्रदर्शन के लिए पूरी तरह उत्तरदायी होगा।

2.23.3 पूरी संविदा की उप-पट्टे पर देना प्रतिबंधित है। इस संबंध में सेवा प्रदाता द्वारा प्रत्येक चालान/ बिल के साथ एक वचनपत्र दिया जाएगा।

2.24 ग्रहणाधिकार:

2.24.1 यदि किसी भी समय कोई ग्रहणाधिकार या दावा किया जाता है जिसके लिए नियोक्ता उत्तरदायी हो सकता है और जिसका प्रभार सेवा प्रदाता द्वारा देय है, तो नियोक्ता को किसी भी देय भुगतान को रखने का अधिकार होगा या उसके बाद इस तरह के ग्रहणाधिकार या दावे के खिलाफ नियोक्ता को पूर्ण रूप से क्षतिपूर्ति करने के लिए पर्याप्त मात्रा में राशि के देय होने और यदि ऐसा ग्रहणाधिकार या दावा मान्य है, तो नियोक्ता इसका भुगतान कर सकता है और उसका निर्वहन कर सकता है और किसी भी राशि से भुगतान की गई राशि की कटौती कर सकता है जो सेवा प्रदाता को देय हो सकती है या बन सकती है। यदि सभी भुगतान किए जाने के बाद कोई ग्रहणाधिकार या दावा बिना निपटान के रह जाता है, तो सेवा प्रदाता नियोक्ता को समस्त धनराशि लौटाएगा या उसका भुगतान करेगा, जिसे बाद में इस तरह के ग्रहणाधिकार या दावे को सभी लागतों और उचित खर्चों सहित छुट्टी में भुगतान करने के लिए बाध्य किया जा सकता है।

2.24.2 नियोक्ता का सेवा प्रदाता द्वारा सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से लाई गई सभी सामग्री, उपकरणों पर ग्रहणाधिकार होगा।

2.24.3 अंतिम भुगतान तब तक देय नहीं होगा जब तक कि सेवा प्रदाता ईआईसी को सभी मौजूदा ग्रहणाधिकार पूरी तरह से नहीं दे देता या छूट नहीं दे देता, जो उसके करार से उत्पन्न हो सकता है या पूर्ण रूप से या सेवा प्रदाता द्वारा ईआईसी द्वारा अनुमोदित प्रारूप में प्रमाणीकरण से प्राप्त हो सकता है, और यह कि श्रमिक, सामग्रियों, सेवाओं के लिए सभी चालानों का भुगतान कर दिया गया है और यदि किसी भी मामले में ईआईसी द्वारा आवश्यक हो, तो एक शपथपत्र द्वारा जहां तक सेवा प्रदाता की जानकारी या सूचना है, राशि जारी करने और प्राप्तियों में सभी श्रम और सामग्री शामिल है जिनके लिए ग्रहणाधिकार लिया जा सकता है।

2.24.4 सेवा प्रदाता समापन / निष्पादन प्रमाण-पत्र जारी होने के दो वर्ष बाद तक नियोक्ता को ऋण या दावों के कारण नियोक्ता के खिलाफ होने वाली सभी देनदारियों और अन्य बाधाओं, जो सेवा प्रदाता या उसके उप-सेवा प्रदाता द्वारा और नियोक्ता की ओर से कोई ऋण या दावे किसी भी व्यक्ति को देय हों, से मुक्त रखेगा, और सेवा प्रदाता नियोक्ता या सेवा प्रदाता, जिसमें इससे संबंधित उप-सेवा प्रदाता भी शामिल हैं, के खिलाफ किए गए किसी दावे या मुकदमे को अपने खर्च पर निपटाएगा। सेवा प्रदाता समापन/ निष्पादन प्रमाण-पत्र जारी होने की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति के बाद भी संतोषजनक निपटान

होने तक, अपने उप-सेवा प्रदाता सहित किसी भी व्यक्ति द्वारा नियोक्ता के खिलाफ कोई नया दावा या मुकदमा दायर होने पर अपने खर्च पर उसका समाधान या निपटान करेगा।

2.25 कर्मचारी या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा विलंब:

2.25.1 यदि सेवा प्रदाता के निष्पादन में नियोक्ता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि की ओर से किसी भी कार्य या चूक के कारण विलंब हो रहा है, तो सेवा को पूरा करने के लिए सेवा प्रदाता को उतने समय के लिए समय विस्तार किया जाएगा, जिस सीमा तक नियोक्ता की ओर से सेवा प्रदाता की सेवाओं के निष्पादन में चूक के कारण विलंब हुआ है।

2.25.2 निविदा दस्तावेज में उपलब्ध कराई गई छूट को छोड़कर ऐसे विलंब और विस्तार के कारणों के लिए संविदा मूल्य में कोई समायोजन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जहां नियोक्ता सहमत समापन समय अनुसूची बनाए रखने के लिए सेवा प्रदाता को कार्य करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। ऐसी स्थिति में सेवा प्रदाता को समय-समय पर छुट्टियों / अवकाश सहित निर्धारित समय के बाद अतिरिक्त समय के लिए सेवा उपलब्ध कराने या समापन तारीख / अंतरिम लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बाध्य किया जाएगा।

2.26 अधिकारों में कोई छूट नहीं:

2.26.1 इस संविदा के किसी भी नियम और शर्तों को किसी भी पक्ष द्वारा परित्यक्त नहीं माना जाएगा, जब तक इस तरह के छूट दोनों पार्टियों के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा लिखित में निष्पादित न की गई हो।

2.27 प्रमाण-पत्र का नियोक्ता के अधिकारों और सेवा प्रदाता की देयता पर कोई प्रभाव न पड़ना

2.27.1 नियोक्ता के ईआईसी द्वारा जारी किए गए किसी अंतरिम भुगतान प्रमाण-पत्र से, न ही नियोक्ता द्वारा किए गए किसी भुगतान, और न ही नियोक्ता द्वारा दी गई सेवा के निष्पादन के लिए बढ़ाए गए किसी समय से सेवा प्रदाता के खिलाफ नियोक्ता के कोई अधिकार प्रभावित नहीं होंगे या सेवा प्रदाता संविदा के उचित निष्पादन के लिए अपने दायित्वों से मुक्त नहीं हो जाएगा, या सेवा कर दी गई है, के अनुमोदन के रूप में नहीं माना जाएगा और किसी प्रमाणपत्र से नियोक्ता को परिवर्तन, संशोधन, विविधता या नियोक्ता द्वारा लिखित में आदेश न की गई अतिरिक्त सेवाओं का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं माना जाएगा या सेवा प्रदाता की देयता के निर्वहन के लिए नियोक्ता क्षतिपूर्ति करने के लिए बाध्य नहीं होगा, चाहे भुगतान देय, निर्धारित या प्रमाणित हो अथवा नहीं, या भुगतान के लिए कोई राशि, जिसके लिए वह नियोक्ता को क्षतिपूर्ति के लिए बाध्य नहीं करेगा।

2.28 भाषा और उपाय:

2.28.1 संविदा से संबंधित सभी दस्तावेज जिनमें विनिर्देश, अनुसूची, नोटिस, पत्राचार, प्रचालन और रखरखाव निर्देश या कोई अन्य लेखन शामिल हो, अंग्रेजी / हिंदी भाषा में लिखा जाएगा। संविदा में माप की मीट्रिक प्रणाली का तब तक उपयोग किया जाएगा, जब तक अन्यथा निर्दिष्ट नहीं किया जाता है।

2.29 सूचना जारी करना:

2.29.1 सेवा प्रदाता इस संविदा या साइट आयामों, मात्रा, गुणवत्ता या अन्य जानकारी के विवरण के तहत विज्ञापन, प्रचार, बिक्री विज्ञप्ति या किसी अन्य माध्यम से, फोटोग्राफ या सेवा की अन्य प्रतिकृति में सूचना का प्रयोग या उपयोग नहीं करेगा, जब तक कि ऐसा करने के लिए नियोक्ता से पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त न कर ली जाए।

2.30 समापन अवधि, संविदा अवधि और संविदा समाप्ति:

2.30.1 सेवा और संविदा अवधि की समापन अवधि संविदा की विशेष शर्तों में उल्लिखित अनुसार होगी।

2.30.2 जब तक कि किसी अन्य संगत खंड के प्रावधानों के तहत सेवाएं समाप्त नहीं की जाती हैं, तब तक इस संविदा को संविदा के प्रावधान के अनुसार दोष देयता अवधि की समाप्ति पर पूरा किया गया माना जाएगा।

2.31 स्वतंत्र क्षमता

2.31.1 पार्टियां चाहती हैं कि इस संविदा द्वारा एक स्वतंत्र सेवा प्रदाता संबंध बनाया जाएगा। इस संविदा के अंतर्गत निष्पादन कर रहे सेवा प्रदाता और उसके कर्मचारी, नियोक्ता के कर्मचारी या एजेंट नहीं हैं। सेवा प्रदाता न तो खुद को बाहर रखेगा और न ही इसके कारण से नियोक्ता के अधिकारी या कर्मचारी होने का दावा करेगा, न ही सेवा प्रदाता अधिकार, विशेषाधिकार या लाभ का दावा करेगा जो कानून द्वारा ऐसे कर्मचारी को प्राप्त होते हैं। कार्य का संचालन और नियंत्रण पूरी तरह से सेवा प्रदाता का होगा।

2.32 नोटिस

2.32.1 सेवा प्रदाता को: सेवा प्रदाता या उनके विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि को दिया जाने वाला कोई भी नोटिस संविदा के नियमों के तहत कार्य स्थल पर नियोक्ता द्वारा फैक्स / ई-मेल या पंजीकृत डाक/ कूरियर से सेवा प्रदाता द्वारा दिए गए पते / संपर्क पते पर किया जा सकता है। ऐसे किसी भी नोटिस को जारी करने का प्रमाण सेवा प्रदाता को दी गई सूचना की पुष्टि के रूप में निर्णायक माना जा सकता है।

2.32.2 कर्मचारी को: संविदा की शर्तों के अंतर्गत नियोक्ता के ईआईसी को दी जाने वाली कोई भी सूचना सेवा प्रदाता द्वारा फैक्स / ई-मेल द्वारा या संबंधित डाक / कूरियर के माध्यम से संबंधित साइट कार्यालय को दी गई मानी जाएगी।

2.32.3 कोई भी पार्टी नामित पते को उस देश में दूसरे पते पर बदल सकती है जहां दूसरी पार्टी को पूर्व सूचना द्वारा सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, जिसकी एक प्रति ईआईसी को दी जाएगी और ईआईसी दोनों पक्षों को पूर्व सूचना देकर ऐसा कर सकता है। इस संबंध में ईआईसी का निर्णय पार्टियों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा।

2.33 गोपनीयता:

सेवा प्रदाता, उसके उप-सेवा प्रदाता और उनके कर्मचारी या तो इस संविदा की समाप्ति के बाद या दो (2) वर्ष के दौरान या उसके अंदर, सेवा / परियोजना, इस संविदा, या नियोक्ता के व्यवसाय या प्रचालन से संबंधित किसी भी मालिकाना या गोपनीय सूचना का नियोक्ता के पूर्व लिखित सहमति के बिना खुलासा नहीं करेंगे।

2.34 बौद्धिक संपदा अधिकार:

सेवा प्रदाता, सेवा प्रदाता के दस्तावेज और सेवा प्रदाता द्वारा (उनकी ओर से) बनाए गए अन्य डिजाइन दस्तावेजों में कापीराइट और अन्य बौद्धिक संपदा अधिकारों की एक प्रतिलिपि रखेगा।

सेवा प्रदाता गोपनीय बाध्यताओं के अधीन संविदा पर हस्ताक्षर करके, संविदा मूल्य के अंदर नियोक्ता को प्रतिलिपि बनाने, उपयोग करने और सेवा प्रदाता के दस्तावेज को प्रचालन, रखरखाव, सेवा की मरम्मत और वैधानिक उद्देश्यों के लिए, न कि किसी अन्य प्रयोजन के लिए, प्रतिलिपि बनाने हेतु एक गैर-समाप्ति, हस्तांतरणीय, गैर-विशिष्ट और रॉयल्टी मुक्त अधिकार प्रदान करेगा। सेवा प्रदाता के ऐसे दस्तावेजों का प्रयोग सेवा प्रदाता की सहमति के बिना, अनुमति दिए गए प्रयोजनों के अलावा, नियोक्ता द्वारा या उसकी ओर से तृतीय पक्ष को प्रयोग के लिए नहीं दिया जाएगा, उसकी प्रतिलिपि नहीं बनाई जाएगी या सूचित नहीं किया जाएगा।

खंड - III

3.0 सेवा निष्पादन

3.1 सेवा निष्पादन:

3.1.1 सभी सेवाएं संविदा दस्तावेजों के प्रावधानों और ईआईसी द्वारा सेवा प्रदाता को समय-समय पर प्रस्तुत किए जाने वाले स्पष्टीकरण, विस्तृत विनिर्देश और निर्देश के अनुरूप प्रदान की जाएंगी। सेवा प्रदाता इस संविदा के तहत सभी उचित कौशल, परिश्रम और देखभाल उद्योग की ठोस पद्धतियों या अंतर्राष्ट्रीय मानकों, जहां लागू हों, (जैसा मामला हो) तथा नियोक्ता की संतुष्टि के अनुसार निष्पादित करेगा और उसके द्वारा निष्पादित ऐसी सेवाओं की संतोषजनक गुणवत्ता के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।

3.2 सेवाओं में परिवर्तन:

3.2.1 सेवाओं के निष्पादन के दौरान, ईआईसी / नियोक्ता इस संविदा के सामान्य कार्यक्षेत्र में सेवाओं में बदलाव कर सकता है, जिसमें परिवर्तन सेवा से संबंधित कार्यप्रणाली और मामूली जोड़ना या हटाना तक ही सीमित नहीं होगा और सेवा प्रदाता सेवा को परिवर्तित करार देगा। इस तरह का परिवर्तन नियोक्ता के लिखित आदेश (अर्थात् संशोधन) द्वारा प्रभावित होगा। उक्त कार्य के समापनके समय को अभियंता प्रभारी के विवेकानुसार विशेष कार्य के भाग के लिए बढ़ाया जाएगा, जो केवल सेवाओं के इस तरह के बदलाव या प्रतिस्थापन के लिए होंगे, जैसा कि उचित और तर्कसंगत समझा जाएगा।

3.2.2 यदि किसी परिवर्तन के कारण सेवा प्रदाता को देय मुआवजे में वृद्धि होती है या ऋण को नियोक्ता पर डाला जाता है, तो सेवा प्रदाता ईआईसी को नियोक्ता द्वारा निर्धारित कार्य में ऐसे मुअआवजे या ऋण की राशि का एक अनुमान प्रस्तुत किया जाएगा। ऐसे अनुमान दरों की अनुसूची में दर्शाई गई दरों पर आधारित होंगे। सेवा प्रदाता के अनुमान की समीक्षा होने पर, नियोक्ता मुआवजे की राशि या परिवर्तन के लिए ऋण या परिवर्तन के लिए तर्कसंगत मुआवजा या ऋण निर्धारित करने के लिए लिखित आदेश देगा।

3.3 घटिया सेवा के मामले में कार्रवाई और मुआवजा:

3.3.1 यदि ईआईसी को यह प्रतीत होता है कि किसी भी सेवा को घटिया, अपूर्ण या अकुशल तरीके से, या किसी भी घटिया विवरण वाली सामग्रियों / जनशक्ति के साथ, या सेवा प्रदाता द्वारा सेवा के निष्पादन के लिए उपलब्ध कराई गई कोई भी सामग्री/ जनशक्ति उस संविदा के अनुसार घटिया या कम गुणवत्ता वाली, या अन्यथा संविदा के अनुसार नहीं है, तो सेवा प्रदाता ईआईसी से लिखित में मांग करेगा या उसका अधिकृत प्रतिनिधि, सेवा, सामग्री या जनशक्ति का उल्लेख करते हुए शिकायत करता है कि इसका भुगतान गलती से पारित कर दिया गया है, अत: इस प्रकार निर्धारित सेवा में उनकी अपनी लागत पर तुरंत सुधार किया जाएगा, और यदि ईआईसी द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के अंदर वह अपनी उपर्युक्त मांग में ऐसा करने में असफल रहता है तो सेवा प्रदाता को प्रत्येक सप्ताह पूर्ण सेवा की अनुमानित लागत के 1% की दर पर मुआवजे का भुगतान करना होगा, जो पूर्ण सेवा के मूल्य के अधिकतम 10% (दस प्रतिशत) तक सीमिति होगा, तथा उसके द्वारा ऐसा करने में विफल रहने पर ईआईसी सेवा प्रदाता के सभी पहलुओं में जोखिम पर और खर्च पर सेवा में सुधार / पुन: निष्पादन, जैसी भी स्थिति हो, की नोटिस की अवधि के समाप्त होने पर गैर-निष्पादन के लिए संविदा समाप्त कर सकता है। इस खंड के अतर्गत उत्पन्न होने वाले किसी प्रश्न के रूप में ईआईसी का निर्णय अंतिम और निर्णायक होगा।

3.4 सेवाओं का निलंबन:

3.4.1 इस खंड के उप-पैरा 3.4.2 के प्रावधानों के अधीन, यदि ईआईसी द्वारा लिखित में आदेश दिया गया है, तो सेवा प्रदाता द्वारा ऐसे लिखित आदेश पर सेवाओं या उसके किसी भी भाग को अस्थायी रूप से निलंबित किया जाएगा और उसमें आगे तब तक सेवा प्रदान न करने का आदेश दिया गया हो, जब तक उसे आगे सेवा प्रदान करने के लिए लिखित में आदेश प्राप्त न दे दिया जाए। सेवा प्रदाता उपर्युक्त सेवाओं के अस्थायी निलंबन के कारण उसके द्वारा किए गए किसी भी नुकसान या क्षति के लिए मुआवजे का दावा प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा। सेवा प्रदाता को आवेदन करने पर कार्य समाप्त करने के लिए बढ़ाया गया समय, उपरोक्त के रूप में सेवाओं के ऐसे किसी भी निलंबन के कारण हुए विलंब के अनुरूप दिया जाएगा,

बशर्ते कि वह उसके लिए आवेदन करे, बशर्ते कि निलंबन सेवा प्रदाता की ओर से किसी भी चूक या विफलता के परिणामस्वरूप नही था।

3.4.2 यदि ईआईसी द्वारा पूरी सेवा के निलंबन के मामले में लिखित में आदेश दिया गया है, जो दो महीने से अधिक की अवधि के लिए है, तो सेवा प्रदाता के पास संविदा को समाप्त करने का विकल्प होगा।

3.5 दोष देयता अवधि:

3.5.1 सेवा प्रदाता जब तक निविदा दस्तावेज में अन्यथा निर्दिष्ट नहीं किया जाता है, ईआईसी द्वारा जारी किए गए समापन प्रमाणपत्र में उल्लिखित सेवा को पूरा करने की तारीख से 12 महीने की अवधि के लिए स्थापना / सेवा की गारंटी देगा। समापन प्रमाण-पत्र, जो उसके द्वारा आपूर्ति किए गए उपकरण या सामग्रियों के साथ किसी भी तरह से संबद्ध है, को जारी करते समय होने वाले किसी नुकसान या दोष, जो इसके दौरान उत्पन्न होता है या अनदेखा रह गया था, को सेवा प्रदाता द्वारा अपने खर्च पर संशोधित या प्रतिस्थापित किया जाएगा। ईआईसी द्वारा आवश्यक समझा जाता है। चूक के मामले में, ईआईसी अन्य सेवा प्रदाताओं से ऐसी सेवाएं ले सकता है तथा श्रमिक, पर्यवेक्षण और उपभोग्य सामग्रियों पर खर्च की गई वास्तविक लागत को घटा सकता है या अन्यथा उसके बाद किसी राशि से 15% उपरि खर्च, जो किसी भी समय या उसके बाद सेवा प्रदाता पर देय हो सकती है या उसकी संविदा निष्पादन सुरक्षा, या उसकी बिक्री की आय या इसके पर्याप्त भाग से ली जा सकती है। इस संबंध में ईआईसी का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

3.5.2 यदि सेवा प्रदाता यह महसूस करता है कि सेवा में या सामग्री या अनुपात की गुणवत्ता में कोई भी बदलाव लाभकारी शर्तों को पूरा करने के लिए लाभप्रद या आवश्यक होगा, तो वह इसे ईआईसी को लिखित में ध्यान में लाएगा। यदि देयता की अवधि के दौरान सेवा / उपकरण का कोई भी भाग दोषपूर्ण पाया जाता है और उसे संशोधित / प्रतिस्थापित किया जाता है, तो ऐसे उपकरण/ सेवा के भाग के लिए 12 महीने की देयता की अवधि इस तरह के सुधार / प्रतिस्थापन की तारीख से संचालित होगी और संविदा निष्पादन गारंटी केवल सेवा / उपकरण के उस भाग के लिए देयता की विस्तारित अवधि के लिए अलग से प्रस्तुत की जाएगी। तथापि, इस तरह के किसी भी मामले में विस्तार प्रारंभिक डीएलपी की तारीख से 24 महीने से अधिक नहीं होगा। उपर्युक्त प्रावधानों के बावजूद प्रतिस्थापन /उपकरण में सुधार/ सेवा के लिए आपूर्तिकर्ता की गारंटी/ वारंटी नियोक्ता को भी दी जाएगी।

3.6 समापन प्रमाण-पत्र:

3.6.1 समापन प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन: जब सेवा प्रदाता संविदा के तहत अपने दायित्व को पूरा करता है तो वह समापन प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने के योग्य होगा। ईआईसी सेवा प्रदाता से कोई आवेदन प्राप्त होने के बाद आम तौर पर एक माह के अंदर सेवा प्रदाता को समापन दस्तवेजों का सत्यापन करने के बाद समापन प्रमाणपत्र जारी करेगा और स्वयं यह संतुष्ट करेगा कि सेवा संविदा दस्तावेजों के अनुसार प्रस्तुत की गई है। सेवा प्रदाता, समापन प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बाद, संविदा की शर्तों के तहत उनके द्वारा निष्पादित सेवा के लिए अंतिम बिल प्रस्तुत करने के लिए पात्र है।

समापन प्रमाणपत्र जारी करने के लिए कार्यों / सेवाओं को पूरा करने में एलआईए / संविदा के प्रावधानों के अनुसार कार्यों / सेवाओं को पूरा करना शामिल होगा, जिसे ईआईसी द्वारा विधिवत स्वीकृत और प्रमाणित किया जाएगा।

3.6.2 समापन प्रमाणपत्र: सेवा समाप्ति के बाद सेवा प्रदाता से आवेदन प्राप्त होने के एक महीने के अंदर खंड सं. 3.6.1 में ऊपर निर्दिष्ट अनुसार सभी मामलों में सेवा समाप्ति के बाद, सेवा प्रदाता को ऐसी सेवा समाप्ति पर ईआईसी द्वारा प्रमाण-पत्र दिया जाएगा, लेकिन यह प्रमाण पत्र तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक साइट से सेवा के निष्पादन के दौरान सभी मचान, उपकरण(णों) और मशीनों, अधिशेष सामग्रियों और लाया गया / सृजित मलबा पूरी तरह से हटा नहीं दिया जाता। सेवा समाप्ति के बारे में ईआईसी का प्रमाण-पत्र सभी पहलुओं में बाध्यकारी और निर्णायक होगा।

3.6.3 पूर्ण प्रमाणीकरण दस्तावेज: सेवा समाप्ति के उद्देश्य के लिए, निम्नलिखित दस्तावेजों को समापन दस्तावेज के रूप में माना जाएगा:

i) तकनीकी दस्तावेज जिसके अनुसार सेवा की गई थी।

ii) सामग्री विनियमन, नियोक्ता द्वारा सेवा के लिए जारी सामग्री का विवरण और नियोक्ता के भंडार में लौटाई गई अधिशेष सामग्रियों की सूची, जिसके साथ विधिवत आवश्यक दस्तावेज लगाए गए हों।

3.6.4 निष्पादन प्रमाण पत्र:

ईआईसी द्वारा दर / रखरखाव संविदा के लिए निष्पादन प्रमाणपत्र, जो सेवा प्रदाता से लिखित में अनुरोध के लिए जारी किया जाएगा।

3.7 अंतिम निर्णय और अंतिम प्रमाण-पत्र:

3.7.1 देयता की अवधि समाप्त होने पर और अभियंता -प्रभारी के संतुष्ट होने पर कि सेवा प्रदाता ने सभी मामलों में उचित रूप से किसी भी कमी को दूर कर दिया है और संविदा के तहत अपने सभी दायित्वों का निर्वहन किया है, अभियंता -प्रभारी (यहां प्रासंगिक खंड के प्रावधानों को बनाए रखने के लिए नियोक्ता के अधिकारों के प्रति किसी पूर्वाग्रह के बिना) अन्यथा यहां उल्लिखित अनुसार इस संबंध में एक अंतिम प्रमाण-पत्र देगा। सेवा प्रदाता को संविदा के तहत अपने पूरे दायित्वों को तब तक पूरा नहीं माना जाएगा जब तक कि अभियंता -प्रभारी द्वारा अंतिम प्रमाणपत्र नहीं दे दिया जाता।

3.8 दायित्व की सीमा

3.8.1 यहां निहित कुछ भी होने के बावजूद, संविदा के अंतर्गत नियोक्ता के प्रति सेवा प्रदाता की कुल देयता कुल संविदा मूल्य से अधिक नहीं होगी, सिवाय इसके कि यह खंड सेवा प्रदाता की निम्नलिखित देयता को तक ही सीमित नहीं होगी:

(क) किसी भी लागू कानून के उल्लंघन की स्थिति में;

(ख) धोखाधड़ी, जानबूझकर दुर्व्यवहार या अवैध या गैर-कानूनी कृत्यों, या सेवा प्रदाता की घोर लापरवाही या सेवा प्रदाता की ओर से कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति की स्थिति में; या

(ग) सेवा प्रदाता के कृत्यों या चूक की स्थिति में जो श्रम के सबसे बुनियादी नियमों के विपरीत हैं जिसका किसी ईमानदार सेवा प्रदाता द्वारा समान परिस्थितियों में पालन किया जाएगा; या

(घ) बौद्धिक संपदा के उल्लंघन से उत्पन्न किसी भी दावे या हानि या क्षति की स्थिति में; या

(ड.) किसी भी तीसरे पक्ष को हुई किसी भी क्षति के लिए, जिसमें किसी तीसरे पक्ष की मृत्यु हो जाती है या चोट लग जाती है, जो सेवा प्रदाता या किसी भी व्यक्ति या फर्म, जो कार्यों या सेवाओं का निष्पादन करने में सेवा प्रदाता की ओर से कार्य कर रही है, के कारण उत्पन्न हुई हो।

तथापि, कोई भी पार्टी दूसरी पार्टी को किसी भी अप्रत्यक्ष और परिणामस्वरूप होने वाली हानि या क्षति जैसे उपयोग की हानि, लाभ की हानि, उत्पादन की हानि या व्यापार में बाधा, जो संविदा के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले किसी दावे से संबद्ध हो, की प्रतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगी।

3.9 हानि से सुरक्षा:

3.9.1 यदि संविदा के अंतर्गत किसी भी कार्यवाही, मामले, पारस्परिक संविदाएं, या चीजें, या सेवा प्रदाता, उसके एजेंटों, प्रतिनिधियों या उनके उप-सेवा प्रदाता की ओर से की गई कथित चूक या लापरवाही से हुई क्षति या चोट, या उप-सेवा प्रदत के सेवा कर्मियों, आपूर्तिकर्ताओं या कर्मचारियों की कानूनी मांग के आधार पर किसी दावे के संबंध में सेवा प्रदाता की ओर से की गई विफलता, चूक या उपेक्षा के लिए नियोक्ता या किसी अधिकारी या एजेंट के एजेंट के खिलाफ न्यायालय, अधिकरण या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष कोई मामला लाया जाता है, तो सेवा प्रदाता, ऐसे मामलों में नियोक्ता और / या उनके प्रतिनिधियों को ऐसी कार्रवाई से उत्पन्न होने वाले नुकसान, क्षति, खर्च या न्यायिक निर्णयों से मुक्त रखेगा।

खंड-IV

4.0 भुगतान, बीमा और कर

4.1 संविदा मूल्य से कटौती:

4.1.1 सभी लागत, क्षति या व्यय, जिसका नियोक्ता द्वारा संविदा के प्रावधानों के तहत भुगतान या व्यय किया गया है, उसे सेवा प्रदाता नियोक्ता को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। ऐसे सभी दावों को नियोक्ता द्वारा नियमित रूप से सेवा प्रदाता से दावा किया जाएगा, जब कभी वे देय होते हैं। ऐसे दावों का सेवा प्रदाता द्वारा संबंधित बिलों / दावों की प्राप्ति के 15 (पंद्रह) दिनों के अंदर भुगतान किया जाएगा और यदि उस अवधि के भीतर सेवा प्रदाता द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है, तो नियोक्ता किसी भी देय राशि से राशि घटा सकता है जैसे आर.ए. बिल, अंतिम बिल, संविदा निष्पादन सुरक्षा राशि या कोई भुगतान जो संवदिा के अंतर्गत सेवा प्रदता को देय हो या कानूनी कार्रवाई या अन्यथा वसूल की गई हो, को पुनर्प्राप्त किया जा सकता है, यदि सेवा प्रदाता ऐसे दावों के बारे में नियोक्ता को संतुष्ट करने में विफल रहता है।

4.2 दरें और भुगतान की अनुसूची:

4.2.1 सेवा प्रदाता का पारिश्रमिक:

नियोक्ता द्वारा सेवा प्रदाता को पूरी की जाने वाली सेवा के लिए भुगतान किया जाने वाला मूल्य और सेवा प्रदाता द्वारा संविदा दस्तावेज के अंतर्गत शुरू की गई सभी बाध्यताओं के निष्पादन को संबंधित अनुसूची दरोंके प्रयोग द्वारा पता लगाया जाएगा (जिसकी समावेशी प्रकृति विशेष रूप से आवेदन के माध्यम से परिभाषित की गई है, लेकिन जो इस खंड के पूर्ववर्ती उप-खंड तक ही सीमित नहीं होगी) और तदनुसार वास्तव में की गई सेवाओं के लिए भुगतान किया जाना चाहिए और उसे अभियंता -प्रभारी द्वारा वास्तव में संशोधित और अनुमोदित किया जाना चाहिए। इस प्रकार पता लगाई गई राशि में संविदा के अंतर्गत सेवा प्रदाता का एकमात्र और समावेशी पारिश्रमिक शामिल है (केवल स्पष्ट रूप से यहां प्रदान की गई सीमा के अलावा) और संविदा के अंतर्गत सेवा प्रदाता को देय या कोई भी अन्य भुगतान, जो कोई भी हो, सेवा प्रदाता को देय नहीं होगा।

4.2.2 दरों की अनुसूची समग्र होगी:

सेवा प्रदाता द्वारा उद्धृत मूल्य / दरें अंतिम प्रमाणपत्र के जारी होने तक निर्धारित बनी रहेंगी और इनमें कोई वृद्धि नहीं होगी। दरों की अनुसूची में सभी लागतों, व्ययों और देनदारियों तथा सेवा प्रदाता द्वारा नियोक्ता को सेवाएं प्रदान करने में हर तरह के सभी जोखिमों को शामिल और कवर किया गया माना जाएगा। यह माना जाएगा कि सेवा प्रदाता को प्रकृति, कार्यक्षेत्र, परिमाण और सेवा की सीमा के बारे में जानकारी है, हालांकि संविदा दस्तावेज में उनका पूरी तरह से और सटीक रूप से उसका उल्लेख / निर्दिष्ट नहीं हो सकती है। यह माना जाएगा कि निविदाकार ने सेवाओं में आवश्यक सेवाओं को शामिल कर लिया है, जिसमें किसी भी दोष का उपचार शामिल होगा।

4.2.3 निर्माण उपकरण, सामग्री, श्रमिक आदि को कवर करने के लिए दरों की अनुसूची:

पूर्व उप-धारा के प्रावधानों को किसी भी तरह से सीमित किए बिना, दरों को अनुसूची में सभी निर्माण उपकरण, अस्थायी कार्य (यहां प्रदान किए गए को छोड़कर), पंप, सामग्री, श्रम, बीमा, ईंधन, उपभोग्य सामग्रियां, भंडार और उपकरण और ऐसी अन्य वस्तुएं / उपकरण / सामग्रियां शामिल होंगी, जैसा कि सेवा प्रदाता द्वारा सेवाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है और दरों की अनुसूची में प्रत्येक मद के संबंध में अन्य सभी मामलों और सेवा या उसके किसी भाग का निष्पादन, तैयार और हर तरह से पूर्ण और संविदा दस्तावेज में दिखाए गए या वर्णित अनुसार रखा गया हो या जिसके लिए संविदा को बनाए रखने के दौरान लिखित में आदेश दिया गया हो।

4.2.4 रॉयल्टी, किराया और दावों को कवर करने के लिए दरों की अनुसूची:

दरों की अनुसूची (अर्थात् संविदा मूल्य) में वस्तुओं और प्रक्रियाओं के लिए सभी रॉयल्टी और शुल्क की लागत को शामिल और कवर किया गया माना जाएगा, जो पत्र, पेटेंट द्वारा संरक्षित या अन्यथा सेवा के संबंध में शामिल या उपयोग किए जाते हैं, इसमें सेवा के लिए किसी भी तरह की सामग्री प्राप्त करने के संबंध में सभी रॉयल्टी, किराया और अन्य भुगतान तथा नियोक्ता को की गई क्षतिपूर्ति शामिल होगी जिसे सेवा प्रदाता इस प्रकार के सभी कार्यों, कार्यवाही, दावों, क्षति, लागत और निगमन से उत्पन्न होने वाले खर्चों के लिए देता है या सेवाओं के उपयोग के लिए ऐसी किसी भी वस्तु, प्रक्रिया या सामग्री, चूंगी या अन्य नगर निगम या स्थानीय बोर्ड प्रभार, यदि सेवा में उपयोग के लिए साइट पर लाई गई सामग्रियों, उपकरण या मशीनरी पर लगाया जाता है, का भुगतान सेवा प्रदाता द्वारा किया जाएगा।

4.2.5 कर और शुल्क को कवर करने के लिए दरों की अनुसूची:

सीमा शुल्क, जीएसटी, कार्य संविदा कर या अन्य कोई बंदरगाह शुल्क, परिवहन प्रभार, डाक शुल्क या केंद्रीय या राज्य सरकार या स्थानीय निकाय या नगरपालिका कर या शुल्क, कर या प्रभार (किसी अन्य निकाय से), प्रवेश कर, जो कोई भी हो, प्रदान या प्राप्त किया जाएगा, ऐसे सभी खर्चों को दरों की अनुसूची में शामिल और कवर माना जाएगा, जब तक कि निविदा दस्तावेज में विशेष रूप से कहीं भी उल्लेख नहीं किया जाता है। सेवा प्रदाता, सेवा को पूरा करने के लिए आवश्यक सभी परमिट / लाइसेंस या अन्य विशेषाधिकार भी प्राप्त करेगा और उसका भुगतान करेगा।

4.2.6 विलंब के जोखिम को कवर करने के लिए दरों की अनुसूची:

दरों की अनुसूची में सेवा प्रदाता के आचरण / सेवाओं के निष्पादन में विलंब और हस्तक्षेप की सभी संभावनाओं का जोखिम कवर किया गया माना जाएगा, जो किसी भी कारण से होता है और जिसमें नियोक्ता द्वारा अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए और विभिन्न कारणों और अन्य सभी संभव या संभावित कारणों से प्रदान किया गया समय विस्तार शामिल है।

4.2.7 दरों की अनुसूची को बदला नहीं जा सकता है:

इकाई दर के आधार पर सेवा के लिए, सेवाओं के कारण या संशोधित, परिवर्तित, विस्तारित, कम करने या प्रतिबद्ध किए जाने वाले किसी भी भाग के कारण दरों की अनुसूची में कोई बदलाव करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दरों की अनुसूची में सेवा प्रदाता द्वारा तय की गई दरों में सभी कुछ शामिल किया गया है और इन पर नियोक्ता द्वारा सहमति व्यक्त की गई है और इसे बदला नहीं जा सकता है। एकमुश्त संविदाओं के लिए, भुगतान वास्तव में की गई सेवा के अनुसार किया जाएगा, जिसके लिए वस्तु-वार या कार्य-वार अनुसूची प्रस्तुत की जाएगी, जो प्रदान की गई सेवा के मूल्य का मूल्यांकन करने और चालू खाता बिल तैयार करने के लिए उपयुक्त हो। किसी भी अतिरिक्त सेवा के लिए भुगतान, जो कि दरों की अनुसूची में शामिल नहीं है, केवल नियोक्ता द्वारा एलओए / संविदा में संशोधन करने पर ही जारी किया जाएगा।

4.3 सेवाओं का बिल देने की प्रक्रिया:

4.3.1 बिलिंग प्रक्रिया:

सेवा प्रदाता द्वारा निष्पादित सेवाओं का बिल देने के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाएं अपनाई जाएंगी।

4.3.1.1 संविदा की शर्तों के अनुसार सेवा प्रदाता द्वारा सभी विवरण और संलग्नक सहित बिल प्रस्तुत किए जाएंगे। नियोक्ता अभियंता-प्रभारी प्रमाणीकरण की तारीख से 15 (पंद्रह) दिनों के अंदर प्रस्तुत बिलों की राशि का भुगतान जारी करने के सभी प्रयास करेगा।

4.3.1.2 कम्प्यूटरीकृत बिलिंग प्रणाली: गेल (इंडिया) लिमिटेड ने कम्प्यूटरीकृत बिलिंग प्रणाली लागू की है, जिससे जब भी सेवा प्रदाता द्वारा गेल में बिल प्रस्तुत किए जाते हैं, तो आमतौर पर रसीद संख्या सृजित होती है। सेवा प्रदाता गेल की वेबसाइट के माध्यम से बिल की स्थिति भी जान सकता है।

4.3.2 माप का तरीका:

भुगतान संविदा में निर्दिष्ट अनुसार माप के तरीके के आधार पर किया जाएगा। अन्यथा, माप का तरीका नवीनतम भारतीय मानक विनिर्देशों के अनुसार अपनाया जाएगा।

4.4 अतिरिक्त भुगतान के लिए दावों का नोटिस:

4.4.1 यदि सेवा प्रदाता का यह मानना है कि वह किसी भी अतिरिक्त कार्य (कार्यों) / सेवा (सेवाओं) या उसके द्वारा कार्य के संबंध में मूल विनिर्देश सामग्री को बदलने के लिए कोई भी अतिरिक्त भुगतान करने का पात्र है, तो वह तुरंत अभियंता-प्रभारी को लिखित में नोटिस देगा कि वह अतिरिक्त भुगतान का दावा करता है। ऐसी सूचना अभियंता को दी जाएगी जिसके आधार

पर सेवा प्रदाता ने ऐसा दावा किया है और ऐसे नोटिस में ऐसे दावों की प्रकृति का पूर्ण विवरण तथा दावा की गई राशि शामिल होगी। इसके विपरीत संविदा में किसी भी प्रावधान के बावजूद, सेवा प्रदाता को घटना के होने के शुरू होने के 10 (दस) दिनों के अंदर नियोक्ता को दावा देने के अपने मंतव्य को बताना होगा और सेवा प्रदाता की ओर से 30 (तीस) दिन के भीतर दावा करना होगा, ऐसा न करने पर सेवा प्रदाता कोई मुआवजा / प्रतिपूर्ति / क्षति आदि का दावा करने का अपना अधिकार खो देगा। सेवा प्रदाता की ओर से आवश्यक विवरण के बिना आगे कोई दावा प्रस्तुत न करने पर ऊपर विनिर्दिष्ट समय के अंदर पूर्ण छूट होगी। ऐसे किसी भी दावे को अस्वीकार करने के लिए नियोक्ता द्वारा कोई चूक न करने और इस पर कार्रवाई करने में कोई विलंब न करने को नियोक्ता द्वारा इस संबंध में इनमें से किसी भी अधिकार के लिए छूट दी जाएगी।

4.4.2 अभियंता-प्रभारी निर्धारित समयावधि के भीतर ऐसे दावों की समीक्षा करेगा और उन पर उचित विचार-विमर्श के बाद उपयुक्त तरीके से उनका निपटान करेगा। तथापि, सेवा प्रदाता को ऐसे दावों के निष्कर्ष के बावजूद, नियोक्ता द्वारा उनके दावों पर विचार किए जाने के दौरान कार्यों / सेवाओं को जारी रखने के लिए बाध्य किया जाएगा, जहां संविदा प्रावधानों के अनुसार अतिरिक्त सेवाओं के लिए अतिरिक्त भुगतान तर्कसंगत हैं, वहां नियोक्ता इसे उसी तरह जारी करने की व्यवस्था करेगा जैसे कि सामान्य कार्य के लिए भुगतान किया जाता है। नियोक्ता द्वारा स्वीकृत ऐसी अतिरिक्त सेवाएं सभी निबंधन, शर्तों, निर्धारण और विनिर्देशों द्वारा अधिशासित होंगी। अतिरिक्त सेवाओं के लिए दरें आमतौर पर संविदा में प्रदान की गई यूनिट दरें होंगी। यदि अतिरिक्त सेवाओं के लिए निष्पादित यूनिट दरें संविदा के अनुसार उपलब्ध नहीं हैं, तो भुगतान या तो दैनिक आधार पर जारी किए जा सकते हैं, जिसके लिए श्रमिकों के लिए दैनिक / प्रति घंटा दरें और उपकरण किराये पर लेने के लिए प्रति घंटा दरें लागू होंगी, या यूनिट दर पर निष्पादित सेवाओं को संविदा में पहले से मौजूद इकाई दरों के इंटरपोलेशन / एक्सट्रापोलेशन द्वारा निर्धारित किया जाएगा। दर की प्रयोज्यता और सेवा प्रदाता के अतिरिक्त सेवा दावे / दावों के स्वीकृत होने से संबंधित सभी मामलों में, अभियंता-प्रभारी का निर्णय सेवा प्रदाता पर अंतिम और बाध्यकारी होगा।

4.5 बीमा:

4.5.1 सेवा प्रदाता, अपने खर्च पर, इस संविदा के तहत तैनात अपने सेवा कर्मियों के संबंध में तथा इस संविदा के संबंध में अपनी भागीदारी की पूरी अवधि के दौरान सेवा प्रदाता या उनके कर्मियों के उपकरण, औजार और अन्य किसी भी सामान के लिए सेवा प्रदाता द्वारा संभावित सभी जोखिमों को कवर करने के लिए उपयुक्त बीमा की व्यवस्था करेगा। नियोक्ता की इस संबंध में कोई देयता नहीं होगी। इसमें शामिल कार्मिकों को कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के तहत देयता को पूरा करने के लिए कवर किया जाना चाहिए।

4.5.2 इस खंड के प्रावधान किसी भी तरह से संविदा के अंतर्गत सेवा प्रदाता की देयता को सीमित नहीं करेंगे।

4.5.3 यदि सेवा प्रदाता अपेक्षित बीमा प्राप्त करने की अवहेलना करता है, असफल रहता है या इनकार करता है, या प्रमाणन आदि उपलब्ध करने में विफल रहता है, तो नियोक्ता को सेवा प्रदाता के खर्च पर तथा बीमा प्रीमियम की राशि के 10% प्रशासनिक लागत पर खरीद करने और उन्हें बनाए रखने का अधिकार है।

4.5.4 बीमा के प्रकार:

सेवा प्रदाता संविदा के लागू रहने के दौरान हर समय निम्नलिखित बीमा के लिए भुगतान करेगा और उसे बनाए रखेगा:

क. कर्मचारी मुआवजा और नियोक्ता के सामान्य कानून देयता बीमा, जिसमें सेवा प्रदाता के कर्मचारियों को उनके स्थान या रोजगार या स्थल या सेवा के दौरान लगी कोई चोट शामिल है, जो कानून के तहत उत्तरदायित्व को कवर करती है। इस बीमा का वहां विस्तार किया जाएगा, जहां यह कानून के अनुरूप है, तथा नियोक्ता को किसी भी वैधानिक देयता के खिलाफ क्षतिपूर्ति करती है, जिसे वह सेवा प्रदाता के घायल कर्मचारियों पर व्यय कर सकता है। कर्मचारी मुआवजा अधिनियम के अनुरूप देयता के लिए ईआईसी को इसका प्रमाण प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

ख. सामान्य सार्वजनिक देयता बीमा जिसमें शारीरिक चोट लगने पर संविदात्मक देयता, व्यक्तियों की मृत्यु और संपत्ति के नुकसान की देनदारियां शामिल हैं। इस बीमा में इस संविदा के अंतर्गत प्रावधानों को पूरा करने के लिए आवश्यक सेवा प्रदाता के सभी संचालन शामिल होने चाहिए।

ग. कार्य के निष्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले सेवा प्रदाता के उपकरण / सामग्री / वस्तुओं का उपयुक्त अवधि (अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार) के साथ बीमा कवर होगा।

घ. ऑटोमोबाइल पब्लिक देयता बीमा, जिसमें भारतीय बीमा विनियमों द्वारा अधिशासित अनुसार शारीरिक चोट सीमा और संपत्ति क्षति सीमा सहित यहां कार्य के निष्पादन में उपयोग किए जाने वाले स्वामित्व, गैर-स्वामित्व और किराए पर लिए गए ऑटोमोबाइल शामिल हैं।

ड. लोक देयता बीमा अधिनियम 1991 के तहत अपेक्षित अनुसार सार्वजनिक देयता बीमा।

4.5.5 सेवा प्रदाता अतिरिक्त बीमा प्राप्त करेगा या नियोक्ता के अनुरोध के अनुसार मौजूदा बीमा की सीमाओं को संशोधित करेगा, ऐसे मामले में सेवा प्रदाता को अतिरिक्त लागत दी जाएगी।

इसके अलावा, सेवा प्रदाता सेवा की प्रकृति, संविदा और वैधानिक आवश्यकताओं की शर्तों के अनुसार हर समय बीमा की पर्याप्तता सुनिश्चित करेगा।

4.5.6 बीमा का प्रमाण-पत्र:

सेवाओं का निष्पादन शुरू करने से पहले, सेवा प्रदाता अनुरोध करने पर ईआईसी / नियोक्ता को बीमा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा जिसमें निम्नलिखित दर्शाया जएगा:

i) यहां अपेक्षित अनुसार बीमा का प्रकार और मात्रा;

ii) उपर्युक्त कवरेज करने वाली बीमा कंपनी या कंपनियां;

iii) पॉलिसियों की प्रभावी और समाप्ति तारीख;

iv) नियोक्ता नीति में किसी भी सामग्री परिवर्तन के लिए सलाह दे सकता है। उपर्युक्त के समर्थन में छूट को सभी पॉलिसियों से जोड़ा गया है; तथा

v) सभी पॉलिसियों की क्षेत्रीय सीमाएं।

4.5.7 यदि उपर्युक्त पॉलिसी में से कोई भी सेवा की शर्तों के दौरान समाप्त हो जाती है या रद्द कर दी जाती है, और सेवा प्रदाता ऐसी पॉलिसियों को नवीनीकृत करने में किसी भी कारण से विफल रहता है, तो नियोक्ता इसे प्रतिस्थापित कर सकता है और सेवा प्रदाता से प्रीमियम प्लस प्रशासनिक शुल्कों के लिए शुल्क वसूल सकता है। यदि सेवा प्रदाता द्वारा किए जाने वाले किसी भी बीमा में किसी भी कारण से हानि और जुर्माना के लिए कोई चूक, यदि कोई हो, होती है तो उसे सेवा प्रदाता द्वारा पूरी तरह से वहन किया जाएगा।

4.5.8 सेवा प्रदाता को अपने सभी उप-सेवा प्रदाताओं को ऐसा बीमा उपलब्ध कराना अपेक्षित होगा, जैसा कि सेवा प्रदाता संविदा के अंतर्गत प्रदान करने के लिए बाध्य है।

4.5.9 प्रस्थापन की छूट: यहां किए गए संचालन के संबंध में सेवा प्रदाता की सभी बीमा पॉलिसियों को, बीमाकर्ता द्वारा अनुमोदित किया जाएगा, और पॉलिसी में ये शब्द शामिल होंगे: "बीमाकर्ता इस प्रकार किसी भी व्यक्ति, नियोक्ता, सहयोगी या कार्यकर्ता, जिनके लिए या जिनके साथ आश्वासन सेवा प्रदाता द्वारा संविदात्मक क्षतिपूर्ति की सीमा तक परिचालन किया जा सकता है, के खिलाफ प्रस्थापन का अधिकार छोड़ देते हैं"।

4.5.10 कटौती योग्य: इस बीमा पॉलिसी में कटौती किए जाने वाले प्रावधान के कारण यदि हानि के किसी भाग को बीमा में शामिल नहीं किया जाता है, तो वह इस लेख में प्रावधान किए गए अनुसार पूरी तरह से सेवा प्रदाता के खाते में डाला जाएगा।

4.6 कर और शुल्क:

4.6.1 सेवा प्रदाता, जब तक संविदा में अन्यथा निर्दिष्ट नहीं किया जाता है, तब तक जीएसटी सहित किसी भी और सभी करों, शुल्क के भुगतान के लिए पूर्ण और विशिष्ट देयता स्वीकार करता है या इसके बाद सेवाओं और सामग्रियों के संबंध में समय-समय पर उसे लागू किया जाता है, उसका विस्तार और उसे संशोधित किया जाता है तथा अब बेरोजगारी मुआवजा, बीमा और वृद्धावस्था पेंशन या वार्षिकी के लिए सभी योगदान और कर किसी भी केंद्रीय या राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा लगाए गए हैं जिसे सेवा प्रदाता द्वारा नियुक्त व्यक्तियों को भुगतान की गई मजदूरी, वेतन, या अन्य द्वारा भुगतान की गई अन्य क्षतिपूर्ति के संबंध में लगाया गया है, तो सेवा प्रदाता सभी उप-सेवा प्रदाताओं के अनुपालन के लिए जिम्मेदार होगा, जिसमें सभी लागू केंद्रीय, राज्य, नगरपालिका और स्थानीय कानून और विनियमन तथा किसी केंद्रीय, राज्य या स्थानीय सरकारी एजेंसी या प्राधिकरण की आवश्यकता शामिल होगी। सेवा प्रदाता आगे किसी भी उत्तरदायित्व या जुर्माना से नियोक्ता को हानि मुक्त रखने, क्षतिपूर्ति और रखरखाव करने के लिए सहमति देता है जो कि केंद्रीय, राज्य या स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा सेवा प्रदाता या ऐसे कानूनों, मुकदमों या उप-सेवा प्रदाता द्वारा किसी भी कारण से या किसी उल्लंघन के कारण लगाया जा सकता है, जो इस संविदा द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा के अंतर्गत, इसके विस्तार, या

किसी कारण से तृतीय पक्ष, या केंद्रीय या राज्य सरकार प्राधिकारी या किसी भी प्रशासनिक उप-प्रभाग द्वारा नियोक्ता के खिलाफ लाया जा सकता है। समय-समय पर प्रचलित कार्यों के अनुसार, लागू नियमों और विनियमों के अनुसार कर कटौती की जाएगी।

4.6.2 सेवा प्रदाता इनपुट कर क्रेडिट का लाभ उठाने के लिए नियोक्ता को संविदा में निर्दिष्ट अवधि के भीतर संविदा के अनुसार सभी आवश्यक सहायक दस्तावेज़ों सहित सही चालान(नों) की समय पर प्रस्तुति सुनिश्चित करेगा।

यदि जीएसटी के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट किसी भी कारण से नियोक्ता को उपलब्ध नहीं है जिसके लिए नियोक्ता जिम्मेदार नहीं है, तो नियोक्ता को चालान(नों) में लगाए गए जीएसटी का भुगतान या प्रतिपूर्ति करने के लिए बाध्य या जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा और नियोक्ता द्वारा सेवा प्रदाता को भुगतान की गई या देय किसी भी राशि के विरुद्ध, सभी दंड और ब्याज, यदि कोई हो, सहित ऐसे जीएसटी की कटौती/ समायोजन/ वसूली करने के लिए पात्र होगा।

4.6.3 जहां नियोक्ता के पास रिवर्स चार्ज प्रणाली के तहत कर देयता को निर्वहन करने का दायित्व है और नियोक्ता ने सरकार को जीएसटी का भुगतान किया है या देय है, जिस पर नियमों (समय-समय पर संशोधित) के अनुसार किसी भी कारण से ब्याज या दंड देय हो जाता है, और ऐसे भुगतान के संबंध में नियोक्ता या इनपुट कर क्रेडिट जिम्मेदार नहीं है, जो किसी भी कारण से नियोक्ता के लिए उपलब्ध नहीं है, जिसके लिए नियोक्ता जिम्मेदार नहीं है, तो नियोक्ता किसी भी राशि के भुगतान के लिए उसके द्वारा सेवा प्रदाता को भुगतान की गई या देय ऐसी राशि की कटौती / समायोजन / वसूली का पात्र होगा।

4.7 आय कर:

4.7.1 आय कर कटौती समय-समय पर आयकर अधिनियम के अनुसार लागू नियमों और विनियमों के अनुसार सेवा प्रदाता के सभी भुगतानों से की जाएगी। आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार, भुगतानकर्ता को जारी स्रोत (टीडीएस) प्रमाण-पत्र पर कर कटौती में स्थायी खाता संख्या (पैन) का अनिवार्य रूप से उल्लेख किया जाना आवश्यक है। इसलिए, बोलीदाता को एफओए / संविदा दस्तावेज की प्राप्ति पर तत्काल ईआईसी को पैन आवंटित करने के लिए दायर आवेदन की प्रतिलिपि (यदि पैन नंबर उपलब्ध नहीं है) प्रस्तुत करनी चाहिए, ऐसा न करने पर, लागू नियम के अनुसार टीडीएस काटा जाएगा और टीडीएस प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा। इसलिए, यदि सेवा प्रदाता पैन प्रस्तुत नहीं करता है, तो नियोक्ता कर्मचारी आयकर अधिनियम 1961 या प्रासंगिक वित्त अधिनियम में प्रदान किए गए स्रोत, या आदेश 195(3) या 197 या 195(2), जैसा मामला हो, में दिए गए आदेशों में निर्देशित अनुसार या समय-समय पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 206एए द्वारा आवश्यक उच्च दर पर कटौती करेगा।

4.7.2 विदेशी बोलीदाता के मामले में, सेवा प्रदाता को पैन कार्ड प्राप्त करने के लिए भारत के स्थानीय दूतावास/ वाणिज्य दूतावास के माध्यम से आवेदन करना होगा। यदि विदेशी सेवा प्रदाता के पास पैन नहीं है, तो कानून और टीडीएस प्रमाण-पत्र के अनुसार कटौती करके राशि जमा की जाएगी। इसके अलावा, यदि गैर-निवासी अधिनियम, 1961 (समय-समय पर संशोधित) के अनुसार दोहरा कराधन बचाव करार (डीटीएए), कर रोकने, आदि के अंतर्गत लाभ लेना चाहता है, तो ऐसा

सेवा प्रदाता को स्थायी स्थापना, कर रेजिडेंसी प्रमाण-पत्र (टीआरसी) सहित गैर-निवासियों के लिए प्रेषण करने से संबंधित निविदा दस्तावेज में अन्य कहीं भी उल्लिखित प्रावधानों का अनुपालन करना होगा।

4.8 सांविधिक विविधताएं:

4.8.1 सभी शुल्क, कर (जहां संविदा में अन्यथा स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है) को छोड़कर, जिन्हें इस संविदा के लिए निविदा प्रस्तुत करने की नियत तारीख को लागू अधिनियमों, कानूनों, नियमों, विनियमों के अनुसार कार्यों / सेवाओं के निष्पादन के परिणामस्वरूप या उसके संबंध में या इसके संबंध में लगाया गया है, सेवा प्रदाता के खाते में होंगे। निविदा प्रस्तुत करने की निर्धारित तारीख के बाद ऐसे शुल्क, कर में कोई वृद्धि / कमी, जो संविदा में निर्धारित समापन तारीख की अवधि के अंतर्गत हो, को नियोक्ता के खाते में डाला जएगा, बशर्ते कि नियोक्ता की संतुष्टि के लिए दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएं।

4.8.2 संविदा की समापन अवधि के बाद शुल्क और कर में कोई भी वृद्धि सेवा प्रदाता के खाते में होगी, जहां कार्य समापन / संग्रहण अवधि में विलंब के लिए सेवा प्रदाता जिम्मेदार है तथा कर और शुल्क को केंद्रीय मूल्य योजित कर लागू नहीं किया जा सकता है (अर्थात् इनपुट कर क्रेडिट (आईटीसी) की अनुपलब्धता)। आईटीसी केंद्रीय मूल्य योजित कर और शुल्क की प्रयोज्यता के मामले में, संविदा के चालू रहने के दौरान प्रचलित दरों के अनुसार भुगतान किया जाएगा। तथापि, संविदा के पूरा होने के बाद शुल्क और करों में कमी का कोई भी लाभ नियोक्ता को दिया जाएगा।

4.8.3 किसी भी नए कानून के लागू होने या किसी भी अधिनियम या कानून में कोई परिवर्तन या संशोधन होने या भारत सरकार या राज्य सरकार(रों) या सार्वजनिक निकाय के नियमों या विनियमों, जो इस संविदा के लिए निविदा प्रस्तुत करने की निर्धारित तारीख के बाद प्रभावी हो जाते हैं, लेकिन संविदा की समापन अवधि (जिसमें नियोक्ता के लिए जिम्मेदार कारणों के कारण बढ़ाई गई अवधि शामिल है) के भीतर और जिसके परिणामस्वरूप करों (कर्मियों और कॉर्पोरेट के अलावा), शुल्कों की देयता के बढ़ने के कारण संविदा के तहत कार्यों / सेवाओं की लागत बढ़ जाती है, वहां नियोक्ता ऐसी बढ़ाई गई लागत के लिए क्षतिपूर्ति करेगा, बशर्ते कि नियोक्ता को संतुष्ट करते हुए इस संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएं, जिसके लिए ऊपर उल्लिखित नया कानून या परिवर्तन या संशोधन सीधे तौर पर जिम्मेदार है, और जहां-कहीं ऐसे कर / शुल्क के बारे में नियोक्ता द्वारा विवाद होता है और वे सक्षम प्राधिकारी और न्यायालयों के निर्णय के अध्यधीन हैं।

4.8.4 इसी प्रकार, नए कानून के लागू होने या किसी भी अधिनियम या कानून में कोई परिवर्तन या संशोधन होने या भारत सरकार या राज्य सरकार(रों) या सार्वजनिक निकाय के नियमों या विनियमों, जो संविदा के लिए निविदा जमा करने की नियत तारीख के बाद प्रभावी होते हैं और जिनके परिणामस्वरूप करों की देयता में कमी (कर्मियों और कॉर्पोरेट करों के अलावा) के जरिए सेवाओं / कार्यों की लागत में कोई कमी आई है, तो सेवा प्रदाता ऐसी कम हुई लागत, करों या शुल्कों के लाभ को नियोक्ता को उस सीमा तक देगा, जिस सीमा तक उपरोक्त वर्णित नए कानून या परिवर्तन या संशोधन के परिणामस्वरूप ये प्रभावी हुए हैं।

4.9 किसी भी व्यक्ति और तीसरे पक्ष की संपत्ति का नुकसान

i) सेवा प्रदाता नियोक्ता के परिसर के अंदर नियोक्ता या अन्य एजेंसियों द्वारा खरीदे जा रहे या खरीदी जाने वाले किसी भी ढांचे और संपत्तियों को हुए किसी भी नुकसान या क्षति को नियोक्ता की संतुष्टि के अनुसार दुरुस्त करने के लिए जिम्मेदार होगा, यदि ऐसी हानि या क्षति सेवा प्रदाता, उसके कर्मचारियों, एजेंटों, प्रतिनिधियों या उप-सेवा प्रदाताओं की चूक और/या लापरवाही या जानबूझकर किए गए कदाचार या गलती के कारण होती है।

ii) सेवा प्रदाता अपने उपकरणों और सामग्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने में काफी सावधानी बरतेगा, ताकि उनसे किसी भी व्यक्ति या नियोक्ता की संपत्ति या ओवरहेड और भूमिगत केबल सहित किसी भी तीसरे पक्ष को नुकसान न पहुंचे, और यदि उपर्युक्त उपकरण या सामग्रियों के आवागमन के दौरान नियोक्ता या किसी तीसरे पक्ष की संपत्ति को कोई भी नुकसान होता है, तो नियोक्ता द्वारा लगाए गए अनुमान या तीसरे पक्ष द्वारा पता लगाई गई या मांगी गई राशि किसी भी संयंत्र या प्रतिष्ठान में उत्पादन, संचालन या सेवाओं के अंतिम नुकसान सहित इस तरह की क्षति की लागत सेवा प्रदाता द्वारा वहन की जाएगी। एकल दुर्घटना के मामले में तृतीय पक्ष देयता जोखिम एक लाख रुपए और दस लाख रुपए तक सीमित होगा।

iii) सेवा प्रदाता क्षतिपूर्ति करेगा और इस समझौते के अंतर्गत या इसके द्वारा नियोक्ता की संपत्ति के अलावा, सभी संपत्तियों का नुकसान होने पर नियोक्ता को इससे मुक्त रखेगा, यदि ऐसे दावे सेवा प्रदाता, उसके कर्मचारी, एजेंटों, उप-सेवा प्रदाता के प्रतिनिधि द्वारा की गई चूक और / या लापरवाही या जानबूझकर किए गए कदाचार के कारण होते हैं।

खंड - V

5.0 कानून, स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण

5.1 श्रम कानून:

i) कार्य पर 18 (अठारह) वर्ष से कम उम्र के श्रमिकों को नियोजित नहीं किया जाएगा।

ii) सेवा प्रदाता कार्य पर उनके द्वारा लगाए गए मजदूरों को कानून के तहत प्रदान की जाने वाली राशि से कम भुगतान नहीं करेगा।

iii) सेवा प्रदाता अपने खर्च पर सभी श्रम कानूनों का अनुपालन करेगा और इसके संबंध में नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करेगा।

iv) सेवा प्रदाता लागू श्रम कानूनों के अनुसार पुरुषों और महिलाओं को समान वेतन का भुगतान करेगा।

v) यदि सेवा प्रदाता संविदा श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम के अंतर्गत शामिल है, तो वह संविदा के अंतर्गत कार्य शुरू करने से पहले आवश्यक निर्धारित शुल्क और जमा राशि, यदि कोई हो, का भुगतान करके लाइसेंसिंग प्राधिकरण (अर्थात् श्रम आयुक्त का कार्यालय) से लाइसेंस प्राप्त करेगा। ऐसा शुल्क/ जमा राशि सेवा प्रदाता द्वारा वहन की जाएगी।

vi) सेवा प्रदाता संविदा में उल्लिखित कारीगरी की मात्रा सुनिश्चित करने के लिए प्रगति और गुणवत्ता की आवश्यक दर को बनाए रखने के लिए पर्याप्त संख्या में या उप-सेवा प्रदाता के माध्यम से पर्याप्त संख्या में श्रमिक लगाएगा, साथ ही यह सुनिश्चित भी करेगा कि कामगार पर अधिक घंटों तक कार्य करने के कारण दबाव न हो और ईआईसी उससे संतुष्ट हो।

vii) सेवा प्रदाता ईआईसी को सेवाओं पर नियोजित लोगों की संख्या और विवरण की वितरण वापसी प्रस्तुत करेगा। सेवा प्रदाता प्रत्येक महीने के 4थे और 19वें स्थान पर ईआईसी को पिछले महीने के दूसरे पखवाड़े के संबंध में दर्शाए गए वास्तविक विवरण और वर्तमान महीने (1) के पहले पखवाड़े के दौरान हुई घटनाओं को प्रस्तुत किया जाएगा, जिनमें उन परिस्थितियों, जिनके कारण वे हुई थीं और उनके कारण होने वाली क्षति और चोट की व्यापकता, तथा (2) महिला श्रमिकों की संख्या जिन्हें मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 में मातृत्व लाभ प्रदान किया गया है और उन्हें भुगतान की गई राशि को दर्शाया जाएगा।

vii) सेवा प्रदाता मजदूरी अधिनियम 1936, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, नियोक्ता देयता अधिनियम 1938, कामगार मुआवजा अधिनियम 1923, औद्योगिक विवाद अधिनियम

1947, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 और संविदा श्रम विनियमन और उन्मूलन अधिनियम 1970, बाल रोजगार अधिनियम 1938 या उसमें किए गए संशोधन या इससे संबंधित कोई भी अन्य कानून और इसके अंतर्गत समय-समय पर बनाए गए नियम के भुगतान संबंधी प्रावधानों का अनुपालन करेगा।

viii) ईआईसी को संविदा श्रमिक (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम 1970 में परिभाषित अनुसार किसी निरीक्षण अधिकारी द्वारा की गई रिपोर्ट के आधार पर संविदा की शर्तों को पूरा न करने के कारण कार्यकर्ता या कार्यकर्ताओं को हुई हानि, मजदूरी का भुगतान न करने या अपने या उनकी मजदूरी से की गई कटौती को पूरा करने के लिए सेवा प्रदाता पर देय कोई भी अपेक्षित या अनुमानित राशि की पूर्ति के लिए कटौती करने का अधिकार है जो संविदा की शर्तों द्वारा औचित्यपूर्ण नहीं है या उक्त विनियमों का अनुपालन न करने के कारण हैं।

ix) सेवा प्रदाता उसके उप-सेवा प्रदाता से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अपने अधिकार के प्रति पूर्वाग्रह के बिना उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत किए जाने वाले किसी भुगतान और अनुपालन के लिए नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करेगा। सेवा प्रदाता द्वारा समय-समय पर संशोधित उपर्युक्त अधिनियमों के किसी भी प्रावधान की चूक या उल्लंघन करने की स्थिति में, इन अधिनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत कोई भी सूचना देने या प्रस्तुत करने या भरने और फॉर्म / रजिस्टर / पर्ची प्रस्तुत करने, जो कि निरीक्षण अधिकारी की रिपोर्ट पर वास्तविक रूप से गलत है, तो सेवा प्रदाता किसी अन्य देयता भुगतान के प्रति पूर्वाग्रह के बिना नियोक्ता को प्रत्येक चूक, उल्लंघन या वास्तविक रूप से गलत विवरण देने, बनाने, प्रस्तुत करने के लिए परिसमाप्ति क्षति के रूप में, नियोक्ता को देय अन्य किसी देयता के पूर्वाग्रह के बिना ईआईसी द्वारा निर्धारित अनुसार 10000.00 रुपए का भुगतान करेगा, और यदि इस संबंध में सेवा प्रदाता की चूक बनी रहती है तो परिसमाप्ति क्षति को प्रत्येक दिन की चूक पर प्रतिदिन 5000.00 रुपये तक बढ़ाया जाएगा, बशर्ते कि संविदा में सेवाओं की अनुमानित लागत का अधिकतम एक प्रतिशत शामिल किया जाए। ईआईसी सेवा प्रदाता के बिल या संविदा निष्पादन सुरक्षा से ऐसी राशि की कटौती करेगा और इन कार्यों के लिए गठित कल्याण निधि में जमा करेगा। इस संबंध में ईआईसी का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

5.2 सुरक्षा विनियम:

i) इस करार में सेवा प्रदाता की ओर से निष्पादन के लिए सेवा में सीधे तौर पर नियुक्त सभी श्रमिकों के संबंध में, सेवा प्रदाता सीपीडब्ल्यूडी, भारतीय मानक संस्थान, विद्युत अधिनियम, खान अधिनियम और ऐसे लागू अन्य अधिनियमों की सुरक्षा कोड के अनुसार, सभी सुरक्षा प्रावधानों के लिए अपने खर्च पर व्यवस्था करेगा।

ii) सेवा प्रदाता नियोक्ता के सभी अग्नि और सुरक्षा नियमों का पालन और अनुपालन करेगा। सेवा शुरू करने से पहले, सेवा प्रदाता नियोक्ता के सुरक्षा इंजीनियरों या ईआईसी से परामर्श लेगा और आग लगने के कारण

नियोक्ता की किसी भी मौजूदा संपत्ति को हुए नुकसान या क्षति की नियोक्ता के संतुष्ट होने पर या इस समझौते के तहत भरपाई करेगा।

5.3 प्राथमिक चिकित्सा और औद्योगिक चोटें:

i) सेवा प्रदाता अपने कर्मचारियों और इसके उप-सेवा प्रदाता के लिए प्राथमिक चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था करेगा।

iii) सेवा प्रदाता एम्बुलेंस सेवा और औद्योगिक चोटों के इलाज के लिए बाहरी व्यवस्था करेगा। इन सेवाओं को प्रदान करने वाले लोगों के नाम कार्य शुरू करने से पहले नियोक्ता को दिए जाएंगे और उनके टेलीफोन नंबरों को सेवा प्रदाता के क्षेत्रीय कार्यालय में प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा।

iii) सभी गंभीर औद्योगिक चोटों को तत्काल नियोक्ता को सूचित किया जाएगा, और सेवा प्रदाता की रिपोर्ट की एक प्रति, जिसमें प्रत्येक व्यक्तिगत चोट, जिसके लिए चिकित्सक की आवश्यकता है, नियोक्ता को प्रस्तुत की जाएगी।

5.4 सामान्य नियम:

5.4.1 बैटरी क्षेत्र, टैंक फार्म, डॉक सीमा या ईआईसी द्वारा चयनित किसी भी क्षेत्र या एससीसी या किसी भी दिशानिर्देश में उल्लिखित किसी भी क्षेत्र के भीतर धूम्रपान करने पर कड़ा प्रतिबंधित है। धूम्रपान करने वाले नियमों के उल्लंघनकर्ताओं पर दंड लगाकर उन्हें तुरंत निकाल दिया जाएगा। इस मामले में ईआईसी का निर्णय सेवा प्रदाता पर अंतिम और बाध्यकारी होगा।

5.5 ज्वलनशील गैस से निपटने में देखभाल:

5.5.1 सेवा प्रदाता सभी सावधानी बरतने के उपाय सुनिश्चित करेगा तथा कानून और / या नियोक्ता के अग्नि प्राधिकरणों द्वारा दी गई सलाह के अनुसार अपेक्षित सभी ज्वलनशील गैस सिलेंडर / ज्वलनशील तरल पदार्थ / पेंट इत्यादि के रखरखाव में अत्यधिक सावधानी बरतेगा।

5.6 स्थान की सुरक्षा:

5.6.1 सेवा प्रदाता सेवाओं के लिए नियोजित अपने कार्यकर्ता / कर्मियों द्वारा और उनके बीच किसी हिंसक या गैर-कानूनी आचरण को रोकने तथा स्थल के आसपास शांति कायम रखने तथा निवासियों और संपत्ति की सुरक्षा के लिए अपेक्षित सावधानी बरतेगा और अपने सर्वोत्तम प्रयास करेगा। यदि नियोक्ता को सेवा के कार्यकाल के दौरान साइट में या उसके

आसपास विशेष पुलिस बल तैनात करने की आवश्यकता होती है, तो उसका खर्च सेवा प्रदाता द्वारा उठाया जाएगा और यदि नियोक्ता द्वारा भुगतान किया जाता है तो उसे सेवा प्रदाता से वसूला जाएगा।

5.7 पर्यावरण:

5.7.1 नियोक्ता अपने संबंधित परिचालनों को इस तरीके से संचालित करने की अपनी वचनबद्धता को स्वीकार करता है जो न केवल सभी प्रासंगिक पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण कानून का अनुपालन करें बल्कि ऐसे परिचालन पर्यावरणीय क्षति या प्रदूषण का कारण न बनें, और इस तरह अन्य सांस्कृतिक और संबंधित धारणाएं प्रभवित न हों। इस प्रतिबद्धता को देखते हुए, सेवा प्रदाता पर्यावरण क्षति या प्रदूषण की रोकथाम करने या उसे कम करने के लिए सेवाओं को निष्पादित करेगा और पर्यावरण के विशिष्ट पहलुओं को पूरी तरह से ध्यान में रखेगा जैसा कि नियोक्ता द्वारा सूचित किया गया है। सेवा प्रदाता सेवाओं से संबंधित सभी लागू पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण कानून का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

5.7.2 भारत सरकार द्वारा घोषित किसी भी कानून, विनियम और नियमों के अलावा, सेवा प्रदाता:

- कार्य करने में पर्यावरणीय क्षति की रोकथाम के लिए उन्नत तकनीक, प्रथाओं और संचालन के तरीकों सहित उत्कृष्ट अंतर्राष्ट्रीय तेल और गैस उद्योग प्रथाओं को लागू करेगा;

- पर्यावरणीय क्षति को रोकने के लिए आवश्यक और पर्याप्त कदम उठाएगा, जहां पर्यावरण पर कुछ प्रतिकूल प्रतिक्रियाएं अपरिहार्य हैं, ऐसे नुकसान को कम करें और संपत्ति और लोगों के परिणामी प्रभाव को कम करें; तथा

- लागू होने पर पर्यावरणीय निकासी द्वारा लगाए गए दिशानिर्देशों, सीमाओं या प्रतिबंधों, यदि कोई हो, का पालन करें।

5.7.3 यदि सेवा प्रदाता की सेवाओं के निष्पादन के दौरान, नियोक्ता का यह मानना है कि सेवा प्रदाता या तो इस संविदा के सख्त अनुपालन में सेवाओं का संचालन नहीं कर रहा है या सेवाएं इस तरह से कर रहा है जिससे पर्यावरण खतरे में पड़ रहा है या इस तरह से कर रहा है कि पर्यावरण संरक्षण या प्रदूषण नियंत्रण कानून के उल्लंघन से जोखिम उत्पन्न हो रहा है, तो नियोक्ता सेवा प्रदाता को ऐसे आचरण के लिए लिखित में सूचित करेगा और सेवा प्रदाता ऐसे अधिसूचित आचरण या ईआईसी द्वारा तय किए गए अनुसार चौबीस (24) घंटों के अंदर नियोक्ता को उचित रूप से संतुष्ट करते हुए सुधारात्मक कार्रवाई प्रारंभ करेगा। जब तक सेवा प्रदाता द्वारा ऐसी कार्रवाई की जाती है, तब तक नियोक्ता सेवा प्रदाता को सेवा को पूरी तरह से या आंशिक रूप से बंद करने के लिए कह सकता है।

5.7.4 सेवा प्रदाता नियोक्ता को पेट्रोलियम के बिखराव या संभावित बिखराव या किसी भी प्रदूषण या संभावित प्रदूषणकारी घटना के घटने का उचित व्यावहारिक समाधान करने के लिए कहेगा। प्रत्येक और ऐसी किसी भी घटना के लिए सेवा प्रदाता घटना रिपोर्ट फॉर्म में प्रासंगिक जानकारी दर्ज करेगा और भरा गया फॉर्म नियोक्ता को तुरंत प्रदान करेगा।

5.7.5 इस संविदा के अनुसार कार्य के पूरा होने के बाद और साजो-सामान हटाने से पहले, सेवा प्रदाता अपने खर्च पर संतोषजनक ढंग से सभी मलबे का निपटान करेगा, सभी अस्थायी कार्य, उपकरण और सामग्रियों को हटाएगा और सभी अधिशेष अतिरिक्त पुर्जों और बची-खुची आपूर्ति सामग्रियों को नियोक्ता के गोदाम में लौटाएगा। इसके अलावा, सेवा प्रदाता उसके द्वारा खरीदी गई अतिरिक्त अधिशेष सामग्री (अर्थात् संविदा के तहत साइट पर कार्य / सेवाओं के लिए सेवा प्रदाता द्वारा लाई गई सामग्रियों, जिन्हें कार्य/ सेवाओं के लिए उनके द्वारा उपयोग नहीं किया गया और साइट पर बची सामग्री) को ले जा सकेगा बशर्ते कि ईआईसी की पूर्व लिखित सहमति हो। ऐसी अधिशेष सामग्री, यदि कोई हो, के लिए किए गए भुगतान की सेवा प्रदाता के भुगतान से वसूली की जाएगी।

सेवा प्रदाता परिसर को साफ और सुरक्षित स्थिति में छोड़ेगा। सेवा प्रदाता को सभी साइट्स और आस-पास के क्षेत्र को छोड़न होगा जिस तरह यह संविदा के शुरू होने के समय मौजूद थी।

5.7.6 सेवा प्रदाता:

यह सुनिश्चित करेगा कि नियोक्ता द्वारा किए गए त्वरित पर्यावरणीय प्रभाव आकलन सहित प्रासंगिक पर्यावरणीय प्रभाव अध्ययनों को अपने कार्मिकों और उसके उप-सेवा प्रदाताओं को उपलब्ध कराया गया है ताकि कार्य को करने के लिए पर्यावरणीय संरक्षण के उपायों और विधियों के बारे में पर्याप्त जागरूकता पैदा की जा सके;

सेवाओं की सुरक्षा के लिए या जनता या दूसरों की सुरक्षा और सुविधा के लिए, ईआईसी द्वारा जहां-कहीं आवश्यक हों या आवश्यकतानुसार, अपनी लागत पर सभी प्रकाश-व्यवस्था, गार्ड, बाड़ लगाने, चेतावनी संकेतक लगाएगा और उन्हें बनाए रखेगा।

यह सुनिश्चित करेगा कि सेवाओं से संबंधित सेवा प्रदाता और उसके उप सेवा प्रदाता (यदि अनुमति हो) के बीच संविदा की गई है, और इसमें निम्नलिखित प्रावधान शामिल हैं;

- साइट से हटाने के लिए ज़िम्मेदार रहें या अन्यथा लागू भारतीय कानूनों और निर्देशों के अनुसार साइट पर अपनी गतिविधियों के दौरान सेवा प्रदाता द्वारा सृजित या जारी की गई सामग्रियां, जो विषाक्त हों या समान रूप से व्यक्तियों के स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए या पर्यावरण के लिए खतरनाक हैं, को सुरक्षित बनाएगा;

- नियोक्ता को सभी मांगों, दावों, मुकदमों और कार्रवाई के कारणों तथा किसी भी और सभी देयता, लागत, व्यय, निपटान और उसके संबंध में किए गए निर्णयों (नियोक्ता द्वारा खर्च की गई न्यायालय की लागत और वकील की फीस सहित), जो ऐसी विषाक्त या खतरनाक त्रिशूल सामग्री से उत्पन्न होती है जिसके लिए सेवा प्रदाता इस शर्त के अनुसार उत्तरदायी है, की क्षतिपूर्ति करेगा, इससे सुरक्षित और अक्षुण्ण रखेगा।

खंड – VI

6.0 विवाद समाधान और मध्यस्थता:

6.1 विवाद समाधान:

6.1.1 गेल (इंडिया) लिमिटेड ने समझौता नियम 2010 को भारतीय मध्यस्थता और समझौता अधिनियम 1996 के भाग III के अनुपूरक के रूप में समझौते के माध्यम से विवादों के त्वरित, किफायती और सौहर्दपूर्ण निपटान के लिए बनाया है। उक्त नियमों की एक प्रति सुलभ संदर्भ के लिए गेल की वेबसाइट www.gailonline.com पर उपलब्ध कराई गई है। जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न किया जाए, संविदा में उपलब्ध कराए गए और मुद्दों / विवादों में प्रदान किए गए अनुसार ऐसे मामलों में, जिसका उचित समय में पारस्परिक रूप से हल नहीं किया जा सकता है, अभियंता-प्रभारी का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी माना जाएगा, और सभी विवादों को समझौता नियम 2010 के अनुसार सुलझाया जाएगा।

6.1.2 इस संविदा के संबंध में पार्टियों के बीच उत्पन्न होने वाले किसी विवाद(दों) / अंतर / मुद्दे (मुद्दों), जो कोई भी हों, को उपरोक्त नियमों के अनुसार सुलझाया जाएगा।

6.1.3 किसी भी विवाद(दों) / मतभेद(दों) / मुद्दे(मुद्दों) के मामले में, कोई पार्टी दूसरी पार्टी(पार्टियों) को पार्टियों में/ उनके बीच ऐसे विवाद(दों) / मतभेद(दों) / मुद्दे(मुद्दों) के बारे में लिखित में और ऐसी पार्टी विवाद(दों)/ मतभेद(दों) / मुद्दे(मुद्दों) पर सुलह करना चाहती है, के रूप में अधिसूचित करेगी। समझौते के लिए ऐसे निमंत्रण में अन्य पार्टी(पार्टियों) को विवाद(दों) / मतभेद(दों) के बारे में पर्याप्त जानकरी होगी ताकि अन्य पार्टी(पार्टियों) को विवाद(दों) / मतभेद(दों) / मुद्दे(मुद्दों), आर्थिक दावे की राशि, यदि कोई हो, और कार्रवाई के स्पष्ट कारण(णों) की प्रकृति के बारे में पूरी जानकारी दी जा सके।

6.1.4 समझौता कार्यवाही तब शुरू होती है जब अन्य पार्टी(पार्टियां) मामला सुलझाने और लिखित में पुष्टि करने के लिए निमंत्रण स्वीकार करती हैं। यदि अन्य पार्टी(पार्टियां) निमंत्रण स्वीकार नहीं करती हैं, तो कोई समझौता कार्यवाही नहीं होगी।

6.1.5 यदि सुलह की कार्रवाई शुरू करने वाली पार्टी निमंत्रण भेजने की तारीख से तीस दिन के अंदर, या निमंत्रण में निर्दिष्ट समयावधि के भीतर, उत्तर प्राप्त नहीं करती है तो वह इसे समझौता करने के लिए निमंत्रण की अस्वीकृति के रूप में चुन सकता है। यदि वह ऐसा करता है, तो वह तदनुसार अन्य पार्टी(पार्टियों) को सूचित करेगा।

6.1.6 जहां समझौते के लिए निमंत्रण दिया गया है, वहां पार्टियां भारतीय मध्यस्थता और समझौता अधिनियम, 1996 और गेल (इंडिया) लिमिटेड समझौता नियम, 2010 के भाग-।।। के अंतर्गत ऐसे विवाद का समाधान करने का प्रयास करेंगी। इस वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली के रूप में समझौता के विकल्प के समाप्त होने के बाद ही पार्टियां खंड सं. 6.2 के संदर्भ में मध्यस्थता के लिए आगे कार्रवाई करेंगी। इस खंड के प्रयोजन के लिए, किसी भी पार्टी द्वारा 'समझौता' स्वीकार न करने के मामले में, 'समझौते' का विकल्प समाप्त हो गया माना जाएगा।

6.1.7 समझौता कार्यवाही की लागत, जो केवल समझौताकर्ता(ओं) के शुल्क, विमान किराया, स्थानीय परिवहन, आवास, सम्मेलन सुविधा की लागत आदि तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसे पार्टियों द्वारा समान रूप से वहन किया जाएगा।

6.1.8 पार्टियां ब्याज के दावे, यदि कोई हों, को प्रस्तुत नहीं करेंगी और समझौते की कार्यवाही होने तक इसका दावा नहीं करेंगे। निपटान समझौते पर जब भी सहमति हो, और उस पर पार्टियों के बीच हस्ताक्षर किए जाएंगे, तभी से निपटान समझौते की तारीख को समाप्त कर दिया जाएगा।

6.2 मध्यस्थता:

6.2.1 यदि उन मुद्दों / विवादों का खंड सं. 6.1 के अनुसरण में विवाद समाधान तंत्र के माध्यम से हल नहीं किया जा सकता है, तो ऐसे सभी विवादों को एकमात्र मध्यस्थ द्वारा मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा। नियोक्ता एकमात्र मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए उनमें से किसी एक को चुनने के लिए सेवा प्रदाता को तीन स्वतंत्र और प्रतिष्ठित व्यक्तियों के एक पैनल का सुझाव देगा। यदि अन्य पार्टियां मध्यस्थों के पैनल के सुझाव की सूचना की प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर एकल मध्यस्थ का चयन करने में असफल रहती हैं, तो दूसरी पार्टी द्वारा एकमात्र मध्यस्थ के चयन का अधिकार जब्त कर लिया जाएगा और नियोक्ता को अपने विवेक पर एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति करने का अधिकार होगा। एकमात्र मध्यस्थ के संबंध में नियोक्ता का निर्णय पार्टियों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा। एकमात्र मध्यस्थ का निर्णय पार्टियों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा और जब तक कि एकमात्र मध्यस्थ द्वारा अन्यथा निर्देशित / निर्णय नहीं किया जाता है, मध्यस्थता कार्यवाही की लागत को पार्टियों द्वारा समान रूप से साझा किया जाएगा। मध्यस्थता कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी और सीट / स्थल नई दिल्ली, भारत होगी। उपर्युक्त के अधीन, भारतीय मध्यस्थता और समझौता अधिनियम 1996 के प्रावधान तथा इसके नियम और संशोधन लागू होंगे। इस संविदा से संबंधित सभी मामले दिल्ली राज्य में स्थित न्यायालय के विशिष्ट क्षेत्राधिकार के अधीन हैं।

ठेकेदार कृपया यह नोट करें कि मध्यस्थता और समझौता अधिनियम 1996 को भारतीय संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था और यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून (यूएनसीआईटीआरएल मॉडल कानून) पर संयुक्त राष्ट्र आयोग पर आधारित है, जो मध्यस्थ संस्थानों और अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता केंद्रों के साथ व्यापक परामर्श के बाद तैयार किए गए थे। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिनांक 15 दिसंबर 1976 के संकल्प 31/98 के अनुसार यूएनसीआईटीआरएल मध्यस्थता नियमों को अपनाया था।

जीसीसी और अन्य संविदा दस्तावेजों के विपरीत कुछ भी शामिल होने के बावजूद, यदि यह पाया जाता है कि बोलीदाता / सेवा प्रदाता बोली लगाने के समय या संविदा के निष्पादन के दौरान "भ्रष्ट / धोखाधड़ी / कपटपूर्ण / प्रतिरोधी आचरण संबंधी प्रक्रिया में संलिप्त था, तो सेवा प्रदाता / बोलीदाता को प्रतिबंध लगाने के ऐसे आदेश के जारी होने की तारीख से (उपरोक्त प्रक्रिया के मामले में) प्रतिबंधित किया जाएगा।

यदि बोलीदाता / सेवा प्रदाता यह समझता है और मानता है कि प्रतिबंध लगाने के ऐसे मामलों में, नियोक्ता का निर्णय अंतिम बोलीदाता और सेवा प्रदाता पर बाध्यकारी होगा और जीसीसी और अन्य संविदा दस्तावेजों में उल्लिखित मध्यस्थता खंड किसी भी मुद्दे / इस मामले में उत्पन्न विवाद पर लागू नहीं होगा।

6.2.2 सार्वजनिक क्षेत्र के विभाग में सीपीएसई विवाद (एएमआरसीडी) के समाधान के लिए प्रशासनिक तंत्र के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम(मों) तथा लोक क्षेत्र उद्यम(मों) और सरकारी विभाग(गों) के बीच परस्पर वाणिज्यिक विवादों का निपटान:

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) और सीपीएसई और सरकारी विभागों / संगठनों (रेलवे, आय कर, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क विभागों से संबंधित विवादों को छोड़कर) के बीच परस्पर वाणिज्यिक संविदा (संविदाओं) के प्रावधानों की व्याख्या और प्रयोगों से संबंधित किसी विवाद या मतभेद के मामले में, ऐसे किसी भी विवाद या मतभेद को किसी भी पार्टी द्वारा दिनांक 22.05.2018 के डीपीई ओएम सं.4(1)/2013-डीपीई (जीएम)/ एफटीएस-1835 में उल्लिखित अनुसार एएमआरसीडी के माध्यम से उठाया जाएगा।

6.3 अधिकार क्षेत्र:

6.3.1 संविदा भारत में लागू कानूनों के अनुसार अधिशासित और निर्मित की जाएगी। सेवा प्रदाता एतद्वारा संविदा से उत्पन्न विवादों, कार्यों और कार्यवाहियों के प्रयोजनों के लिए नई दिल्ली / दिल्ली में स्थित न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को स्वीकार करता है और इस बात पर सहमति व्यक्त करता है कि ऐसे विवादों, कार्यों और कार्यवाही की सुनवाई और निर्णय लेने का विशिष्ट क्षेत्राधिकार केवल नई दिल्ली/ दिल्ली के न्यायालयों को होगा।

6.4 संविदा जारी रखना:

इस तथ्य के बावजूद कि विवाद (यदि कोई हों) का निपटारा लंबित है, यहां पार्टियां इस संविदा के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार सेवाओं को अधिशासित और निष्पादित करती रहेंगी।

परिशिष्ट-I

भ्रष्टाचार / धोखाधड़ी / कपटपूर्ण / प्रतिरोधी आचरण के मामले में कार्रवाई के लिए प्रक्रिया

क. परिभाषाएं:

क.1 "भ्रष्ट आचरण" का अर्थ चयन प्रक्रिया में या संविदा निष्पादन में कार्रवाई को अनुचित रूप से प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई मूल्यवान वस्तु देने का प्रस्ताव करना, देना, प्राप्त करन या आग्रह करने है।

"भ्रष्ट आचरण" में किसी गलतफहमी के लिए कोई भी चूक करना शामिल है जो गुमराह करने या गुमराह करने का प्रयास कर सकती है ताकि वित्तीय या अन्य लाभ प्राप्त किया जा सके या दायित्व से बचा जा सके।

क.2 "धोखाधड़ी आचरण" का अर्थ है किसी एजेंसी द्वारा या उसकी मिलीभगत से या उसके एजेंट द्वारा गलत तरीके से प्रस्तुत / जाली दस्तावेज और / या झूठी सूचना प्रस्तुत करना या तथ्यों को छुपाना या संविदा / आदेश के निष्पादन के दौरान चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए धोखा देना।

क.3 "बोलीदाताओं के बीच कपटपूर्ण आचरण (बोली प्रस्तुत करने से पहले या बाद में)" का अर्थ एक ऐसी योजना या व्यवस्था से है जिसे कृत्रिम गैर-प्रतिस्पर्धी स्तर पर बोली मूल्य स्थापित करने तथा मुक्त और खुली प्रतिस्पर्धा के लाभ से नियोक्ता को वंचित करने के लिए बनाया गया है।

क.4 "प्रतिरोधी आचरण" का अर्थ है किसी एजेंसी या उसकी संपत्ति को किसी एजेंसी की अनुचित कार्रवाइयों को प्रभावित करने, किसी भी जांच में बाधा डालने या खरीद प्रक्रिया की लेखा-परीक्षा को प्रभावित करने के लिए किसी भी एजेंसी या उसकी संपत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुंचाना या नुकसान पहुंचाने की धमकी देना।

क.5 "बोलीदाता / सेवा प्रदाता" को यहां इसके बाद से "एजेंसी" के रूप में संदर्भित किया गया है

क.6 "अपीलीय प्राधिकरण" का अर्थ निदेशक (परियोजनाओं) के अंतर्गत कार्य केंद्रों के लिए निदेशक (वित्त) और निदेशक (बीडी) सहित निदेशकों की नियोक्ता समिति होगा। अन्य सभी मामलों के लिए निदेशकों की समिति में निदेशक (वित्त) और निदेशक (परियोजनाएं) शामिल होंगी।

क.7 "सक्षम प्राधिकारी" का अर्थ वह प्राधिकरण होगा, जो एजेंसी/ एजेंसियों से संबंधित व्यवसाय के निलंबन और एजेंसी / एजेंसियों के साथ व्यापार लेनदेन पर प्रतिबंध लगाने के लिए अंतिम निर्णय लेने में सक्षम है और संबंधित "निदेशक" होगा।

क.8 "संबद्ध एजेंसी" का अर्थ प्रतिबंधित / निलंबित एजेंसियों के प्रभावी प्रभाव के क्षेत्र से संबंधित सभी पहलुओं से है। इसे निर्धारित करने में, निम्नलिखित घटकों को ध्यान में रखा जाएगा:

(क) क्या प्रबंधन सामान्य है;

(ख) प्रबंधन में व्यापक हिस्सेदारी प्रतिबंधित / निलंबित फर्म के भागीदारों या निदेशकों द्वारा धारित होती है।

(ग) पर्याप्त या व्यापक शेयरों का स्वामित्व प्रतिबंधित / निलंबित एजेंसी द्वारा धारित होते हैं और इसके आधार पर इसे नियंत्रित किया जाता है।

क.9 "जांच एजेंसी" का अर्थ एजेंसी / पार्टी के आचरण की जांच करने के लिए गेल के किसी भी विभाग या इकाई से होगा और इसमें गेल का सतर्कता विभाग, केंद्रीय जांच ब्यूरो, राज्य पुलिस या केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा स्थापित कोई भी अन्य एजेंसी शामिल होगी, जिसे जांच करने का अधिकार है।

ख भ्रष्ट / धोखाधड़ी / कपटपूर्ण / प्रतिरोधी आचरण में संलिप्त बोलीदाताओं के खिलाफ कार्रवाई।

ख.1 बोलियों के मूल्यांकन के दौरान पाई गई अनियमितताएं:

यदि बोली प्रक्रिया / बोलियों के मूल्यांकन चरण के दौरान कोई बोलीदाता भ्रष्ट/ धोखाधड़ी / कपटपूर्ण / प्रतिरोधी आचरण में संलिप्त पाया जाता है, तो ऐसे बोलीदाता की बोली रद्द कर दी जाएगी और उसकी बयाना राशि (ईएमडी) जब्त कर ली जाएगी।

इसके अलावा, ऐसी एजेंसी को प्रतिबंध आदेश के जारी होने की तारीख से नीचे पैरा ख 2.2 में निर्दिष्ट अवधि के लिए गेल के साथ भविष्य में व्यवसाय करने के लिए प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।

ख.2 संविदा प्रदान करने के बाद पाई गई अनियमितताएं

(i) संविदा के निष्पादन के दौरान:

यदि कोई एजेंसी संविदा के निष्पादन के दौरान भ्रष्टाचार / धोखाधड़ी / कपटपूर्ण / प्रतिरोधी आचरण में संलिप्त पाई जाती है, तो एजेंसी को प्रतिबंध आदेश के जारी होने की तारीख से नीचे पैरा ख 2.2 में निर्दिष्ट अवधि के लिए गेल के साथ भविष्य में व्यवसाय करने के लिए प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।

संबंधित आदेश(शों) / संविदा(संविदाओं), जहां भ्रष्ट / धोखाधड़ी / कपटपूर्ण आचरण पाया जाता है, को ईआईसी / नियोक्ता द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया जाएगा, जिसके द्वारा आपूर्ति / कार्य/ सेवा और भुगतान आदि निलंबित कर दिया जाएगा। एजेंसी को प्रतिबंधित करने के लिए कार्रवाई शुरू की जाएगी।

प्रक्रिया के पूरा होने के बाद, ऐसे आदेश(शों) / संविदा (संविदाओं), जहां यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि ऐसी अनियमितताएं हुई हैं और एजेंसी द्वारा ऐसे आदेश(शों) / संविदा (संविदाओं) के प्रत्युत्तर में संविदा-सह-निष्पादन बैंक गारंटी (सीपीबीजी) / सीपीएस जब्त कर ली जाएगी। ठेकेदार द्वारा पहले किए गए कार्य के

निष्पादन के कारण उसे देय राशि का भुगतान ठेकेदार को किया जाएगा और यह राशि संविदा की शर्तों के अधीन सेवा प्रदाता से देय किसी भी राशि के समायोजन के अधीन होगी।

ऐसे मामलों में कोई जोखिम और लागत प्रावधान लागू नहीं किया जाएगा।

(ii) संविदा के निष्पादन के बाद और दोष देयता अवधि (डीएलपी) / वारंटी / गारंटी अवधि के दौरान:

यदि एजेंसी संविदा के निष्पादन के बाद और डीएलपी / वारंटी / गारंटी के दौरान भ्रष्टाचार / धोखाधड़ी / कपटपूर्ण / प्रतिरोधी आचरण में संलिप्त पाई जाती है, तो एजेंसी को प्रतिबंध आदेश के जारी होने की तारीख से नीचे पैरा ख 2.2 में निर्दिष्ट अवधि के लिए गेल के साथ भविष्य में व्यवसाय करने के लिए प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।

इसके अलावा, ऐसे आदेश(शों)/ संविदा (संविदाओं) के खिलाफ एजेंसी द्वारा प्रस्तुत संविदा-सह-निष्पादन बैंक गारंटी (सीपीबीजी) / सीपीएस जब्त कर ली जाएगी।

(iii) दोष देयता अवधि (डीएलपी) / वारंटी / गारंटी अवधि के समाप्त होने के बाद

यदि किसी एजेंसी को दोषपूर्ण देयता अवधि (डीएलपी) / वारंटी / गारंटी अवधि की समाप्ति के बाद भ्रष्ट / धोखाधड़ी / कपटपूर्ण / प्रतिरोधी आचरण में संलिप्त पाया जाता है, तो एजेंसी को प्रतिबंध आदेश के जारी होने की तारीख से नीचे पैरा ख 2.2 में निर्दिष्ट अवधि के लिए गेल के साथ भविष्य में व्यवसाय करने के लिए प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।

ख.2.2 प्रतिबंध लगाने की अवधि

भ्रष्ट / धोखाधड़ी / कपटपूर्ण / प्रतिरोधी आचरण में संलिप्त एजेंसियों पर प्रतिबंध निम्नानुसार लगाया जाएगा और उसकी गणना प्रतिबंध लगाने की तारीख से की जाएगी:

क्र.सं.	विवरण	प्रतिबंध आदेश जारी करने की तारीख से प्रतिबंध लगाने की अवधि
1	निविदा के बीईसी से संबंधित गलत बयानी/ झूठी सूचना, लेकिन जिससे चयन प्रक्रिया पर असर पड़ता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई एजेंसी पीएसयू / सरकारी विभाग, परिसमापन, दिवालियापन आदि की होलिडे / प्रतिबंध सूची में नहीं होने की पुष्टि करती है, और बाद में इसके विपरीत पाया जाता है, तो ऐसी कार्रवाई को इस श्रेणी में माना जाएगा।	02 वर्ष
2 2.1	भ्रष्ट / धोखाधड़ी (निविदा की बीईसी से संबंधित) / कपटपूर्ण/ प्रतिरोधी आचरण यदि कोई एजेंसी उन पर लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद बाद के मामलों में पुन: भ्रष्ट / धोखाधड़ी (निविदा की बीईसी से संबंधित)/ कपटपूर्ण / प्रतिरोधी आचरण करती है, तो बार-बार अपराध की ऐसी स्थिति को अधिक गंभीरता से निपटाया जाना चाहिए और प्रतिबंध लगाने की अवधि निम्नानुसार होगी: (i) एक बार दोहराने पर (vi) दो या दो से अधिक बार दोहराने पर	03 वर्ष 7 वर्ष (पहले से दी गई अवधि के अतिरिक्त) 15 वर्ष (पहले से दी गई अवधि के अतिरिक्त)
3	गेल द्वारा प्रदान की गई सामग्रियों के अनधिकृत निपटान में संलिप्तता	7 वर्ष
4	यदि विक्रेता / ठेकेदार का कार्य राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो	15 वर्ष

ग. अन्य चालू संविदाओं / निविदाओं पर प्रतिबंध लगाने का प्रभाव

ग.1 यदि किसी एजेंसी पर प्रतिबंध लगाया जाता है, तो ऐसी एजेंसी की मौजूदा निविदाओं / भावी निविदाओं पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

ग.2 तथापि, यदि ऐसी एजेंसी पहले से ही अन्य आदेश(शों) / संविदा (संविदाओं) को निष्पादित कर रही है, जहां कोई भ्रष्ट/ धोखाधड़ी / कपटपूर्ण / प्रतिरोधी आचरण नहीं मिलता है, तो एजेंसी को इसके पूरा होने तक कार्य जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए और संविदा में उल्लिखित मूल कार्यक्षेत्र को छोड़कर आगे विस्तार नहीं किया जाना चाहिए।

ग.3 यदि निविदा के दौरान किसी एजेंसी को प्रतिबंधित सूची में रखा जाता है और प्रक्रियाधीन मामले में कोई अनियमितता नहीं पाई जाती है तो:

ग.3.1 पूछताछ / बोली / निविदा जारी करने के बाद, लेकिन तकनीकी बोली खोलने से पहले, एजेंसी द्वारा प्रस्तुत बोली को अनदेखा कर दिया जाएगा।

ग.3.2 तकनीकी बोली खोलने के बाद, लेकिन मूल्य बोली खोलने से पहले, एजेंसी की मूल्य बोली को खोला नहीं जाएगा और एजेंसी द्वारा प्रस्तुत बीजी / ईएमडी एजेंसी को वापस कर दी जाएगी।

ग.3.3 मूल्य बोली खुलने के बाद, एजेंसी द्वारा बनाई गई बीजी / ईएमडी उसे वापस कर दी जाएगी; एजेंसी के प्रस्ताव की अनदेखी कर दी जाएगी और इसका आगे मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। यदि एजेंसी को उसी निविदा / अन्य निविदा में उल्लिखित तथ्यों के धोखाधड़ी / दुर्विनियोजन के लिए प्रतिबंधित सूची में डाला जाता है, और जहां दोषी एजेंसी न्यूनतम (एल 1) के रूप में उभरती है, तो ऐसी निविदा को भी रद्द कर दिया जाएगा और बोली फिर से आमंत्रित की जाएगी।

घ. बोलीदाता को निलंबित करने की प्रक्रिया

घ.1 निलंबन प्रारंभ करना

किसी भी एजेंसी / (एजेंसियों) के साथ व्यवसाय निलंबन की कार्रवाई तब शुरू की जाएगी जब

(i) कॉरपोरेट सतर्कता विभाग, गेल उनके द्वारा जांच के दौरान मामले के संबंध में जुटाए गए तथ्यों के आधार पर एजेंसी के खिलाफ विशिष्ट तत्काल कार्रवाई की सिफारिश करता है।

(ii) कॉर्पोरेट सतर्कता विभाग, गेल जांच एजेंसी से प्राप्त इनपुट के आधार पर, एजेंसी के खिलाफ विशिष्ट तत्काल कार्रवाई की सिफारिश करता है।

(iii) बोलीदाता / सेवा प्रदाता के गैर-निष्पादन पर संविदा / आदेश को समाप्त किया जा सकता है।

घ.2 निलंबन प्रक्रिया:

घ.2.1 निलंबन का आदेश शुरुआत में छह महीने से अधिक की अवधि के लिए नहीं होगा तथा इसकी सूचना एजेंसी और कॉर्पोरेट सतर्कता विभाग को भी दी जाएगी। एजेंसी को प्रतिबंधित सूची में डालने संबंधी निर्णायक निर्णय के छह महीने की अधिकतम सीमा तक लंबित रहने की अवधि में इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से एक माह की अवधि तक के लिए बढ़ाया जा सकता है।

घ.2.2 निलंबन की अवधि के दौरान, एजेंसी के साथ कोई नया व्यापार समझौता नहीं किया जाएगा।

घ.2.3 निलंबन की अवधि की गणान एजेंसी के साथ व्यापार पर प्रतिबंध लगाने के लिए पारित अंतिम आदेश से की जाएगी।

घ.2.4 व्यापार लेनदेन के निलंबन संबंधी निर्णय की सूचना एजेंसी को भी दी जाएगी।

घ.3 व्यापार के निलंबन का प्रभाव:

अन्य चालू / भविष्य निविदाओं पर निलंबन का प्रभाव निम्नानुसार होगा:

घ.3.1 जब तक एजेंसी का नाम निलंबन सूची में रहता है तब तक एजेंसी से कोई पूछताछ / बोली / निविदा पर विचर नहीं किया जाएगा।

घ.3.2 यदि निविदा के दौरान एजेंसी को निलंबन सूची में डाला जाता है तो:

घ.3.2.1 पूछताछ / बोली / निविदा जारी करने के बाद, लेकिन तकनीकी बोली खोलने से पहले, एजेंसी द्वारा प्रस्तुत बोली को अनदेखा कर दिया जाएगा।

घ.3.2.2 तकनीकी बोली खोलने के बाद, लेकिन मूल्य बोली खोलने से पहले, एजेंसी की मूल्य बोली को खोला नहीं जाएगा और एजेंसी द्वारा प्रस्तुत बीजी / ईएमडी एजेंसी को वापस कर दी जाएगी।

घ.3.2.3 मूल्य बोली खुलने के बाद, एजेंसी द्वारा बनाई गई बीजी / ईएमडी उसे वापस कर दी जएगी; एजेंसी के प्रस्ताव की अनदेखी कर दी जाएगी और इसका आगे मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। यदि एजेंसी को उसी निविदा / अन्य निविदा में उल्लिखित तथ्यों के धोखाधड़ी / दुर्विनियोजन के लिए प्रतिबंधित सूची में डाला जाता है, और जहां दोषी एजेंसी न्यूनतम (एल 1) के रूप में उभरती है, तो ऐसी निविदा को भी रद्द कर दिया जाएगा और बोली फिर से आमंत्रित की जाएगी।

घ.3.3 निष्पादन के अंतर्गत मौजूदा संविदा(एं) / आदेश जारी रहेंगे।

घ.3.4 वस्तुओं, कार्यों, सेवाओं और परामर्शी सेवाओं की खरीद के लिए आमंत्रित निविदाओं में यह प्रावधान है कि बोलीदाता यह वचनपत्र देगा कि (i) न ते बोलीदाता स्वयं और न ही उसकी संबद्ध एजेंसी / (एजेंसियां) गेल या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की प्रतिबंधित सूची में हैं, और (ii) बोलीदाता किसी भी सरकारी विभाग / सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा प्रतिबंधित नहीं है।

च. सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के खिलाफ एफ अपील:

च.1 एजेंसी सक्षम प्राधिकारी के आदेश के खिलाफ एजेंसी को प्रतिबंधित सूची में रखने पर अपील दायर कर सकती है। अपील अपीलीय प्राधिकारी को दायर की जाएगी। ऐसी अपील प्रतिबंध लगाने के आदेश से एक माह के भीतर दी जाएगी।

च.2 अपीलीय प्राधिकारी अपील पर विचार करेगी और उचित आदेश पारित करेगी, जिसे पार्टी के साथ-साथ सक्षम प्राधिकारी को सूचित किया जाएगा।

च.3 अपीलीय प्राधिकारी को अपील दायर करने के 45 दिनों के अंदर अपील प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए।

जहां-कहीं भी 'सत्यनिष्ठा समझौता', जीसीसी और 'भ्रष्ट / धोखाधड़ी / कपटपूर्ण/ प्रतिरोधी आचरण के मामले में कार्रवाई की प्रक्रिया' के संबंध में विरोधाभास है, वहां 'भ्रष्टाचार / धोखाधड़ी / कपटपूर्ण/ प्रतिरोधी आचरण के मामले में कार्रवाई के लिए प्रक्रिया' के प्रावधान लागू होंगे।

परिशिष्ट 2

विक्रेता / आपूर्तिकर्ताओं / ठेकेदारों / परामर्शदाताओं के निष्पादन की प्रक्रिया

1.0 सामान्य

विक्रेताओं / आपूर्तिकर्ताओं / ठेकेदारों / परामर्शदाताओं *(इसके बाद "सेवा प्रदाता" के रूप में संदर्भित)* के मूल्यांकन की प्रणाली और उनका निष्पदन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और किसी संगठन के प्रभावी क्रय और संविदा कार्य का समर्थन करने के लिए महत्वपूर्ण है।

सभी भागीदार विक्रेताओं / आपूर्तिकर्ताओं / ठेकेदारों / परामर्शदाताओं के निष्पादन की गहन निगरानी की जानी चाहिए ताकि किसी विक्रेता से आपूर्तियों की समय पर प्राप्ति, परामर्शदाता द्वारा समय पर कार्य पूरा करना या निर्धारित समापन अवधि के भीतर ठेकेदार द्वारा आदेश का पूरा निष्पादन सुनिश्चित किया जा सके। परियोजनाओं के समय पर निष्पादन के लिए और प्रचलन संयंत्रों के संचालन और रखरखाव की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, यह आवश्यक है कि आदेश को लागू करने या कार्य देने से लेकर उसके समापन चरण तक संविदाओं की निगरानी की जाए और समय पर सुधारात्मक उपाय किए जाएं।

2.0 उद्देश्य

निष्पादन के मूल्यांकन का उद्देश्य विश्वसनीय विक्रेताओं / आपूर्तिकर्ता / ठेकेदारों / परामर्शदताओं की पहचान करना है ताकि वे निरंतर अपेक्षाओं और आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।

इस प्रक्रिया का उद्देश्य गेल से जुड़े विक्रेताओं / आपूर्तिकर्ता / ठेकेदारों / परामर्शदताओं के निष्पादन की निगरानी करने के लिए एक प्रणाली स्थापित करना है जिससे विभिन्न परियोजनाओं को समय पर पूरा करना और आपूर्तियों की समय पर प्राप्ति किया जा सके, जिसमें सभी मामलों में परिचालन संयंत्रों और गुणवत्ता मानकों के प्रचालन एवं रखरखाव के लिए कार्यों और सेवाओं को पूरा करना शामिल है।

3.0 पद्धति

i) निष्पादन दर डेटा शीट तैयार करना

7 लाख रुपए और उससे ऊपर के मूल्य वाले सभी आदेशों / संविदाओं के लिए प्रत्येक विक्रेता/ आपूर्तिकर्ता / ठेकेदार/ परामर्शदाता के लिए निष्पादन दर डेटा शीट की सिफारिश की जाती है। परियोजनाओं और ओएंडएम से संबंधित आदेशों / संविदाओं के लिए इन डेटा शीटों को अलग से तैयार किया जाना चाहिए। निष्पादन दर डेटा शीट तैयार करने के लिए फार्मेट, मापदंड, प्रक्रिया उत्तरदायित्व का अलग-अलग उल्लेख किया जाता है।

ii) <u>निष्पादन का माप</u>

डेटा शीट में परिभाषित मापदंडों के आधार पर, संबंधित विक्रेता / आपूर्तिकर्ता / ठेकेदार / परामर्शदाता के निष्पादन की तदनुसार गणना और वर्गीकरण किया जाएगा। पार्टी के निष्पादन की माप, दिए गए मापदंडों में न्यूनतम 60% अंक प्राप्त करने की उसकी क्षमता होगी।

iv) <u>उपाय प्रारंभ करना:</u>

निष्पादन की ग्रेडिंग के आधार पर, संबंधित विक्रेता / आपूर्तिकर्ता / ठेकेदार / परामर्शदाता के साथ मामला उठाकर सुधारात्मक उपाय शुरू किए जाएंगे। आगे और कार्रवाई करने पर निर्णय लेने से पहले विक्रेता / आपूर्तिकर्ता / ठेकेदार / परामर्शदाता की प्रतिक्रिया पर विचार किया जाएगा।

iv) <u>सुधारात्मक उपाय का कार्यान्वयन:</u>

विक्रेता / आपूर्तिकर्ता / ठेकेदार / सलाहकार की प्रतिक्रिया के आधार पर परियोजनाओं के संबंधित अभियंता-प्रभारी और/या ओएंडम के मामले में ओआईसी गेल के कारोबार से ऐसी पार्टी को जारी रखने या जारी न रखने की सिफारिश करेगा।

v) ओएंडएम के लिए मालिकाना / ओईएम आधार पर दिए गए आदेशों / संविदाओं का मूल्यांकन किया जाएगा और यदि आवश्यक हो, तो भविष्य में सुधार के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

4.0 <u>बहिष्करण:</u>

निम्नलिखित को विक्रेताओं / आपूर्तिकर्ताओं / ठेकेदारों / परामर्शदाताओं के निष्पादन के मूल्यांकन के दायरे से बाहर रखा जाएगा :

i) 7 लाख रुपए के मूल्य से नीचे के आदेश / संविदा
ii) एक-बारगी विक्रेता / आपूर्तिकर्ता / ठेकेदार / परामर्शदाता।
iii) विविध/प्रशासनिक मदों/ गैर-स्टॉक गैर-मूल्यांकन मदों के लिए आदेश।

तथापि, संबंधित अभियंता-प्रभारी / ओआईसी ऐसे मामलों की निगरानी जारी रखेंगे ताकि ऐसे सभी मामलों में विक्रेताओं / आपूर्तिकर्ताओं / ठेकेदारों / परामर्शदाताओं के गैर-निष्पादन के कारण परियोजनाओं/ ओएंडएम संयंत्रों पर प्रभाव को कम किया जा सके।

5.0 विक्रेताओं/ आपूर्तिकर्ताओं / ठेकेदारों / परामर्शदाताओं के निष्पादन की मूल्यांकन प्रक्रिया

5.1 परियोजनाओं के लिए

i) परियोजनाओं के मामले में विक्रेताओं / आपूर्तिकर्ता / ठेकेदारों / परमर्शदातों के निष्पादन का मूल्यांकन किसी भी परियोजना को चालू करने के तुरंत बाद किया जाएगा।

ii) किसी भी परियोजना के चालू होने पर, ईआईसी (अभियंता-प्रभारी) / परियोजना प्रभारी सभी आदेशों और संविदाओं के लिए एक निष्पादन दर डेटा शीट (प्रपत्र अनुलग्नक-1 पर) तैयार करेगा।

iii) निष्पादन दर के आधार पर, अभियंता-प्रभारी / परियोजना प्रभारी द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई शुरू की जाएगी:

क्र.सं.	**निष्पादन दर**	**कार्य**
1	खराब	खराब निष्पादन के लिए स्पष्टीकरण मांगें
2	संतोषजनक	संतोषाजनक निष्पादन के लिए स्पष्टीकरण मांगे
3	अच्छा	भविष्य में निष्पादन में सुधार करने के लिए संबंधित व्यक्ति को पत्र लिखें
4	बहुत अच्छा	आगे कोई कार्रवाई नहीं

iv) संबंधित विक्रेता/ आपूर्तिकर्ता/ ठेकेदार/ परामर्शदाता से प्राप्त उत्तर की जांच की जाएगी। संतोषजनक उत्तर के मामले में, संबंधित व्यक्ति को भविष्य में निष्पादन में सुधार करने के लिए पत्र लिखकर निष्पादन दर डेटा शीट की कार्रवाई पूरी की जानी चाहिए।

v) यदि कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है या दिए गए कारण असंतोषजनक हैं, वहां निम्नलिखित कार्रवाइयां करने की आवश्यकता होती है:

क) <u>जहां निष्पादन की दर "खराब" है:</u>

ऐसे चूक करने वाले विक्रेता / आपूर्तिकर्ता / ठेकेदार / परामर्शदाता को नीचे दिए गए अनुसार एक से तीन वर्ष की अवधि के लिए होलिडे पर रखने की सिफारिश करें:

(i) गुणवत्ता के अलावा अन्य कारणों से खराब निष्पादन: **एक वर्ष**

(ii) गुणवत्ता के आधार पर खराब निष्पादन (यदि गुणवत्ता मापदंड के खिलाफ प्राप्त कोई भी अंक 30 से कम है): **दो वर्ष**

(iii) खराब निष्पादन के कारण संविदा रद्द करना या संविदा को हटाना, जिसके लिए विक्रेता / आपूर्तिकर्ता / ठेकेदार / परामर्शदाता को पूर्णतया या बार-बार अपराध करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया जाता है: **तीन वर्ष**

विक्रेता / आपूर्तिकर्ता / ठेकेदार / परामर्शदाता का गैर-निष्पादन, जो संविदा / आदेश को समाप्त करने का कारण बनता है, ऐसे विक्रेता / आपूर्तिकर्ता / ठेकेदार / परामर्शदाता के निलंबन पर भी विचार किया जाना चाहिए।

(ख) <u>जहां निष्पादन दर "संतोषजनक" है:</u>

अपने निष्पादन में सुधार करने के लिए ऐसे विक्रेता / आपूर्तिकर्ता / ठेकेदार / परामर्शदाता को चेतावनी जारी करना।

5.2 <u>परामर्शदाता कार्यों के लिए</u>

परामर्शी कार्यों की निगरानी और मूल्यांकन उसी तरह किया जाएगा जैसा परियोजनाओं के लिए पैरा 5.1 में वर्णित है।

5.3 <u>संचालन और रखरखाव के लिए</u>

i) संचालन और रखरखाव के मामले में विक्रेताओं / आपूर्तिकर्ताओं / ठेकेदारों / परामर्शदाताओं के निष्पादन का मूल्यांकन आदेश / संविदा के निष्पादन के तुरंत बाद किया जाएगा।

ii) आदेशों के निष्पादन के बाद प्रदर्शन दर डेटा शीट (प्रपत्र अनुलग्नक-2 पर) को आर्डर के लिए साइट सीएंडपी द्वारा तैयार किया जाएगा और संबंधित अभियंता-प्रभारी द्वारा संविदा / सेवाओं के लिए तैयार किया जाएगा।

iii) निष्पादन दर के आधार पर, निम्नलिखित कार्रवाई शुरू की जाएगी:

क्र.सं.	**निष्पादन दर**	**कार्य**
1	खराब	खराब निष्पादन के लिए स्पष्टीकरण मांगें
2	संतोषजनक	संतोषाजनक निष्पादन के लिए स्पष्टीकरण मांगे

3	अच्छा	भविष्य में निष्पादन में सुधार करने के लिए संबंधित व्यक्ति को पत्र लिखें
4	बहुत अच्छा	आगे कोई कार्रवाई नहीं

iv) संबंधित विक्रेता/ आपूर्तिकर्ता/ ठेकेदार/ परामर्शदाता से प्राप्त उत्तर की जांच की जाएगी। संतोषजनक उत्तर के मामले में, संबंधित व्यक्ति को भविष्य में निष्पादन में सुधार करने के लिए पत्र लिखकर निष्पादन दर डेटा शीट की कार्रवाई पूरी की जानी चाहिए।

v) यदि कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है या दिए गए कारण असंतोषजनक हैं, वहां निम्नलिखित कार्रवाइयां करने की आवश्यकता होती है:

क) <u>जहां निष्पादन की दर "खराब" है:</u>

ऐसे चूक करने वाले विक्रेता / आपूर्तिकर्ता / ठेकेदार / परामर्शदाता को नीचे दिए गए अनुसार एक से तीन वर्ष की अवधि के लिए होलिडे पर रखने की सिफारिश करें:

(i) गुणवत्ता के अलावा अन्य कारणों से खराब निष्पादन: **एक वर्ष**

(ii) गुणवत्ता के आधार पर खराब निष्पादन (यदि गुणवत्ता मापदंड के खिलाफ प्राप्त कोई भी अंक 30 से कम है): **दो वर्ष**

(iii) खराब निष्पादन के कारण संविदा रद्द करना या संविदा को हटाना, जिसके लिए विक्रेता/ आपूर्तिकर्ता / ठेकेदार / परामर्शदाता को पूर्णतया या बार-बार अपराध करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया जाता है: **तीन वर्ष**

विक्रेता / आपूर्तिकर्ता / ठेकेदार / परामर्शदाता का गैर-निष्पादन, जो संविदा / आदेश को समाप्त करने का कारण बनता है, ऐसे विक्रेता / आपूर्तिकर्ता / ठेकेदार / परामर्शदाता के निलंबन पर भी विचार किया जाना चाहिए।

(ख) <u>जहां निष्पादन दर "संतोषजनक" है:</u>

अपने निष्पादन में सुधार करने के लिए ऐसे विक्रेता / आपूर्तिकर्ता / ठेकेदार / परामर्शदाता को चेतावनी जारी करना।

6.0 <u>होलीडे पर रखी गई पार्टियों की समीक्षा और बहाली</u>

6.1 किसी निश्चित निर्दिष्ट अवधि के लिए पारित होलिडे का आदेश निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर स्वत: निरस्त हो जाएगा और निरसन के किसी विशिष्ट औपचारिक आदेश जारी करना आवश्यक नहीं होगा।

इसके अलावा, यदि विक्रेता / आपूर्तिकर्ता / ठेकेदार / परामर्शदाता को गुणवत्ता के कारण होलिडे पर रखा जाता है, और विक्रेता / आपूर्तिकर्ता / ठेकेदार / परामर्शदाता की बहाली के बाद बोलीदाता के नया आदेश दिया जाता है, तो ऐसे आदेश की संबंधित साइट द्वारा निष्पादन चरण के दौरान उचित रूप से निगरानी की जाएगी।

7.0 <u>होलिडे का प्रभाव</u>

7.1 यदि किसी विक्रेता / आपूर्तिकर्ता / ठेकेदार / परामर्शदाता को होलिडे पर रखा जाता है, तो ऐसे विक्रेता/ आपूर्तिकर्ता / ठेकेदार / परामर्शदाता को मौजूदा निविदाओं / भावी निविदाओं में विचार नहीं किया जाएगा।

7.2 तथापि, यदि ऐसा विक्रेता / आपूर्तिकर्ता / ठेकेदार / परामर्शदाता पहले से ही किसी भी अन्य आदेश/ संविदा को निष्पादित कर रहा है और प्रासंगिक निष्पादन के संदर्भ में उनका निष्पादन संतोषजनक है, तो संविदा में उल्लिखित मूल कार्यक्षेत्र के लिए ऐसी प्रासंगिकता को छोड़कर आगे कार्य क विस्तार किए बिना इसे पूरा होने तक जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। ऐसे मामले में सीपीबीजी को जब्त नहीं किया जाएगा और भुगतान संबंधित संविदा के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। तथापि, यह संविदा की अन्य निबंधन एवं शर्तें पूर्वाग्रह के बिना होंगी।

7.3. अन्य चल रही निविदाओं पर प्रभाव:

7.3.1 पूछताछ / बोली / निविदा जारी करने के बाद, लेकिन तकनीकी बोली खोलने से पहले, पार्टी द्वारा प्रस्तुत बोली को अनदेखा कर दिया जाएगा।

7.3.2 तकनीकी बोली खोलने के बाद, लेकिन मूल्य बोली खोलने से पहले, एजेंसी की मूल्य बोली को खोला नहीं जाएगा और एजेंसी द्वारा प्रस्तुत बीजी / ईएमडी एजेंसी को वापस कर दी जाएगी।

7.3.3 मूल्य बोली खुलने के बाद, एजेंसी द्वारा बनाई गई बीजी / ईएमडी उसे वापस कर दी जाएगी; एजेंसी के प्रस्ताव की अनदेखी कर दी जाएगी और इसका आगे मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। यदि दोषी एजेंसी न्यूनतम (एल 1) के रूप में उभरती है, तो ऐसी निविदा को भी रद्द कर दिया जाएगा और बोली फिर से आमंत्रित की जाएगी।

8.0 प्रक्रिया के अनुसार विक्रेता / आपूर्तिकर्ता / ठेकेदार / परामर्शदाता को होलिडे पर रखते हुए, धारिता कंपनी, सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम, संबद्ध कंपनियों, दोषी विक्रेता / आपूर्तिकर्ता / ठेकेदार / परामर्शदाता के ग्रूप डिविजन को होडिडे सूचनी में डालने पर विचार नहीं किया जाएगा।

होलिडे पर रखे गए किसी बोलीदाता को होलिडे की अवधि के दौरान नए निविदा में परिसंघा मार्ग के माध्यम से बोली लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

9.0 यदि कोई असफल बोलीदाता किसी खरीद प्रक्रिया में विलंब करने या उसमें बाधा पहुंचाने की मंशा से निविदा प्रक्रिया के खिलाफ कोई अड़चन डालने, तुच्छ या दुर्भावनापूर्ण शिकायत करता है, और यदि ऐसी शिकायत अड़चन डालने, तुच्छ या दुर्भावनापूर्ण शिकायत साबित होती है तो ऐसे बोलीदाता को छह महीने की अवधि के लिए होलिडे पर रखा जाएगा।

10. <u>सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के खिलाफ अपील:</u>

(क) पार्टी हॉलिडे सूची में डालने के सक्षम प्राधिकारी के आदेश के खिलाफ अपील दायर कर सकती है। अपील अपीलीय प्राधिकारी को दायर की जाएगी। ऐसी अपील होलिडे आदेश के प्राप्त होने के एक माह के अंदर की जाएगी।

(ख) अपीलीय प्राधिकारी अपील पर विचार करेगा और उपयुक्त आदेश पारित करेगा जिसे पार्टी और सक्षम प्राधिकारी को सूचित किया जाएगा।

(ग) अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर करने के 45 दिनों के अंदर अपील प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

(घ) "अपीलीय प्राधिकारी" का अर्थ निदेशकों की समिति से है जिसमें निदेशक (परियोजनाओं) के अंतर्गत कार्य केंद्रों के निदेशक (वित्त) और निदेशक (बीडी) शामिल होंगे। अन्य सभी मामलों के लिए निदेशकों की समिति में निदेशक (वित्त) और निदेशक (परियोजनाएं) शामिल होंगे।

11. **<u>दोषी बोलीदाता</u>**

यदि मूल्य बोली खुलने के बाद, सबसे कम मूल्यांकन बोलीदाता (एल1) को बोली लगाने में उसके द्वारा की गई किसी त्रुटि या बोली वापस लेने या बोली में सुधार करने या किसी भी कार्यकाल की अवधि में भिन्नता लाने के लिए कार्य नहीं दिया जाता है, तो गेल बोलीदाता द्वारा जमा कराई गई ईएमडी को जब्त कर लेगा और ऐसे बोलीदाताओं को समान कार्य(कार्यों) / मद (मदों) की पुन: निविदा में भाग लेने से वंचित कर दिया जाएगा।

इसके अलावा, ऐसे बोलीदाता को उचित प्रक्रिया के बाद छह महीने की अवधि के लिए होलिडे पर रखा जाएगा।

12. यदि सरकारी विभाग गेल के संज्ञान में यह लाता है कि किसी पार्टी ने गेल से एकत्रित जीएसटी सेवा को सरकार को जमा नहीं किया है, तो पार्टी को उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद छह महीने की अवधि के लिए होलिडे पर रखा जाएगा।

अनुलग्नक-1

गेल (इंडिया) लिमिटेड
निष्पादन दर डेटा शीट
(परियोजनाओं / परामर्शी कार्यों के लिए)

i) परियोजना / कार्य केंद्र :

ii) आदेश / संविदा संख्या और तारीख :

iii) मद कार्यों / कार्यों का संक्षिप्त विवरण :

iv) आदेश / संविदा मूल्य (रुपए) :

v) विक्रेता / आपूर्तिकर्ता/ ठेकेदार / परमर्शदाता :

vi) संविदागत डिलीवरी / समापन अनुसूची :

vii) वास्तविक प्रदानगी / समापन तारीख :

निष्पादन मापदंड	**प्रदानगी / समापन निष्पादन**	**गुणवत्ता निष्पादन**	**विश्वसनीयता निष्पादन #**	**कुल**
अधिकतम अंक	40	40	20	100
आवंटित अंक				

टिप्पणी:
टिप्पणी (यदि कोई हो)

निष्पादन दर (**) [ ]

टिप्पणी:

(#) विक्रेता / आपूर्तिकर्ता/ ठेकेदार / परमर्शदाता, जो संविदा भुगतान अवधि के बाद वित्तीय सहायता या विचलन की मांग करते हैं या वित्तीय बाधाओं के कारण उप-विक्रेता / उप-ठेकेदार से प्रत्यक्ष भुगतान मांगते हैं, तो उन्हें विश्वसनीयता निष्पादन के विरुद्ध 'शून्य' अंक आवंटित किया जाना चाहिए।

(*) अंकों का आवंटन संलग्न निर्देशों के अनुसार होना चाहिए

(**) निष्पादन दर को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा:

क्र.सं.	**रेंज (अंक)**	**दर**
1	60 और उससे कम	खराब

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
के हस्ताक्षर

2	61-75	संतोषजनक	नाम:
3	76-90	अच्छा	
4	90 से अधिक	बहुत अच्छा	पदनाम:

अंकों के आवंटन के लिए निर्देश

1. अंक निम्नानुसार आवंटित किए जाएंगे:

1.1	**प्रदानगी / समापन निष्पादन**		**40 अंक**
	प्रदानगी अवधि/ समापन अनुसूची	**सप्ताह में विलंब**	**अंक**
	क) 3 महीने तक	सीडीडी से पहले	40
		4 सप्ताह तक विलंब	35
		8 सप्ताह तक विलंब	30
		10 सप्ताह तक विलंब	25
		12 सप्ताह तक विलंब	20
		16 सप्ताह तक विलंब	15
		16 सप्ताह से अधिक	0
	ख) 3 महीने से अधिक	सीडीडी से पहले	40
		4 सप्ताह तक विलंब	35
		8 सप्ताह तक विलंब	30
		10 सप्ताह तक विलंब	25
		16 सप्ताह तक विलंब	20
		20 सप्ताह तक विलंब	15
		24 सप्ताह तक विलंब	10
		24 सप्ताह से अधिक	0
1.2	**गुणवत्ता निष्पादन**		**40 अंक**
	सामान्य मामलों के लिए: कोई दोष / कोई विचलन / कोई विफलता नहीं:		40 अंक
	i) अस्वीकृति / दोष	सामान्य मामलों के लिए कुल गुणवत्ता की तुलना में स्वीकार्य गुणवत्ता के लिए यथानुपात आधार पर आवंटित किए जाने वाले अंक	10 अंक

	ii) जब गुणवत्ता असफलता से प्रणाली एकीकरण और प्रणाली की सुरक्षा के लिए खतरा हो।	गंभीर प्रकृति की विफलता	0 अंक
		मध्यम प्रकृति	5 अंक
		कम गंभीर प्रकृति	10-25 अंक
	iii) विचलन की संख्या	1. कोई विचलन नहीं	5 अंक
		2. विचलन की संख्या <2	2 अंक
		3. विचलन की संख्या >2	0 अंक

1.3	**विश्वसनीयता निष्पादन**	**20 अंक**
क.	**कार्यों / संविदाओं के लिए**	
i)	आदेश स्वीकृति, करार, पीबीजी, ड्राइंग और अन्य दस्तावेज समय से प्रस्तुत करना	4 अंक
ii)	संविदा के अनुसार और समय से संसाधन जुटाना	4 अंक
iii)	जांच-सूची बिंदुओं का परिसमापन	4 अंक
iv)	सांविधिक और एचएस एंड ई आवश्यकताओं का अनुपालन या परामर्शदाता कार्यों के मामले में अनुमान / डिजाइन / ड्राइंग आदि की विश्वसनीयता	4 अंक
v)	अतिरिक्त, प्रतिस्थापित और एएचआर वस्तुओं के लिए समय पर अनुमान और अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करना	4 अंक
ख.	**आपूर्ति के लिए**	
i)	आदेश स्वीकृति, पीबीजी, ड्रांग और अन्य दस्तावेजों को समय से प्रस्तुत करना	5 अंक
ii)	बिक्री सेवा के बाद / वारंटी मरम्मत और / या पूछताछ / सलाह (मूल्यांकन अवधि तक) के लिए शिकायतों और अनुरोधों पर कार्रवाई करना	5 अंक
iii)	आईएसओ जैसे मानकों के लिए विभिन्न पत्राचार और अनुरूपता पर प्रतिक्रिया	5 अंक
iv)	आपूर्ति के समय जांच प्रमाणपत्र सहित सभी आवश्यक दस्तावेजों को प्रस्तुत करना	5 अंक

अनुलग्नक- 2

गेल (इंडिया) लिमिटेड
निष्पादन दर डेटा शीट
(ओएंडएम के लिए)

i) स्थान :

ii) आदेश / संविदा संख्या और तारीख :

iii) मद कार्यों / कार्यों का संक्षिप्त विवरण :

iv) आदेश / संविदा मूल्य (रुपए) :

v) विक्रेता / आपूर्तिकर्ता/ ठेकेदार / परमर्शदाता :

vi) संविदागत डिलीवरी / समापन अनुसूची :

vii) वास्तविक प्रदानगी / समापन तारीख :

निष्पादन मापदंड	**प्रदानगी निष्पादन**	**गुणवत्ता निष्पादन**	**विश्वसनीयता निष्पादन #**	**कुल**
अधिकतम अंक	40	40	20	100
आवंटित अंक (*)				

टिप्पणी (यदि कोई हो)

निष्पादन दर (**) | |

टिप्पणी:

(#) विक्रेता / आपूर्तिकर्ता/ ठेकेदार / परमर्शदाता, जो संविदा भुगतान अवधि के बाद वित्तीय सहायता या विचलन की मांग करते हैं या वित्तीय बाधाओं के कारण उप-विक्रेता / उप-ठेकेदार से प्रत्यक्ष भुगतान मांगते हैं, तो उन्हें विश्वसनीयता निष्पादन के विरुद्ध 'शून्य' अंक आवंटित किया जाना चाहिए।

(*) अंकों का आवंटन संलग्न निर्देशों के अनुसार होना चाहिए

(**) निष्पादन दर को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा:

क्र.सं.	**रेंज (अंक)**	**दर**
1	60 और उससे कम	खराब

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
के हस्ताक्षर

2	61-75	संतोषजनक	नाम:
3	76-90	अच्छा	
4	90 से अधिक	बहुत अच्छा	पदनाम:

अंकों के आवंटन के लिए निर्देश (ओएंडएम के लिए)

1. अंक निम्नानुसार आवंटित किए जाएंगे:

1.1	**प्रदानगी / समापन निष्पादन**		**40 अंक**
	प्रदानगी अवधि/ समापन अनुसूची	**सप्ताह में विलंब**	**अंक**
	क) 3 महीने तक	सीडीडी से पहले	40
		4 सप्ताह तक विलंब	35
		8 सप्ताह तक विलंब	30
		10 सप्ताह तक विलंब	25
		12 सप्ताह तक विलंब	20
		16 सप्ताह तक विलंब	15
		16 सप्ताह से अधिक	0
	ख) 3 महीने से अधिक	सीडीडी से पहले	40
		4 सप्ताह तक विलंब	35
		8 सप्ताह तक विलंब	30
		10 सप्ताह तक विलंब	25
		16 सप्ताह तक विलंब	20
		20 सप्ताह तक विलंब	15
		24 सप्ताह तक विलंब	10
		24 सप्ताह से अधिक	0
1.2	**गुणवत्ता निष्पादन**		**40 अंक**
	सामान्य मामलों के लिए: कोई दोष / कोई विचलन / कोई विफलता नहीं:		40 अंक
	i) अस्वीकृति / दोष	सामान्य मामलों के लिए कुल गुणवत्ता की तुलना में स्वीकार्य गुणवत्ता के लिए यथानुपात आधार पर आवंटित किए जाने वाले अंक	10 अंक
	ii) जब गुणवत्ता असफलता से प्रणाली एकीकरण और प्रणाली की सुरक्षा के	गंभीर प्रकृति की विफलता	0 अंक
		मध्यम प्रकृति	5 अंक

	लिए खतरा हो।	कम गंभीर प्रकृति	10-25 अंक
	iii) विचलन की संख्या	1. कोई विचलन नहीं	5 अंक
		2. विचलन की संख्या <2	2 अंक
		3. विचलन की संख्या >2	0 अंक

1.3	**विश्वसनीयता निष्पादन**	**20 अंक**
क.	**कार्यों / संविदाओं के लिए**	
i)	आदेश स्वीकृति, करार, पीबीजी, ड्राइंग और अन्य दस्तावेज समय से प्रस्तुत करना	4 अंक
ii)	संविदा के अनुसार और समय से संसाधन जुटाना	4 अंक
iii)	जांच-सूची बिंदुओं का परिसमापन	4 अंक
iv)	सांविधिक और एचएस एंड ई आवश्यकताओं का अनुपालन या परामर्शदाता कार्यों के मामले में अनुमान / डिजाइन / ड्राइंग आदि की विश्वसनीयता	4 अंक
v)	अतिरिक्त, प्रतिस्थापित और एएचआर वस्तुओं के लिए समय पर अनुमान और अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करना	4 अंक
ख.	**आपूर्ति के लिए**	
i)	आदेश स्वीकृति, पीबीजी, ड्रांग और अन्य दस्तावेजों को समय से प्रस्तुत करना	5 अंक
ii)	बिक्री सेवा के बाद / वारंटी मरम्मत और / या पूछताछ / सलाह (मूल्यांकन अवधि तक) के लिए शिकायतों और अनुरोधों पर कार्रवाई करना	5 अंक
iii)	आईएसओ जैसे मानकों के लिए विभिन्न पत्राचार और अनुरूपता पर प्रतिक्रिया	5 अंक
iv)	आपूर्ति के समय जांच प्रमाणपत्र सहित सभी आवश्यक दस्तावेजों को प्रस्तुत करना	5 अंक